तृतीय माला, खण्ड १४—अंक १६

मंगलवार, १२ मार्च, १९६३
२१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या ३४३ से ३५५ और ३५७ . . .	१४६३—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३५६ और ३५८ से ३६६ . .	१४८८—९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६८० और ६८३ से ६९४ . .	१४९३—१५१७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५१७–१८
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति	
प्रतिवेदन का उपस्थापन	१५१८
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३–पुरस्थापित . .	१५१८
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), १९६२–६३ . .	१५१९—३६
श्री दाजी	१५२०–२१
श्री प्र० के० देव	१५२१–२२
श्री बड़े	१५२२—२४
श्री हेम बरुआ	१५२४–२५
श्री भक्त दर्शन	१५२५–२७
श्री स० मो० बनर्जी	१५२८
श्री जोकीम आल्वा	१५२८—३०
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१५३०–३१
श्री दिनेश सिंह	१५३१–३२
श्री अ० मु० थामस	१५३२–३३
श्री ब० रा० भगत	१५३३—३६
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा :	१५३६—५६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	१५३६–३९
श्री उ० न० ढेबर . .	१५३९—४२
श्री प्र० के० देव	१५४२—४६
श्रीमती रेणुका राय . .	१५४६–४७
श्री यु० सिं० चौधरी	१५४८—५२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १२ मार्च १९६३
२१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण

†*३४३. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्री नारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की त्रिस्तरीय प्रणाली की योजना अभी पूरी तौर से लागू नहीं की है, वहां वह प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या आपात के कारण प्रगति पर कोई असर पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक असर पड़ा है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). छः राज्यों में, अर्थात् पश्चिमी बंगाल, केरल जम्मू तथा काश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में अभी पंचायती राज निकाय बनाये जाने शेष हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में आवश्यक विधान बन गया है और बाकी तीन राज्यों में बनना शेष है।

पश्चिमी बंगाल : पंचायती राज विधेयक राज्य विधान मण्डल के विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

3084 (Ai) LSD—1.

केरल : पंचायती राज विधेयक तैयार हो रहा है और शीघ्र ही राज्य विधान मण्डल में पेश किये जाने की आशा है ।

जम्मू तथा काश्मीर : स्थानीय स्थितियों के अनुकूल कोई उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का एक राज्य स्तरीय समिति अध्ययन कर रही है ।

इन तीन राज्यों में आपात का प्रगति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है ।

गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थायें १९६३ के आरम्भ में बनाई जानी थीं परन्तु यह काम आपात के कारण स्थगित कर दिया गया । नवीनतम स्थिति निम्न है :—

गुजरात : राज्य सरकार ने इस बीच प्रत्यक्ष निर्वाचन के बिना ही आपात काल में भी उच्च स्तरीय पंचायती राज निकाय बनाने का निश्चय किया है । आशा है कि यह निकाय अप्रैल, १९६३ तक बन जायेंगे ।

मध्य प्रदेश : ग्राम पंचायतों के नये निर्वाचनों के बाद, क्योंकि उन में से अधिकतर अपनी अवधि से अधिक समय से काम कर रही हैं, उच्च स्तरीय निकाय बनाये जायेंगे । लगभग १९६४ के आरम्भ में उच्च स्तरीय पंचायती राज निकाय काम करना आरम्भ कर देंगे ।

बिहार : राज्य सरकार भी यह विचार कर रही है कि क्या आपात काल में भी राज्य में पंचायती राज लागु किया जा सकता है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में पंचायत राज लागू हो गया है उन राज्यों में उस ने अभी तक जो काम दिखलाया है, उस से क्या मंत्री महोदय को सन्तोष है कि काम ठीक तरह से चल रहा है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : हां, राज्य जो कार्य कर रहे हैं हम उस से सन्तुष्ट हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि विकास समितियों के जो प्रमुख चुने गये हैं क्या उन के बगैर पढ़े लिखे होने के कारण भी काम में कोई अड़चनें पड़ी हैं ? यदि हां, तो उन को प्रशिक्षित करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री स० कु० डे)** : मैं यह बता दूं कि बुद्धि शिक्षा की आश्रित नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : अभी माननीय उपमंत्री ने कहा था कि ये विकेन्द्रित लोकतंत्रीय संस्थायें सन्तोषजन कार्य कर रही हैं । क्या उन्हें विदित है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष बनने के लिए निर्वाचनों में मत खरीदने पर बहुत धन व्यय होता है और यदि हां, तो क्या निर्वाचक-वर्ग बढ़ाने के लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ताकि ये इकाइयां निर्वाचकों के जीवन को भ्रष्ट न बना सकें ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं । यदि ऐसा कोई मामला है तो वह उनकी सूचना हमें दे सकते हैं या संबंधित राज्य सरकार को बता सकते हैं और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि श्री डे ने बहुत प्रयत्न किया है कि बिहार में ग्राम पंचायतों के और ग्राम समितियों के चुनाव बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कराये जायें। यदि हां, तो इस में उन को कितनी सफलता मिली है ?

श्री सु० कु० डे० : जी हां, इस के लिए बहुत जोरदार कोशिश हो रही है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या प्रत्येक स्तर पर समिति बनाने के उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं हो रहा है और क्या इसी कारण देर हो रही है और कार्य पिछड़ रहा है ?

†**श्री सु० कु० डे** : परिवर्तनीय काल में उत्तरदायित्व का कुछ विभाजन होना अनिवार्य है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि विभिन्न राज्यों में पेश किये जाने वाले विधेयक समानाधार पर हों ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मूल उत्तर में मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात के तीनों राज्यों में स्वीकृत विधान का पूर्ण ध्योरा है। वे पंचायती राज शीघ्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि जिला परिषदों के चेयरमैन का एलेक्शन डाइरेक्ट नहीं होता है। यदि हां, तो जब तक यह एलेक्शन डाइरेक्ट नहीं होता तब तक कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह सब ऐसे कार्य पर निर्भर है जैसा कि माननीय सदस्य विकेन्द्रीकरण को प्रभावी होना सुनिश्चित करने के लिए करेंगे।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में निर्वाचनों के बिना इन समितियों को बनाने की कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो लोकतंत्र के इस विरोध के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री सु० कु० डे०** हमें ऐसा कोई मामला मालूम नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था में, जिस का मंत्रालय पूर्णतया पालन कर रहा है, यहा अनिवार्य नहीं है कि कुछपंचायत समितियों और कुछ जिला परिषदों पर विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रभाव हो जायेगा, अर्थात् कुछ पर कांग्रेस का, कुछ पर साम्यवादी दल का और कुछ पर जनसंघ का और इस कारण विवाद होना तथा कार्य का पिछड़ना अनिवार्य है ? इस बारे में मंत्रालय ने क्या विचारा है और वे इसे कैसे हल करेंगे ?

श्री सु० कु० डे : मेरा विचार था कि हम बहु-दलीय राज्य हैं। यदि हमारे राज्य में अधिक दल हों, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक स्तर पर इस का प्रभाव रहेगा।

डाक तार विभाग निर्देशिका (पोस्टल गाइड)

†*३४४. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक तार विभाग निर्देशिका (पोस्टल गाइड) कितने वर्षों से प्रकाशित नहीं की गई है और अन्तिम संस्करण कितने समय बाद प्रकाशित किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस निर्देशिका का लघु संस्करणों का प्रकाशन क्यों बन्द कर दिया गया है; और

(ग) डाक तार निर्देशिका और उसके लघु संस्करण अब कब तक प्रकाशित होंगे और जनता को उपलब्ध हो सकेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है।

विवरण

(क) "डाक निर्देशिका" नाम का कोई प्रकाशन नहीं है। १९५९ से पहले "डाक-तार निर्देशिका" दो भागों में प्रकाशित की जाती थी। किन्तु अब "डाकघर निर्देशिका" तीन भागों में और "तार निर्देशका" दो भागों में प्रकाशित की जाती है। डाकघर निर्देशिका भाग १ तथा तार निर्देशिका खण्ड १ अपने मौजूदा रूप में पिछली बार १९६० में प्रकाशित किए गए थे और डाकघर निर्देशिका भाग ३ १९६१ में। डाकघर निर्देशिका भाग २ तथा तार निर्देशिका खण्ड २ अपने मौजूदा रूप में १९६२ में प्रकाशित किए गए थे। नई और पुरानी निर्देशिकाओं की अवधि में एक से पांच साल तक का अन्तर है। विस्तृत विवरण आगे अनुबन्ध में उपलब्ध है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० ९३३/६३]**

(ख) शायद जेबी डाक तार निर्देशिका की ओर संकेत किया गया है। उसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और उसका पिछला संस्करण सितम्बर, १९६२ में प्रकाशित किया गया था।

(ग) विभिन्न निर्देशिकाओं के नए संस्करणों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है—

(१) डाकघर निर्देशिका भाग १ १९६५ में प्रकाशित किया जाना है।

(२) उक्त भाग १ का ३० जून, १९६३ तक संशोधित परिशिष्ट जुलाई, १९६३ में जारी किया जाएगा।

(३) डाकघर निर्देशिका भाग २ अगस्त, १९६३ में जारी किया जाएगा।

(४) संकटकालीन स्थिति के कारण डाकघर निर्देशिका भाग ३ तथा तार निर्देशिका खण्ड २ का प्रकाशन, जो १९६३ में प्रकाशित किए जाने वाले थे, स्थगित कर दिया गया है। उनके बजाय केवल परिशिष्टांक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

(५) तार निर्देशिका खण्ड १ का नया संस्करण जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(६) संकटकालीन स्थिति के कारण जेबी डाक-तार निर्देशिका का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह डाक-तार निर्देशिका केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी छपी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भगवती : पहिले डाक तथा तार निर्देशिका का संक्षिप्त संस्करण प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होता था, परन्तु प्रादेशिक भाषाओं के संस्करण की बिक्री बहुत कम होने के कारण बाद में अंग्रेजी संस्करण ही प्रकाशित किया गया।

†श्रीमती सावित्री निगम : इस निर्देशिका को छापने का क्या उद्देश्य है और क्या इसमें विदेशी डाक के लिए और अपेक्षित जानकारी भी दी है ?

†अध्यक्ष महोदय : उसमें क्या है, उसे वह स्वयं पढ़ सकती हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि पोस्टल गाइड को नियमित रूप से न छपवा कर तीन साल पर क्यों छपवाया जाता है जबकि पब्लिक इस पर पूरा व्यय वहन करने के लिये तैयार है और सरकार का भी कोई नुक्सान नहीं है क्योंकि इसके न छपने से डाक-खाने के बाबुओं तक को डाकखानों और तारघरों का पता लगाने में बहुत तकलीफ होती है और जनता को भी तार आदि देने में बड़ी कठिनाई होती है ?

†श्री भगवती : इन डाक निर्देशिकाओं के शीघ्र प्रकाशन के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि इस बारे में कुछ विलम्ब हो गया है। इसके लिए हमें खेद है। परन्तु अब हमने उन्हें यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कोशिश की है। उत्तर में तारीखें पहिले ही दे दी गई है।

खाद्यान्नों के मूल्य

+

†*३४५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सवित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री योगेन्द्र झा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९६३ में खाद्यान्नों के मूल्यों मे वृद्धि हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो मल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) : (क) नहीं, श्रीमान। अंदाजों के थोक विक्रय मूल्य के अखिल भारतीय देशनांक दिसम्बर, १९६२ की अपेक्षा जनवरी, १९६३ में कम हो गये। चना, दाल के थोक मूल्य के अखिल भारतीय आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न हो नहीं उ ता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह सूचित किया गया है कि कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थानों पर बहुत मामूली किस्म का चावल कम से कम ३० रुपये मन बिक रहा है और यदि हां, तो मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : पिछली बार जब एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा गया था, उस समय समूची स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान्, इस पर विचार नहीं किया गया। मेरा प्रश्न यह था कि मामूली किस्म के चावल की कीमत अब भी ३० रु० प्रतिमन है। मूल्य अब भी बढ़ रहा है।

†**श्री अ० म० थामस** : संभव है कि माननीय सदस्य चावल की उत्तम किस्म का जिक्र कर रहे हों, परन्तु सामान्य किस्म की कीमत ३० रु० मन तक नहीं गई है। वास्तव में, पिछले पांच या छः सप्ताह से पश्चिमी बंगाल में मूल्य स्तर हैं और पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट भी देखी गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं कि मूल्यों में उतार-चढ़ाव न हो या वे न बढ़ें, और क्या मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार की इच्छा खाद्यान्न में राज्य व्यापार करने की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : राज्य व्यापार के बारे में भी मैंने एक दिन कहा था कि पश्चिमी बंगाल में उचित मूल्य वाली अनेक दुकाने हैं और हम चावल तथा गेहूं पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि दालों तथा चना का मूल्य इतना बढ़ गया है कि व्यक्तियों को पशुओं को खिलाना कठिन हो गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सामान्यतया, जनवरी, १९६३ के देशनांक दालों के बारे में १०३.९ थे जबकि दिसम्बर, १९६२ में ये १०३.६ थे। थोड़ी वृद्धि हुई। परन्तु ये नवम्बर, १९६२ की अपेक्षा बहुत कम हैं जबकि वे ११३.२ थे। ये घटकर १०३ रह गये हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रहते हुए कि नये करों के फलस्वरूप जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, क्या सरकार इस बात का ध्यान रक्खेगी कि किसानों के उत्पादन के विक्रय मूल्य में भी कुछ वृद्धि हो ताकि किसानों को राहत मिल सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : उत्पादक को मिलने वाले मूल्य में और अन्त में उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में कितना अन्तर है, विशेषकर चावल के मूल्य में, और कुल मूल्य का कितना प्रतिशत विचौलिया ले लेते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रश्न काल में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : थोक मूल्यों में गिरावट का फुटकर मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्त में, फुटकर मूल्यों के नियंत्रण के बारे में हम आवश्यकतानुसार उचित मूल्य वाली दुकानें खोल रहे हैं और केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्न दे रहे हैं। हां, थोक मूल्यों में कमी होने पर भी फुटकर मूल्यों में कमी होने में समय लगेगा।

†**डा० मा० श्री अणे** : अभी मंत्री महोदय ने बताया था कि मूल्य स्तर हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। क्या उनके कहने का अर्थ यह है कि उनका यह मत केवल थोक मूल्यों के बारे में है और फुटकर मूल्यों के बारे में नहीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जहां तक आयात का सम्बन्ध है, हम थोक तथा फुटकर मूल्यों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। फिर भी, अब तक इसे बनाये रखा गया है। प्रत्येक स्तर पर मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं, और जब भी कोई उतार-चढ़ाव होता है तो हम तुरन्त ध्यान देते हैं और यह निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि क्या वह भविष्य में भी रहेगा और आगे क्या कार्यवाही करनी है। आजकल स्थिति नियंत्रण में है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रशुल्क आयोग की भांति एक मूल्य निर्धारण प्राधिकार बनाने का प्रश्न नई दिल्ली में हाल में खाद्य तथा कृषि संगठन और इकेफे की हुई बुठक में विचार विमर्श के लिये उठे थे और यदि हां, तो ख्या परिणाम रहा ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमें वहां विचार-विमर्श का ब्यौरा विदित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था।

†**श्री हेम बरुआ** : इस दृष्टि से कि मंत्री जी ने एफ० ए० ओ० और इकेफे की बैठक में कहा था कि बिचौलिया उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों से लाभ कमाता है, सरकार ने इस पुरानी पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं उत्तर दे चुका हूं। हम ने आपात के लिए जो किया है वह भविष्य के लिए भी उत्तम है। हम जानते हैं कि उत्पादक के लिए मूल्य क्या है। हम ठीक से जानते हैं कि मूल्य किस स्तर पर बढ़ेगा और उसमें क्या औचित्य है यदि यह किसी समय इससे अधिक होता है तो हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं या उचित मूल्य वाली दुकान खोल सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यद्यपि मंत्री जी के कथानुसार अखिल भारतीय देशनांक वृद्धि प्रदर्शित न करे, क्या किन्हीं विशेष राज्यों में मूल्य बढ़े हैं, वे राज्य कौन कौन से हैं और क्या कोई राज्य सरकार ने पिछले फसल-काल में खाद्यान्न की सीधी खरीद की थी।

†**श्री स० का० पाटिल** : हां, ऐसा एक राज्य तो माननीय सदस्य का ही राज्य है। ऐसा अधिकतर दुर्भाग्यवश हुआ है क्योंकि उस राज्य में कुछ ही कम उत्पादन हुआ है और पिछले वर्ष जो राज्य उसे प्रति वर्ष चावल देता था—मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं—वहां कम उत्पादन हुआ। ऐसा दस-पांच वर्ष में एक बार होता है। अतः स्वाभाविक बात यह है कि वहां अन्य राज्यों की अपेक्षा मूल्य कुछ अधिक हैं, यद्यपि उचित मूल्य की दुकानों पर ऐसा नहीं है। हम ने स्थिति के अनुसार उचित मूल्य की दुकाने बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं ने पूछा था कि क्या राज्य सरकारों ने पिछले फसल-काल में सीधी खरीद की थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : नहीं। जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, वहां खरीद करने का कोई लाभ नहीं है। इससे स्थिति और बिगड़ जायेगी। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मैं उनकी कठिनाइयों के होते हुए भी, उड़ीसा को दूसरा चावल दे रहा हूं ताकि उड़ीसा और कलकत्ता के बीच सामान्य व्यापार बन्द न हो और परिणामस्वरूप कलकत्ता बाजार पर बुरा प्रभाव पड़े।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि वह मूल्य निर्धारण प्राधिकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बिचौलियों को समाप्त करने के बारे में कुछ नहीं कहा जो कि मेरा प्रश्न था।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं बिचौलियों को समाप्त करना नहीं चाहता। यदि बिचौलिया रुकावट बनता है तो मैं समाप्त करता हूं। यदि मैं उसे हटा दूं तो मुझे अपना व्यक्ति रखना होगा। अतः मैं प्रत्येक स्तर पर नजर रखता हूं। जब तक वे ठीक कार्य करते हैं, तब तक उन्हें समाप्त करने का मेरा कोई विचार नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या अखिल भारतीय देशनांक थोक मूल्य के आधार पर बनते हैं या फुटकर मूल्य के आधार पर ?

†**श्री अ० म० थामस** : ये थोक मूल्य पर आधारित होते हैं।

रेल गाड़ियों का बिजली से चलाया जाना

+

†*३४६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से टाटानगर तक दुहरी लाइन बनाने तथा उन पर बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था पूरी हो गई है;

(ख) बिजली की रेलगाड़ियों के कब तक चलने की आशा है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए समस्त स्टेशन प्लेटफार्मों को ऊंचा कर दिया गया है तथा बढ़ा दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १५ जनवरी से टाटानगर–नीमपुरा के एक लाइन वाले सेक्शन में और नीमपुरा–कलाइकुण्डा, टाटानगर–सालगाझरी और कोकपारा–चकुलिया के बीच विद्यमान दुहरी लाइन वाले भागों में बिजली से रेल चल रही हैं। बाकी भागों में, लाइन को दुहरा बनाने का कार्य हो रहा है तथा आशा है कि सितम्बर, १९६४ तक पूरा हो जायेगा। इन अतिरिक्त भागों में सितम्बर, १९६५ तक बिजली से रेलें चलाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्लेटफार्म ऊंचा करना आवश्यक नहीं समझा जाता । भारग्राम और गिडनी सेक्शनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा किया जायेगा ।

†**सुबोध हंसदा** : उस लाइन को दुहरा करने के लिए अब तक कितने पुल बने हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास पुलों की निश्चित संख्या नहीं है, परन्तु जो भी पुल बनने थे वे बन चुके हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि प्लेटफार्मों को ऊंचा करना आवश्यक नहीं है । परन्तु कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म जमीन से मिले हुए हैं । क्या सरकार उन स्टेशनों पर प्लेटफार्म ऊंचा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है जिस पर वे विचार कर सकते हैं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : बाद में यात्री यातायात का प्रश्न लेने पर इसका ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस कार्य के लिए कितने स्टेशन पुनः बनाये गये और कितनों के बारे में विचार नहीं किया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : श्रीमान्, इकहरी लाइन वाले सेक्शन पर रेलें बिजली से मुख्यकर सामान ढोने के लिए चलाई जाती हैं और इस दृष्टि से यार्डों तथा स्टेशनों को पुनः बनाया गया है । दोनों लाइनों के दुहरा होने पर माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या लाइन को दुहरा बनाने के अतिरिक्त बिजली से रेल चलाने से यातायात की गति बढ़ जायेगी और यदि हां, तो क्या तटीय दक्षिणी पट्टी जैसे घने क्षेत्र में भी ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, इच्छा यही है ।

†**श्री ब० कु० दास** : इन लाइनों पर विशेष रेलगाड़ियों द्वारा कितना यात्री यातायात ले जाया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आशा है कि सभी यातायात ले जाया जायेगा ।

†**डा० रानेन सेन** : हावड़ा से खड़गपुर तक बिजली से रेलें चलाना कब आरम्भ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सर्वथा भिन्न बात होगी ।

†**डा० रानेन सेन** : प्रश्न रेलों को बिजली से चलाने के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समूचे भारत में नहीं । सम्भव है कि बाद में माननीय मंत्री माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे दें ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं । मैं अभी जानकारी दे सकता हूं । यह काम सितम्बर, १९६५ में आरम्भ होगा और आशा है कि सिदम्बर १९६६ में हम आरम्भ करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इससे माननीय सदस्य को संतोष मिलेगा ? हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश व्यापार के लिये जहाज

+

†*३४७. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विदेश व्यापार के लिये कितने नये जहाज आये हैं;

(ख) उनके आने से कितना टन-भार बढ़ गया है; और

(ग) वे किन-किन देशों में जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) : ग्यारह जहाज।

(ख) ९९,६१० जी० आर० टी०।

(ग) यह जहाज भारत से ब्रिटेन, यूरोप; भारत से जापान, सुदूर पूर्व; भारत से पश्चिम तटीय अमरीका के देशों में जायेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय अनेमी पोत[२] व्यापार करेंगे।

श्री ब० कु० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यापार की किस शाखा में—नियमित मार्ग पर चलने वाले पोतों[३], अनेमी पोतों तथा तेलवाहक पोतों के व्यापार में— इस दिशा में बिकास हमारी भावना के अनकूल नहीं हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर** : अनेमी पोतों, खुला माल ढोने वाले पोतों तथा तेलवाहक पोतों के व्यापार में विकास की दिशा में हमें बहुत दूरी तय करनी है।

†**श्री ब० कु० दास** : विदेशी सहभागिता के अनुपात की सीमा में वृद्धि करने का जो प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**श्री राज बहादुर**: योजना आयोग के परामर्श में मामला अभी तक विचाराधीन है।

म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे क्या लक्ष्य हैं और उनके पूरे होने की क्या सम्भावना है ? क्या इस इमरजेंसी के कारण उनमें कोई कमी की गयी है ?

श्री राज बहादुर : जो हमारे लक्ष्य थे उनको बाद में रिवाइज किया गया और उनके मुताबिक १.२५ मिलियन अर्थात् १२ लाख ५० हजार जी० आर० टी० रखा गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश व्यापार में—अनेमी-पोत व्यापार अथवा तेलवाहक-पोत व्यापार में—लगे हुए कुछ ऐसे भी भारतीय नौवहन समवाय हैं जिन्होंने विदेशी सहयोग से अपने जहाजी बेड़े में और नये जहाज बढ़ाने के लिये सरकार से कुछ प्रस्ताव किये हैं; यदि हां, तो वे समवाय कौन-कौन से हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : विदेश व्यापार के में लगे हुए भारतीय नौवहन समवायों में से केवल एक नौवहन समवाय ही, जिसका नाम जयन्ती शिपिंग कम्पनी है, विदेशी सहयोग से चल रहा है। इसमें २५ प्रतिशत विदेशी सहयोग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२]Tramp.

[३]Liners.

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या और भी किसी समवाय ने विदेशी सहयोग से टन-भार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय ऐसे तीन प्रस्ताव लम्बित हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रीय आयात ने यथासम्भव कम से कम विदेशी मुद्रा व्यय करके यथासम्भव तीव्र गति से भारतीय टन-भार को बढ़ाने की आवश्यकता को बहुत स्पष्ट कर दिया है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि कदाचित् माननीय सदस्य को ज्ञात है, जहाज मंगाने के लिये हमें बहुत कम विदेशी मुद्रा दी गई है । अतएव, ऐसी योजनायें स्वीकार करने के लिये कदम उठाये गये हैं जिससे बिना विदेशी मुद्रा के, आस्थगित भुगतान अथवा अन्य किसी आधार पर, जहाज मंगाना सम्भव हो सके ।

कृषि स्नातक

†*३४८. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि स्नातकों की बड़ी कमी है और कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की इस कमी के कारण विभिन्न राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपने कृषि विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार देश में कृषि स्नातकों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि योजना विषयक कार्यक्रमों को प्रशिक्षित कर्मचारियो के अभाव के कारण क्षति न हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) और (ख). जी, नहीं । कुल मिला कर देश में कृषि स्नातकों की कोई कमी नहीं है । कुल राज्यों में जहां कि स्थानीय कमी है राज्य सरकारो ने या तो विद्यमान विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करके अथवा नये विद्यालय प्रारम्भ करके कृषि स्नातकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रपास सिंह** : १९६१ तथा १९६२ में देश की विभिन्न संस्थाओं से कितने कृषि स्नातक उत्तीर्ण होकर निकले हैं तथा उनमें से कितने सरकारी नौकरियों में लग गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरे पास उन कृषि स्नातकों के तो आंकड़े नहीं हैं जो कि नौकरियों पर लग गये थे परन्तु द्वितीय योजना के अन्त तक इनकी कोई कमी नहीं थी तथा ५,६३४ विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था । १९६१–६२ में वार्षिक प्रवेश ६,४०० विद्यार्थियों का था जबकि हमारा निर्धारित लक्ष्य केवल ६,२०० ही था ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि इन स्नातकों में एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि सरकारी नौकरी में लगने के पश्चात् वे किसानों से दूर ही दूर रहने का प्रयत्न करते हैं तथा सरकारी योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं करते ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कृषि स्नातकों की इस मानसिक भावना को बदलने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि वे अपना कार्य भली भांति कर सकें तथा हाथों को मैले कुचैले करने वाले इस कार्य की मंगलमयता को समझें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम इस भावना को बदलने का निरन्तर प्रयास करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : माननीय मन्त्री ने यह बताया था कि राज्य सरकारों के पास स्नातकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये पर्याप्त विद्यालय हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से सरकार आंध्र प्रदेश में भी एक कृषि विश्वविद्यालय की व्यवस्था नहीं कर सकी है, जो राज्य कि उत्तर प्रदेश के पश्चात् सबसे बड़ा राज्य है तथा जो इसके लिये १९५६ से ही मांग कर रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : आंध्र प्रदेश को इस सुविधा के लिये मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है तथा हमें उसे अन्तिम रूप देना है।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : उसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लग जायेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : उसे बहुत शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या यह सच है कि यह एक आम शिकायत है कि कृषि स्नातकों को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही होता है कि तथा वे किसानों को कुछ अधिक व्यावहारिक सहायता नहीं पहुंचाते ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमने अपनी कृषि संस्थाओं को कहा है कि वे स्नातकों को पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण दें।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कृषि स्नातकों की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए, क्या यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि तीसरी योजना के लिये हमारी अपेक्षित आवश्यकता कितनी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : तृतीय योजना की अवधि के लिये २० हजार कृषि स्नातकों की आवश्यकता होगी।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या देश के अनेक भागों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये शिक्षा का कोई समान स्तर अथवा प्रतिरूप निश्चय कर लिया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् स्तर में एकरूपता लाने का प्रयत्न करती है। यदि स्तरों में समानता अथवा एकरूपता की कोई कमी है तो मैं उस कमी को दूर कराऊंगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कृषि पर दिये जाने वाले बढ़ते हुए बल के परिणामस्वरूप, कृषि स्नातकों की मांग के २० हजार तक बढ़ जाने की सम्भावना है जैसा कि माननीय मन्त्री ने अभी बताया है। सरकार का इतनी बड़ी संख्या में मांग की, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, किस प्रकार पूर्ति करने का विचार है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : २० हजार स्नातकों की यह आवश्यकता, औसत निकालने पर, प्रतिवर्ष ६,२०० छात्रों को प्रवेश देने की सिद्ध हुई। १९६१-६२ में वास्तविक प्रवेश संख्या ६,४०० थी। अतएव, हमारे पास अपनी आवश्यकताओं के कम स्नातक नहीं हैं।

†**डा० पं० झा० देशमुख** : क्या सरकार का ग्राम-सेवकों को हटा कर उनके स्थान पर कृषि-स्नातकों को रखने का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : इसकी सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि जो विद्यार्थी उच्च माध्यमिक पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकलते हैं वे कृषि स्नातक संस्थाओं में पाठ्यक्रम को अपने उपयुक्त नहीं पाते हैं तथा ठीक प्रकार अध्ययन नहीं कर रहे हैं ? क्या कृषि विज्ञान में उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के पाठ्यक्रम तथा स्नातक पाठ्यक्रम दोनों को मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : दो प्रकार की इन कृषि संस्थाओं को मिलाने का यह प्रयत्न किया जा रहा है । यदि कोई अनियमितता हो तो माननीय सदस्य कृपा करके उसे मुझे बतायें और मैं इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दीवान चन्द शर्मा । **(माननीय सदस्य नहीं उठे)** । अगला प्रश्न ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

सहकारिता आन्दोलन

+

†*३४६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती विमला देवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेरवर प्रसाद सिंह :
श्री मरंडी :
श्री प० कुन्हन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों का ध्यान सहकारी आन्दोलन के कार्यक्रम में कमी होने की ओर आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग द्वारा उठाई गई बातों की जांच की है और क्या प्रशासी तथा संगठनात्मक समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से उपचारी कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का कमी को पूरा करने तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सहकारी आन्दोलन का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) से (ग). योजना आयोग और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारिता के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तथा उचित वित्तीय आवंटन करने के लिये राज्य सरकारों पर निरन्तर दबाव डालते रहे हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कार्य के विस्तृत पुनर्विलोकन पर आधारित एक प्रश्न पर हाल ही में लखनऊ में हुए राज्यों के सहकार मन्त्रियों के एक सम्मेलन में चर्चा की गई थी। योजना आयोग तथा सहकार मन्त्रालय अब ऐसी प्रक्रियाओं की खोजबीन कर रहे हैं जिनसे राज्यों में सक्षम पूर्ववर्तिताओं द्वारा दिये जाने वाले जोर के कारण सहकारिता के लिये निर्धारित धन को अन्य कार्य-क्षेत्रों में दिये जाने को रोका जा सके।

†**श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती** : सरकार ने उन अधिकारियो के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं जो कि सरकार की सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में मूल नीति के विरुद्ध थे ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जो कदम उठाये गये हैं वह यह हैं : विधि का बदलना, अधिकारियों का स्थानान्तरण और अधिकारियों को सहकारी संस्थाओं में शिक्षा देना।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : भूमि सुधार द्वारा अथवा दान में प्राप्त की गई भूमि को सहकारी आधार पर भूमिहीन लोगों में वितरित करने के मार्ग में क्या बाधायें आ रही हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : हाल ही में सरकार ने यही नीति बनाई है कि सब सरकारी अकृष्ट भूमि तथा भूमि-सुधार कार्य में प्राप्त की गई भूमि, यथा सम्भव, सहकारी कृषि को ही दी जानी चाहिये। किसी सीमा तक राज्यों द्वारा यह कार्य किया भी गया है। परन्तु, मेरा विचार है इस नीति के सब स्तरों पर स्वीकृत होने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम में कोई कमी है; इस कार्यक्रम में किन किन राज्यों में कमी है और क्या कार्यक्रम में यह कमी सरकारी व्यवस्था में किसी कमी अथवा लोगों की रुचि में कमी के कारण है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : लगभग सभी स्तरों पर रुचि में कमी है। यह सक्षम पूर्ववर्तिताओं का एक प्रश्न है जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है। राज्यों द्वारा और अन्य आर्थिक क्षेत्रों द्वारा दी गई अनेक पूर्ववर्तिताएं हैं। इस लिये, यह नहीं कहा जा सकता कि यह कमी इस स्तर पर है और दूसरे स्तर पर नहीं। यह लगभग सभी स्तरों पर ही है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : सहकारिता में दो प्रकार की संस्थायें हैं : बड़ी बड़ी सहकारी समितियां तथा ग्राम सहकारी समितियां। दोनों की तुलनात्मक सफलतायें तथा असफलतायें क्या क्या हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : रक्षित बैंक की सर्वेक्षण समिति द्वारा इस प्रश्न की जांच की गई थी और बाद में भी जांच की गई थी। वास्तव में, यह रक्षित बैंक की सर्वेक्षण समिति ही थी जिसने यह सुझाव दिया था कि बड़ी बड़ी समितियां सुचारू रूप में कार्य नहीं कर रही हैं। ये बहुत ही बड़ी थीं, और वहां सहकारिता की भावनायें नहीं थीं। जहां तक ग्राम समितियों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ अशक्त हैं। उनमें पुनः शक्ति का संचार किया जा रहा है और मेरा विचार है कि यह ग्राम समितियां, जो कि अन्त में सेवा समितियों के रूप में हो जायेंगी, उचित रूप से कार्य करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा प्रश्न तो वास्तव में किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में था, न कि सैद्धान्तिक विचार के सम्बन्ध में कि किसने इसकी सिफारिश की थी और किसने नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तविक कार्य : क्या उसका अभी उत्तर दिया जा सकता है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने उत्तर तो दे दिया है । आजकल जो सेवा सहकारी समितियां हमारे विचार में हैं वे बड़ी बड़ी समितियों से अच्छी होंगी । यही कारण है कि हम बड़ी बड़ी समितियों से हटकर ग्राम समितियों पर आ गये हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : जो बड़ी बड़ी समितियां हैं कार्य तो कर रही हैं परन्तु उनका सहकारी रूप नहीं है । जो समितियां बहुत छोटी छोटी हैं वे सेवा करने के लिये अपर्याप्त हैं । यह अनुभव हुआ है ।

†**श्री त्यागी** : दोनों ही ग़लत हैं ।

†**श्री सु० कु० डे** : इसलिये, हमने इन दोनों के बीच का सूत्र स्वीकार किया है जिसके अनुसार लगभग ३००० की जनसंख्या वाले लगभग ६०० परिवार होंगे जो कि समिति के सच्चे अर्थों में सक्रिय सदस्य हो सकते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी कहते आए हैं कि हजार आदमियों . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने देशमुख साहब को बुलाया है ।

श्री विभूति मिश्र : एक बात.....

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या यह सच नहीं है कि लखनऊ सम्मेलन में यह पता लगाया गया था कि बहुत बड़ी प्रतिशत संख्या में ऐसी समितियां थीं जो कि सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहीं थीं तथा वे समाप्त कर देने योग्य थीं, और यदि हां, तो ऐसी समितियों की प्रतिशत संख्या कितनी है और इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : तृतीय योजना में निर्बल समितियों की प्रतिशत संख्या लगभग २५ प्रतिशत है, और यह आशा की जाती है कि लगभग १५ अथवा २० प्रतिशत समितियों में पुनः शक्ति का संचार किया जायेगा परन्तु अन्य समितियों को समाप्त करना आवश्यक है । सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि इन समितियों को पुनः सबल नहीं बनाया जाना चाहिये परन्तु उन्हें तुरन्त ही समाप्त कर देना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या में जान सकता हूं कि अक्सर स्पष्ट प्रकाश में लाये गये दुसाध्य दोषों को हटाने में तथा परिणामस्वरूप विधि में परिवर्तन करने से, जिसका कि माननीय मंत्री ने अभी अभी उल्लेख किया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सहकारी आन्दोलन में इतनी स्पष्ट कमियों को दूर करने में कहां तक सफलता मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे०** : विधि ही अन्तिम रूप से सहकारी आन्दोलन का भविष्य नहीं निश्चय करेगी.....

†**श्री भागवत झा आजाद** : परन्तु अभी अभी उपमंत्री महोदय ने कहा था कि विधि को बदला जा रहा है ।

†**श्री सु० कु० डे०** : वह तो एक गौण साधन होगा । मुख्य साधन तो जो कि सहकारी आन्दोलन को शक्ति प्रदान करने में सहयोग दे सकता है जनता की सजग तथा सुगठित राय होगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता परन्तु प्रायः हमें उपदेश दिये जाते हैं । हम तो यह जानना चाहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित सहकारी आन्दोलन में अब जो कमी आ गई है उसे विधि में जो परिवर्तन किया गया है, जिसका कि अभी अभी माननीय उपमंत्री ने उल्लेख किया है, वह कहां तक दूर कर सका है ?

†**श्री सु० कु० डे०** : विधि स्वयं ही पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रही है । अतएव, ऐसी लोक संस्थायें बनाने के बहुत गम्भीर तथा गहन प्रयत्न किये जा रहे है जो कि सहायता कर सकती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब उत्तर मिल गया ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, नहीं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : इस देश में पाठशाला, विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरों पर सहकारी समितियां प्रारम्भ करने के लिये मंत्रालय क्या प्रयत्न कर रहा है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : एक ऐसा दल था जिसने इस प्रयोजन के लिये पाठशाला, विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सिफारिश की थी । विश्वविद्यालय स्तर के लिये यह सिफारिश उप-कुलपतियों के सम्मेलन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । जहां तक पाठशालाओं तथा विद्यालयों का सम्बन्ध है, हमने इस मामले को शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राज्यों के साथ उठाया है और उन्होंने केवल पिछले एक साल से ही प्रारम्भ किया है और मेरा विचार है कि अगले तीन वर्षों में यह हो जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तीन हजार आदमियों पर कोआपरेटिव बनाई जाए । प्रधान मंत्री जी बराबर कहते आए हैं कि एक हजार की आबादी पर सर्विस कोआपरेटिव बननी चाहिये । दूसरी बात उन्होंने कही है कि आफिशल्ज़ के हाथ से नान-आफिशल्ज़ के हाथ में यह चीज़ आनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की बात चलेगी या आपकी चलेगी ?

†**श्री सु० कु० डे०** : यह निश्चय एक विशेष अध्ययन पर आधारित था जो अध्ययन कि सरकार के कहने से श्री वी० एल० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया गया था । वी० एल० मेहता समिति के प्रतिवेदन की मंत्रालय में, योजना आयोग में तथा स्वयं प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय समिति में जांच की गई थी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच नहीं है कि एमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद सहकारी समितियों का सब से कम रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि यह सच है तोक्या यह एडविज़िबल नहीं होगा कि एमरजेंसी तक इस सहकारिता आन्दोलन को रोक दिया जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्यामवर मिश्र : यह एडवेंचरिज्म नहीं होगा। यह और भी जरूरी है कि इस आन्दोलन को और तीव्र किया जाए।

सड़क बोर्ड

*३५०. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क बोर्ड की स्थापना के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (अ) यह विषय अभी भी विचाराधीन है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

†**श्री हेम राज** : क्या मैं जान सकता हूं कि मामले की कब से जांच की जा रही है और योजना को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस सवाल में कुछ संवैधानिक तथा अन्य कठिनाइयां हैं। जब तक राज्य सरकारें इस बात से सहमत न हो जायें कि उनके कुछ प्राधिकार और कार्य प्रस्तावित सड़क बोर्ड को हस्तांतरित कर दिये जायें तब तक अधिक प्रगति करना सम्भव नहीं है; हम उनके परामर्श में इस प्रश्न की जांच करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम राज : अब तक कितनी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी राय भेज दी हैं और कितनों ने नहीं भेजीं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस स्थिति में मैं यह नहीं बता सकता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार के लिये एक ऐसा सड़क बोर्ड बनाना सम्भव है जो कि केवल राष्ट्रीय राजपथों तथा उन सड़कों के सम्बन्ध में कार्य करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं और अन्य सड़कों सम्बन्धी कार्य को आजकल कुछ समय के लिये राज्य सरकारों पर छोड़ देगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि अब भी राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में भी निर्माण तथा संधारण सम्बन्धी कार्य राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। इस प्रकार यदि यह सोचा जाये कि प्रस्तावित सड़क बोर्ड इस निर्माण कार्य आदि को भी करे और इसे अपने हाथों में ले ले तो इसका अर्थ होगा एक बहुत बड़ी संख्या बनाना जिसके लिये हम कठिनाई अनुभव करते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सीमावर्ती सड़क समिति भी जिसके कि प्रधान मंत्री सभापति हैं इसी मंत्रालय के अधीन है और क्या माननीय मंत्री के हाथों में भी इसका कोई नियंत्रण है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुख्य प्रश्न का सीमावर्ती सड़क समिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह उससे अलग है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग संस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न एक सड़क बोड गठित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड तो इससे एक बिल्कुल भिन्न चीज़ है ।

†**श्री त्यागी** : क्या उसपर इस मंत्रालय का नियंत्रण होगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सीमावर्ती सड़क समिति भी इसी बोर्ड के अधीन होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : सिफारिशों में भी यह नहीं दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : नियोगी समिति ने, जिसे कि परिवहन की आम समस्याओं की जांच करने का कार्य भार सौंपा गया था, अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति कर ली है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह पुनः एक ऐसा प्रश्न है जो कि मूल प्रश्न से उठना अत्यन्त कठिन है ।

समुद्रपार संचार सेवा

†*३५१. **श्री हेडा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपार संचार सेवा को अपने कार्य में कोई कठिनाई हो रही है ;

(ख) यह सेवा अब भी किस सीमा तक अपर्याप्त है ;

(ग) सेवा की क्षमता तथा कुशलता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) "ट्रांजिस्ट्राइज्ड आटोमेटिक एररकरेक्टिंग इलैक्ट्रानिक ब्रेन" की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). यह सेवा पर्याप्त है और अच्छी तरह चलाई जा रही है । दिन प्रतिदिन की उन्नति के अनुसार आधुनिक तरीकों को प्रयोग किया जाता है ।

(घ) हाल के महीनों में काम का भार बढ़ जाने के कारण होने वाले थोड़े न रोके जा सकने वाले विलम्ब को छोड़ कर, ट्रांजिस्ट्राइज्ड मल्टीप्लैक्स उपकरण लगाने में कोई असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है । चौदह इकाइयां लगाई जा चुकी हैं और शीघ्र ही कुछ और इकाइयां लगाई जायेंगी ।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच नहीं है कि अक्तूबर/नवम्बर १९६२ के महीनों में जब चीनी आक्रमण हो रहा था, समुद्रपार संचार सेवा पर बहुत भार पड़ा था और यह सेवा अपर्याप्त पाई गई ?

†**श्री भगवती** : अक्तूबर/नवम्बर/दिसम्बर १९६२ में यातायात बहुत बढ़ गया था । किन्तु इसे पूरा किया जा सका था ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने अक्तूबर से पहले के यातायात में वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है और उस के बाद, और यदि हां, तो क्या विद्यमान सेवा के द्वारा बढ़ा हुआ यातायात पूरा किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : संकट काल में, स्वभावतः समुद्रपार संचार पर कार्यभार बहुत अधिक था । किन्तु हम उस सारे यातायात को पूरा कर सके थे जो इस सेवा को करना पड़ा और इस ने विदेशी संवाददाताओं को बहुत अधिक सन्तोष दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के कारखानों को बोनस

+

†*३५२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री बासप्पा :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले चीनी के कारखानों को नकद **बोनस** देने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है और ऐसा करने का क्या औचित्य **है** ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री क सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : चीनी उत्पादकों को नकदी लाभों के प्रोत्साहन के अतिरिक्त, **क्या** सरकार ने उन को कोई और वैकल्पिक प्रोत्साहन देने का विचार किया है ?

†**श्री शिन्दे** : इस समय प्रोत्साहन देने का कोई प्रश्न नहीं है । किन्तु जैसा कि गत सप्ताह **सभा** पटल पर बताया जा चुका है, सरकार द्वारा प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के हेतु योजनाएं बनाई जा **रही हैं** । मैं सभा में बता भी चुका हूं कि पैकेज प्रोग्राम के समान उत्तरी भारत के राज्यों में विशेष **रूप** से उपज बढ़ाने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : खेत में उपज बढ़ाने की योजनाओं के अतिरिक्त, चीनी निर्माताओं **के** लिये किन प्रोत्साहनों का विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जहां तक इस वर्ष प्रोत्साहन का **सम्बन्ध** है, यह बेकार है, इस का लाभ नहीं होता, क्योंकि अभी प्रोत्साहन देने से उत्पादन नहीं **बढ़ेगा** । यदि मा० सदस्य का अभिप्राय दूसरे या तीसरे वर्ष से है, तो हमारे पास उत्तरप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएं हैं और हम उन को बिहार में भी उन के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हम उस उपकर का कुछ भाग खर्च कर सकें, जो वह वसूल करते हैं और जिस में हम बराबर का हिस्सा देंगे ताकि हम ऐसे हालात पैदा कर सकें जिन से उत्पादन बढ़े ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांन्ती : क्या सरकार गन्ने का जो उत्पादन है, किसान है, उस को भी किसी रूप में, किसी तरह का कुछ भाग देगी ?

†**श्री शिन्दे** : विचार यह है कि गन्ना उपकर निधि में केन्द्रीय सरकार की ओर से उतना ही राशि दे कर कृषकों की सहायता की जाय ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मा० मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल संकट में हैं ? यदि हां, तो क्या संकट है और इस को हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : यह इस प्रश्न से नहीं उठता । यह पृथक मामला है और इस पर ध्यान दिया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने एक ध्यान दिलाना की सूचना दी थी जिसे मैं ने अस्वीकार कर दिया । अतः वह प्रश्न के द्वारा उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल** : संकट यह है कि इस वर्ष बहुत अधिक गन्ने से गुड़ बनाया गया है क्योंकि उसके भाव बहुत अच्छे थे, और इस कारण कुछ मिलों को शीघ्र बन्द होना पड़ेगा । संभवतः मुख्य मंत्री ने इसी संकट का उल्लेख किया हो ।

एयर इंडिया के लिये 'बोइंग' विमान

†*३५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया दो 'बोइंग' विमान खरीदने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है और उसका भुगतान कितनी अवधि में किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). सरकार ने, इस आधार पर, कि निगम परियोजना की लागत को पूरा करने के लिये विदेश से अपेक्षित ऋण प्राप्त करेगा, ५.५ करोड़ रुपये की कुल लागत पर एयर इंडिया द्वारा ७०७–३२० वी बोइंग विमान खरीदने की अनुमति दी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जब दो विमान खरीदने का विचार था, तो एक ही विमान खरीदने का क्या कारण है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वर्तमान अवस्था में विदेशी ऋणों का दायित्व सीमित मात्रा में रखने वांछनीय हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : एयर इंडिया में इस समय कितने बोइंग विमान हैं, और क्या आक्सीजन निकल जाने से खराब हुए विमान की मरम्मत की जा चुकी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उस की मरम्मत की जा चुकी है । वर्तमान संख्या छः है और सातवां विमान खरीदा जाने वाला है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस विमान की कीमत क्या होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या तीसरी योजना में एक या दो बोइंग खरीदने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एक बोइंग खरीदा जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि पिछले इन बोइंग विमानों की कीमत लगभग ४ करोड़ रुपये थी । अब हम उन में ५॥ करोड़ दे रहे हैं और यदि ऐसी बात है तो इस कीमत बढ़ने के कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : दो विमानों की कीमत में अन्तर है । पहला ७०७–४२० था और यह ७०७–३२० बी है । कुछ अन्तर हो सकता है, किन्तु अधिक नहीं ।

†**श्री मुरारका** : १।। करोड़ रुपये ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं ।

†**श्री मुरारका** : पहले ४ करोड़ रुपये थी और अब ५।। करोड़ रुपये है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह इस अन्तर का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे बढ़े हुए मूल्य का ब्यौरा मालूम नहीं । मूल्य में वृद्धि है, किन्तु मुख्य तथा एक कारण यह है कि जब हम पुर्जे आदि खरीदते हैं अर्थात् एक ही समय छः विमान खरीदते हैं तो उन के लिए कीमत कम होती है जबकि एक की कीमत अधिक होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह सूचना नहीं मांग रहे ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने एक या दो लाइनों को बन्द करने का विचार किया है जो लाभप्रद नहीं, उदाहरणार्थ दिल्ली से मास्को या लन्दन न्यूयार्क ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वे अलाभप्रद नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सरकार द्वारा अन्य कारणों से लगाये जा रहे विदेशी यात्रा पर अत्यधिक प्रतिबन्ध के साथ इतनी भारी कीमत से एयर इंडिया में नये विमान लाने की बात का सरकार कैसे स्पष्टीकरण कर सकती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्रतिबन्ध विश्व यात्रा पर नहीं । प्रतिबन्ध भारतीयों को विदेश गमन पर हैं और एयर इंडिया संसार भर में जाता है । तथापि, पिछले अनुभव से यह पाया गया है कि भारत में जाने वाला यातायात बहुत अधिक कम नहीं हुआ ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : एयर इंडिया को दो के स्थान पर केवल एक विमान देने की अनुमति देने में, वे किन मार्गों पर विमान चलाना चाहते थे और जिसे अब वह रोकेंगे ? जब वे दो विमान खरीदना चाहते थे, तो उनके पास कुछ यातायात होगा और दो विमानो के लिये कुछ मार्ग भी होंगे । केवल एक जहाज होने पर वे किस मार्ग या यातायात को घटाना चाहते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : कोई मार्ग नहीं हटाया गया । जब उन्होंने दो बोइंग खरीदने का विचार किया, उन्होंने सोचा कि मन्दे समय में वे क्षमता का उपयोग भारत में कर सकते हैं । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इसे अच्छा नहीं समझा । हम ने भी यह सोचा कि हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों की दृष्टि से दो बोइंग खरीदना सर्वथा वांछनीय नहीं होगा, जब हम केवल एक से गुजारा कर सकते हैं ।

†**श्री जोकीम अल्वा** : क्या इस परियोजना की ओर समुचित ध्यान दिया गया है कि क्या एक अंगरेजी विमान कम्पनी तथा एक फ्रांसीसी विमान कम्पनी के सक्रिय सहयोग की दृष्टि से जो उसी मार्ग पर जिस पर कि यह बोइंग चलेगा, अतलांतिक के समुद्र सर्वाधिक तेज यात्री जहाज के साथ सुपरसोनिक जेट चलायेगी, बोइंग विमान खरीदने पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : मैं समझता हूं कि सुपरसोनिक पांच, दस या पन्द्रह वर्षों के पश्चात् आयेगा । मुझे पता नहीं, कब । किन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है ।

डाक तथा तार मंत्रणा समितियां

†*३५४. **श्री हरि विष्णु कामत** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक सर्किल के लिए डाक तथा तार मंत्रणा समितियां गठित कर दी हैं अथवा उनका गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों की सदस्यता का आधार अथवा कसौटी क्या है; और

(ग) समितियों के कृत्य तथा शक्तियां क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० ६३४/६३]**

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में दो बात अस्पष्ट हैं, उनका स्पष्टीकरण किया जाये । पहली बात यह है कि अनुबंध में स्तम्भ ३ में 'राज्य और राज्य-संघों' शीर्षक में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सामने स्थान खाली है । दूसरी बात यह है कि स्तम्भ ५ के सामने तीसरी बात के सामने तारांकित चिह्न है । ऐसा पढ़ा जाता है : "पश्चिम बंगाल . . . १ जमा १* मद्रास २* ।" किन्तु टिप्पण नहीं है जिस से यह पता चल सके कि इस तारा संकेत का क्या उद्देश्य है । इस को अनुपूरकों में न गिना जाये ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्री कामत ने विवरण को पूरी तरह नहीं पढ़ा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बिना अनुपूरक के सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुख्य विवरण में कंडिका ४ इस प्रकार पढ़ी जाती है :—

"प्रत्येक सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी । सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य पुनः नियुक्ति के लिये अर्ह होंगे । समिति के सदस्य राज्य सरकारों, वाणिज्य मंडलों आदि द्वारा, जिन्होंने उनको नामांकित किया है, हटाये जा सकेंगे । मैं यहां नया विवाद खड़ा करना नहीं चाहता । अनुबंध में एक स्तम्भ संसद सदस्यों के बारे में है । क्या संसद् सदस्यों की संख्या दोनों सभाओं में समान होगी, जहां संख्या है या अन्य मामलों में संसद सदस्यों का नाम निर्देशन किस अधिकारी द्वारा किये जायेंगे ? क्या उन को नाम निर्देशित किया गया है ? पिछले वर्ष ? मुझे याद नहीं ?

†**श्री भगवती** : इसका उत्तर संसदीय-कार्य मंत्री ही दे सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संसद्-कार्य मंत्री सदस्यों का नाम निर्देशन नहीं करता । आप सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तर्क का विषय है । इसका उत्तर दिया जाये ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : रेलवे और डाक व तार सम्बन्धी जो समितियां सभा की समितियां नहीं है और हम उन सदस्यों को नामनिर्देशित करते है, जो उस क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

के होते हैं, मंडल या डिवीजन रेलों पर या डाक व तार मंडलों ने। हम ने सोचा है कि संसद्-कार्य मंत्री से परामर्श करना वांछनीय होगा, और चूंकि समिति सभा की नहीं है, इसलिये इस मामले में अध्यक्ष महोदय को कष्ट देना आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह उत्तर असंतोषजनक है। आप इस मामले पर विचार करें। मंत्री जी ने पिछले--शायद उनके मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी वाद-विवाद की समाप्ति पर--सभा से प्रतिज्ञा की थी कि शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लिये एक पृथक डाक व तार मंडल बनाया जायेगा। इस समय ऐसी बात नहीं। विवरण में मैं देखता हूं कि जहां तक राज्य के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, केवल एक आदमी है और वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्देशित है। जहां तक संसद् सदस्यों के बारे में सम्बन्ध है, मध्य मंडल के बारे में, यह मालूम नहीं और यह भी साफ नहीं कि सदस्य कौन हैं, आया वे विदर्भ से हैं या मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के लिये डाक व तार का यह एक मंडल कब बनने वाला है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे विचारानुसार यह प्रश्न उठता है, क्योंकि संसद् सदस्यों की संख्या केन्द्रीय मंडल के लिये तीन है। आप मद संख्या १३ को देखने की कृपा करें। यह विदर्भ तथा मध्य प्रदेश दोनों के लिये है। मध्य प्रदेश के लिये पृथक से मालूम नहीं। इन 'तीन' में कौन कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने डाक व तार विभाग के प्रत्येक मंडल के लिये सलाहकार समितियां बनाई हैं या बनाने का विचार किया है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं आपका विनिर्णय मानता हूं। डाक व तार विभाग के मध्य मंडल में मध्य प्रदेश के कितने सदस्य होंगे ?

†**श्री भगवती** : मैं यह सूचना बताने में असमर्थ हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उनको इस समय मालूम ही नहीं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, इन परामर्श दात्री समितियों ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इनकी सिफारिशें जो केन्द्रीय सरकार को भेजी जाती ह उनको अक्सर कार्यान्वित नहीं किया जाता, और कई बार तो वर्षों तक उनका उत्तर नहीं दिया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डाइरेक्टर जनरल को और पोस्ट मास्टर जनरल को आदेश जारी किया गया है कि इन की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाये ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, इन कमेटियों के द्वारा जो सिफारिश की जाती है, उन में जो सिफारिशें व्यावहारिक होती हैं उनको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण क्षेत्र में पत्तन सुविधायें

+

†*३५५. { श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात वस्तुओं के शीघ्र लदान के लिए दक्षिण क्षेत्र में पत्तन सुविधाओं को सुधारने के सम्बन्ध में व्यापार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९३५/६३]**

†**श्री प० कुन्हन** : बड़े पत्तनों के अतिरिक्त, क्या बेपोर और कोलमी परियोजनाओं में सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : कुछ प्रस्ताव है और योजनायें भी जो तीसरी योजना में राज्य क्षेत्र में शामिल हैं और वे उस में आती हैं ?

श्री प० कुन्हन : क्या कोचीन बन्दरगाह के प्रशासनिक अफसर ने इस के बारे में अपने प्रस्ताव दे दिये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : केवल एक सिफारिश कोचीन पत्तन के बारे में है । वह जमाये गये माल के लिये एक मालगोदाम बनाने के बारे में है । इस का उल्लेख उन से किया जा चुका है और मुझे विश्वास है कि वह स पर विचार करेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माल को ढोने आदि के प्रश्न के बारे में, सरकार रक्षित भागों पर श्रमिकों की आकस्मिकता को हटा कर उनको नियमित रूप में रखने का विचार करती हैं और यदि हां, तो क्या वह इस मामले में कोई अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं, समझता कि व्यापार बोर्ड ने कभी ऐसी सिफारिश की थी । मेरी इस बात में शुद्धि की गुंजाइश हो सकती है । यदि यह उसके बाहर है, तो मुझे पृथक् सूचना की जरूरत है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार दक्षिण प्रदेश में बीच के तथा छोटे पत्तनों के विकास के लिये मंजूर राशियों पर निगरानी रखती है और क्या राशि प्रतिवर्ष पूर्णतया खर्च की जाती है या बाकी बच जाती है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम राज्य क्षेत्र पर अधिक से अधिक निगरानी रखते हैं, क्योंकि छोटे और बीच के पत्तनों का विकास राज्य सरकार के अधीन है । अब भी हमें आशा है कि राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखेंगी कि आवंटित राशियां खर्च की जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती के क्षेत्र

+

†३५७. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री जेना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में कितने अतिरिक्त भू-क्षेत्र में खेती की जाने लगी थी ;

(ख) क्या खेती के अधीन बढ़ाया गया भू-क्षेत्र तीसरी तंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार है ; और

(ग) खेती के अधीन लाये गये अतिरिक्त भू-क्षेत्र के कारण खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों की कितनी अतिरिक्त उपज हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का अन्तिम अनुमान १९६१–६२ के लिये ही प्राप्त है। इसके अनुसार १९६१–६२ में पिछले वर्ष की तुलना में ४६ लाख ६० हजार एकड़ की वृद्धि हुई है। १९६२–६३ के ऐसे ही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं।

(ख) १९६१–६२ के ही आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि किसी वर्ष में खेती का क्षेत्र बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, मुख्य बात बोने के समय मौसम की होती है।

(ग) खेती में लाये गये अतिरिक्त क्षेत्र की उपज के बारे में पृथक् आंकड़े जमा नहीं किये जाते। १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में एकड़ तथा उत्पादन सम्बन्धी पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० ९३६/६३]**

†**श्री दे० जी० नायक** : तीसरी योजना में खार भूमि या खेती योग्य बेकार भूमि आदि के कृष्यकरण द्वारा जिस अतिरिक्त क्षेत्र पर खेती को जाएगी, वह ३२ लाख एकड़ निश्चित की गई है। उस लक्ष्य के अनुसार कितने अतिरिक्त क्षेत्र पर खेती की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : तीसरी योजना के अध्याय १२ के अनुसार, क्षेत्र कृष्यकरण आदि के द्वारा २३५ लाख एकड़ तक बढ़नी चाहिये। १९६१–६२ में, ३३५२७० एकड़ का कृष्यकरण किया गया था। १९६२–६३ में कृष्यकरण का लक्ष्य ५९९ ३७० एकड़ है।

†**श्री दे० जी० नायक**: चम्बल और माही नदी क्षेत्रों में कितनी खार भूमि का कृष्यकरण किया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : चम्बल के बारे में, काफी भूमि का कृष्यकरण नहीं हुआ किन्तु हम वहां यह काम करने की योजना कर रहे हैं। हमने विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को वहां काम आरम्भ करने के लिये कहा है। कठिनाई बेलडोजरों की है, क्योंकि वहां भूमि का कृष्यकरण बहुत कठिन है। परन्तु हम बुलडोजर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : भूमि में सर्वतोमुखी वृद्धि है किन्तु खाद्य फसलों की कुल उपज में कमी है। क्या इसका कारण यह है कि खाद्य फसलों की तुलना में दूसरी फसलों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है ?

†डा० राम सुभग सिंह: दूर फसलों के सम्बन्ध में उपज कम थी क्योंकि इस पर पाले का बहुत आसानी से असर होता है। गतवर्ष कम उपज का यही कारण था। किन्तु अन्य फसलों की उपज में वृद्धि हुई है।

†श्री बड़े : मध्य प्रदेश और बम्बई में जो फारेस्ट एरिया कल्टीवेशन में लाया गया है, क्या उसको भी इसमें इन्क्लूड किया गया है ? इस बारे में सरकार की पालिसी क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : जो जमीन रीक्लेम की गई है, उसमें तो ज्यादातर उसी प्रकार की है। वनों के बारे में पालिसी यह है कि करीब करीब एक तिहाई यानी ३३·३ प्रतिशत जमीन जंगलों में रखी जाए, लेकिन अभी बहुत कम जमीन है--२४ प्रतिशत के ही करीब है। नीति यही है कि इसको बढ़ाया जाये और जो ख़राब जंगल के इलाके हैं, उनमें अच्छे पौधे लगा कर वहां पर जंगल बढ़ाए जायें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उष्ण कटिबन्धीय ऋतु विज्ञान संस्था के लिये सहायता

†३४२. { श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि की प्रशासी परिषद् ने पूना में उष्ण कटिबंधीय ऋतु विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए कुछ रकम देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम का अश्वासन दिया गया है ; और

(ग) उपर्युक्त संस्था में किस प्रकार का अनुसन्धान किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी डालर ८,१८,५००।

(ग) संस्था उष्ण कटिबन्धीय ऋतु विज्ञान, अल्प तथा मध्यम दूरी ऋतु पूर्व सूचना देने (तीन दिन से सप्ताह पूर्व पहले तक) मोनसून, उष्ण कटिबंधीय बवंडर। जल सम्बन्धी ऋतु विज्ञान, वर्षा का तथा बादलों का विज्ञान, राडार ऋतु विज्ञान आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करेगी।

दूध का उत्पादन

†*५६. श्री वासप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पचवर्षीय योजना में दूध का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि की जायेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). दूध के उत्पादन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं हुआ । तथापि दूध के वर्तमान उत्पादन का अस्थायी तौर पर अनुमान ५८११·८० लाख मन, १९५६ में प्राप्त दूध उत्पादन औसतन तथा पशु गणना १९६१ के आंकड़ों के आधार पर है । योजना आयोग ने तीसरी योजना के लिये २५३ लाख टन (६९५७·५ लाख टन) का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ग) पशुओं का सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाना राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व हैं । उनकी सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने तीसरी योजना के अन्तर्गत पशुपालन और डेरी विकास की बहुत सी योजनाएं चलाई हैं । तीसरी योजना में शामिल अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची संलग्न है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को, संकटकालीन आय के तौर पर, दूध का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, पहले से चालू या चालू होने वाली डेरी परियोजनाओं के दुग्ध शैड क्षेत्रों में १३० सघन पशु विकास खण्ड स्थापित करने के लिये हाल ही में कहा गया है ।

विवरण

१. अखिल भारतीय आदर्श गांव योजना ।
२. गौशाला विकास योजना ।
३. खुराक और चारा विकास योजना ।
४. सरकारी पशु फार्म हिसार का पुनर्गठन ।
५. बढ़िया बछड़ों को पारितोषक ।
६. लावारिश पशु पकड़ने की योजना ।
७. पहाड़ी तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पशुओं का वर्ण-संकरन
८. सन्तति जांच योजना ।
९. सघन पशु विकास योजना ।

अनेमी पोत तथा खुला सामान ढोने वाले जहाज

†*३५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेमी पोत तथा खुला सामान ढोने वाले जहाजों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३२,००० डी० डब्ल्यू० डी० प्रत्येक के सात खुला सामान ले जाने वाले जहाज बनाये जा रहे हैं और मई १९६४ तक धीरे धीरे दिये जायेंगे । ३१००० डी० डब्ल्यू० डी० का एक खुला सामान ले जाने का जहाज तथा २१००० डी० डब्ल्य० डी० प्रत्येक के तीन अयस्क । तेल ले जाने वाले जहाजों के निर्यात के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुनीराबाद स्टेशन के निकट दुर्घटना

†*३५९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मुनीराबाद स्टेशन के निकट ८ फरवरी, १९६३ को अथवा उस तिथि के आस पास कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की दुर्घटनास्थल पर तथा कितने व्यक्तियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई ;

(ग) दुर्घटना किस प्रकार की थी तथा क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया है तथा यदि हां, तो कितना ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । मुनीराबाद और गिनिगेरा स्टेशनों के बीच ।

(ख) स्थल पर कोई नहीं मरा । तीन व्यक्ति हस्पताल जाते जाते और एक हस्पताल में मर गये ।

(ग) ८-२-६३ को लगभग ५ बजकर २६ मिनट पर, जब २२७ अप यात्री गाड़ी मुनीराबाद और गिनिगरा स्टेशनों के बीच चल रही थी, तीसरी श्रेणी के डिब्बे के पैरदान में खड़े छः व्यक्ति, पटरी के बिल्कुल साथ खड़ी एक मोटर लारी से टकरा गये, जो निर्धारित मानक स्थानों का उल्लंघन किये थी । वे गिर गये और उनको चोटें आईं ।

रेलवे अफसरों की एक समिति ने दुर्घटना की जांच की ।

(घ) जी नहीं ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†*३६०. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पु० चं० देवभंज :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भारत में विमान सेवा सुधारने के लिए कदम उठा रहा है ;

(ख) क्या "कैरावल" विमानों के समान जैट विमानों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ३ या ४ कैरावील जैट विमान खरीदने का निगम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

खाद्यान्नों के भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

*३६१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के भेजे जाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों की नवीनतम स्थिति क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इन प्रतिबन्धों को हटाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें खाद्यान्नों के लाने ले जाने के बारे में वर्तमान प्रतिबंध दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) . विवरण से यह पता चलता है कि मुख्य प्रतिबंध चावल, धान और कुछ मंडलीय व्यवस्थाओं के अधीन उनके उत्पादनों से संबंध रखता है । इन मंडलीय व्यवस्थाओं पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाता है और जब परिवर्तन करना आवश्यक तथा संभव समझा जाता है, तो किया जाता है । इस समय वर्तमान व्यवस्था में किसी परिवर्तन का विचार नहीं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९४३/६३]**

साहित्य सम्बन्धी व्यय

*३६२. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित साहित्य पर वर्षवार कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय में अंग्रेजी से हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कराने की उचित व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार के अनुवाद ठेके पर बाह्य अभिकरण द्वारा कराये जाते हैं ; और

(ग) ऐसा अनुवाद मंत्रालय में कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

१९६०–६१	१९६१–६२
१२,०९,३३२.८१ रुपये	१२,९१,२५१.३३ रुपये

(ख) जी नहीं । खाद्य विभाग की केवल वार्षिक रिपोर्ट ही ऐसा प्रकाशन है जिसका हिन्दी अनुवाद बाहर से कराया जाता है ।

(ग) अभी खाद्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद मंत्रालय में कराने के लिये विशेष प्रबन्ध करने का कोई विचार नहीं है ।

फर्मों पर काम का बढ़ाया जाना

†*३६३. **श्री प्र चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों को फार्मों पर काम के बढ़ाये जाने की नयी योजना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) योजना आयोग ने विभागीय फार्मों पर काम को बढ़ाने की किसी योजना की सिफारिश नहीं की है। परन्तु भारत सरकार ने चावल, ज्वार, बाजरा, वनस्पतियों, रूई और तिलहन की विभिन्न राज्यों में खेती को सघन बनाने के कार्यक्रम की सिफारिश की है।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित वस्तुओं की खेती बढ़ायें :—

(१) ४० ज़िलों में चावल (२) १०० ज़िलों में ज्वार बाजरा तथा दाल (३) १९ ज़िलों तथा क्षेत्रों में रूई (४) २४ यूनिटों में मूंगफली तथा (५) आसाम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सीमान्त राज्यों में वनस्पतियां।

(ग) बहुत से राज्यों ने चावल, दाल, ज्वार बाजरा, रूई तथा मूंगफली की खेती को सफल बनाने का कार्यक्रम लागू करने की स्वीकृति दे दी है। वनस्पतियों के लिए आसाम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार ने ४८, ३५९ एकड़ पर कार्यक्रम बनाया है।

'अलिटालिया' विमान दुर्घटना

†*३६४. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र कु० घोष :
श्री मते :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई १९६२ में पूना के निकट अलिटालिया डी० सी-८ विमान दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त जांच न्यायालय ने अपना काम समाप्त कर लिया है तथा सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्रियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). जी हां। जांच न्यायालय का प्रतिवेदन सरकार को २३ फरवरी, १९६३ को मिला है तथा अब विचाराधीन है।

कृषि मूल्य सम्बन्धी नीति

†*३६५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हुई "कृषि मूल्य नीतियों को लागू करने के विपणन पहलू सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

एफ० ए० ओ० (खाद्य तथा कृषि संगठन) **इकाफे** (एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग) **प्रविधिक बैठक**" में किन न सुझावों पर चर्चा हुई थी ;

(ख) उस में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इन निर्णयों के आधार पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ग). एफ० ए० ओ०—इकाफे द्वारा "कृषि मूल्य नीतियों को लागू करने के विपणन पहलू संबंधी प्रविधिक बैठक" बुलाई गई थी जिस से इस क्षेत्र के देशों द्वारा अपनाई गई मूल्य नीतियों के विपणन पहलू तथा कृषि वस्तुओं और उपभोक्ताओं पर उन के प्रभाव का प्रविधिक अध्ययन हो सके। बैठक में किसी निर्णय लिये जाने की आशा नहीं थी। बैठक ८ मार्च को समाप्त हो गई थी तथा उसके प्रतिवेदन को अभी एफ० ए० ओ०/इकाफे ने अन्तिम रूप नहीं दिया है। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद बुठक में हुए निर्णयों पर सरकार द्वारा ली जाने वाली सिफारिश पर कार्यवाही का विचार किया जायेगा ।

इटली और स्पेन से पर्यटक

†*३६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २५ फरवरी, १९६३ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इटली तथा स्पेन से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भारतीय प्रचार का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) इटली और स्पेन के पर्यटक प्रचार यात्रा व्यापार के साहित्य के प्रेस विज्ञापनों तथा वितरण से होता है। क्योंकि इन देशों में भारत सरकार का कोई पर्यटन कार्यालय नहीं है इसलिए भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, पेरिस, इटली तथा स्पेन के कभी कभी दौरे करते हैं जिन से यात्रा व्यापार स्थापित हो सके। इन देशों के प्रसिद्ध यात्रा अभिकर्त्ता, जिन का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा समाचार में किया गया है, को घर की यात्रा स्थिति बताने के लिए आमंत्रित किया गया था जिस से वह अपने ग्राहकों को भारत के पर्यटन की पर्याप्त सलाह दे सकें ।

मोटर कारें

६३७. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने के समय तथा ३१ दिसम्बर, १९६२ को भारत में प्रयोग में लाई जाने वाली मोटरकारों (जीप-गाड़ी सहित) की संख्या कितनी थी ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर यह संख्या कितनी होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) क्रमानुसार संख्या इस प्रकार है—

१,४७,७१२, १,८७,८६६, २,९१,५३२ और लगभग ३,२०,००० ।

(ख) लगभग ४,००,००० ।

सफीपुर तथा बांगड़मऊ स्टेशनों पर प्लेटफार्म

†६३८. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि उत्तर रेलवे के कानपुर-बालामान ब्रांच लाइन के सफीपुर तथा बांगड़मऊ स्टेशनों पर ऊंचे तथा छत वाले प्लेटफार्म नहीं हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन स्टेशनों पर ऊंचे तथा छत वाले प्लेटफार्म बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) सभी उचित बातों का ध्यान रख कर यात्री सुविधाओं की रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति जिस के साथ जनता की राय सम्बद्ध है, के परामर्श से स्टेशनों पर व्यवस्था की जाती है । धन उपलब्ध होने पर सफीपुर तथा बंगारमाऊ स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

मेथीटीकुर रेलवे स्टेशन

†६३९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में उत्तर रेलवे को कानपुर बालामान ब्रांच लाइन के मेथीटीकुर रेलवे स्टेशन पर यात्री टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ;

(ख) एक हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में परिवर्तित करने के लिये सरकार किन बातों पर विचार करती है ; और

(ग) क्या सरकार मेथीटीकुर हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): (क) जनवरी, १९६३ के अन्त तक छः महीनों में १६,०३७ रुपये १६ नये पैसे ।

(ख) वित्तीय अथवा यात्री सुविधाओं के आधार पर हाल्टों को फ्लैग स्टेशन बनाया जाता है

(ग) उत्तर रेलवे परिवर्तन के अभ्यावेदन पर विचार कर रहा है ।

मोटर साइकलें

६४०. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ होने के समय तथा ३१ दिसम्बर, १९६२ को भारत में प्रयोग में लाई जाने वाली मोटर साइकिलों (स्कूटर, आटोसाइकिल सहित) की संख्या कितनी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरा होने पर यह संख्या कितनी होने का अनुमान है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) क्रमानुसार संख्या इस प्रकार है :

२६,८६० ; ४०,९६१ ; ९६,४१९ और लगभग १२८,००० ।

(ख) लगभग २,५०,००० ।

मुर्गी पालन का विकास

†६४१. { **श्री बृजराज सिंह कोटा ।**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मुर्गी पालन के विकास के लिए राज्य सरकारों से अधिक धन देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्योरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आ० मा० थामस)** (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग पचास बड़े मुर्गी उत्पादन-व-विपणन खण्ड बनाने का उपबन्ध है जिन में से प्रत्येक की अनुमानित लागत एक लाख रु० होगी । १९६२-६३ के अन्त तक ऐसे सात खण्ड बन चुके हैं जबकि और अठ्ठाईस खण्डों को तीसरी योजना के बाकी समय में खोलने का विचार है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से और मूल्यों को स्थिर रखने की दृष्टि से हाल में राज्य सरकारों से सिफारिश की गई है कि वे बड़े पैमाने पर सोलह और खण्ड बनायें जिन में से प्रत्येक की लागत ६·४७ लाख रु० हो । राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे अपनी अपनी योजना की उच्चतम सीमा में फेरबदल कर के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था करें ।

मनीपुर चावल

†६४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र के अतिरिक्त अन्य स्थान के चावल, अर्थात्, मनीपुरी चावल के ३४७ मन २० सेर के बाकी १३९ बोरे न्यायालय ने मुक्त कर दिये हैं ;

(ख) क्या वह बेचा जा चुका है और किस मूल्य पर बेचा गया है और अपराधी से मूल्य में हुई हानि वसूल कर ली गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो चावल की क्या हालत है ; और

(घ) क्या अपराधी को कोई दण्ड दिया गया है और यदि हां तो क्या दण्ड दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आ० मा० थामस)**: (क) से (घ). जानकारी मनीपुर प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीग्राफ की तारों की चोरी

६४३. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अन्दाजा लगाया गया है कि १९६२–६३ में टेलीग्राफ तारों की चोरियों के कारण सरकार की कितनी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो हानि का राज्यवार विवरण क्या है और १९६१-६२ की तुलना में इस की स्थिति क्या है ; और

(ग) इन चोरियों में कितने व्यक्ति शामिल हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) अभी तक नहीं । पिछले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में ऐसा अन्दाज़ा सामान्य रूप से जून के महीने में लगाया जाता है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डी० बी० के० रेलवे का मुख्यालय

†६४४. { श्री महानन्द :
डा० कोहोर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा यह सच है कि डी० बी० के० रेलवे का मुख्यालय बोलनगीर के बजाये वाल्टेयर में स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) डी० बी० के० रेलवे परियोजना का मुख्यालय वाल्टेयर में बनाया गया है क्योंकि इस कार्य के लिये यह स्थान अत्यधिक उपयुक्त था ।

पटनागढ़ का छोटा डाकखाना

†६४५. { श्री महानन्द :
डा० कोहोर :

क्या परिहन तथा संचार मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोलनगीर जिला—उड़ीसा में पटनागढ़ के छोटे कारखाने की और उसके कर्मचारियों के लिए कोई इमारत नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में सरकार का विचार ये इमारतें बनाने का है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) पटनागढ़ का छोटा डाकखाना किराये की इमारत में है । उसी इमारत में सब-पोस्ट मास्टर को रहने के लिए जगह दी गई है ।

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में विभागीय इमारत बनाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, किराये पर और जगह लेने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कटक स्टेशन के रेलवे फाटक पर दुर्घटना

†६४६. श्री राम चन्द्र मलिक :
श्री गो० महन्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक स्टेशन के रेलवे फाटक पर हाल में हुई दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बन्द करने के नये स्वचालित प्रबन्ध के होने के बाद उस रेलवे फाटक पर कितनी दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ग) और क्या सुधार करने का विचार है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): (क) और (ख). हां। ऐसी चार दुर्घटनायें हुई थीं। इन सब दुर्घटनाओं में मोटर ठेले फाटक के विरुद्ध टकराये और उन्हें क्षति पहुंचाई परन्तु रेलगाड़ी से कोई टक्कर नहीं हुई।

(ग) १. नई केबिन से विच द्वारा इस फाटक को प्रयोग करने से पहिले केबिन मैन बिजली से एक स्विच को प्रयोग करता है जिससे फाटक से लगभग २० से ३० फीट की दूरी पर लगी दो बिजली की घंटियां बजती हैं जो आने वाले सड़क-यातायात को चेतावनी देती हैं।

२. बेरिचर गट से ५० से ८० फीट की दूरी पर दोनों ओर कॉशन बोर्ड लगे हैं जिन पर अंकित है 'चेतावनी—घंटी बजने पर पूर्णतया रुक जाओ'। यह चेतावनी उड़िया तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है।

३. यद्यपि इस नये प्रबन्ध के होने से, दरबानों के पद समाप्त होने थे, फिर भी प्रथम दुर्घटना के बाद दरबानों को उस समय तक कार्य पर रखने का निश्चय किया गया जब तक कि इस रेलवे फाटक के सड़क उपभोक्ता नई प्रणाली के आदी न हो जायें।

४. रेलवे फाटक के बन्द होने की नई व्यवस्था के बारे में जनता को प्रेस तथा रेडियो द्वारा बताया गया था।

५. पहिले से लगी बिजली की दो घंटियों के अतिरिक्त, तीसरी घंटी स्टेशन जाने वाली सड़क और रेलवे फाटक के ऊपर से जाने वाली मुख्य सड़क के चौराहे के पास रेलवे फाटक के पश्चिमी ओर भी लगा दी गई है।

६. यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलवे की पूर्व सावधानियों का सड़क-प्रयोगकर्ता पूरी तरह प्रयोग करें रेलवे फाटक की दोनों ओर भीड़ के समय यातायात सिपाई ड्यूटी पर रखे जाते हैं।

७. रेलवे फाटक की दोनों ओर लगे चेतावनी बोर्डों के पास तारकोल की सड़क पर सफेद लाइन के साथ सफेद रंग से 'रुको' लिखने का विचार है।

उड़ीसा में सड़कें तथा पुलें

†६४७. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आपात के कारण उड़ीसा राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आवंटन के अतिरिक्त कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौहवन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) वर्तमान आपात के कारण उड़ीसा राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये पाक्षिक विश्राम

†६४८. श्री कर्णी सिंह जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में चलने वाले रेलवे कर्मचारियों का पाक्षिक विश्राम समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से समाप्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह समापन कितने समय तक चलेगा; और

(घ) क्या रेलव कर्मचारियों ने रिकार्ड में बुरा प्रभाव दिखाया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) . जानकारी रेलवे प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दूसरा वेतन आयोग

†६४९. श्री कर्णी सिंह जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर रेलवे कर्मचारियों की मजूरी-ढांचे के अन्तिम निर्धारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो बीकानेर डिवीज़न में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों पर कब तक लागू होगी; और

(ग) १९६०, १९६१ तथा १९६२ के अन्त में उपरोक्त कार्य के लिए अब भी कितने कर्मचारियों के मामले अनिश्चित पड़े हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). रेलों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि प्राधिकृत क्रमों में रेलव कर्मचारियों का वेतन निर्धारण उनका विकल्प प्राप्त होते ही हो जाना चाहिये और इसके बाद इस निर्धारण से उत्पन्न होने वाले अन्तर का भुगतान भी शीघ्र हो जाना चाहिये ।

(ग) तारीख	अनिश्चित मामलों की संख्या
३१ दिसम्बर, १९६०	१,६३५
३१ दिसम्बर, १९६१ .	३१८
३१ दिसम्बर, १९६२	१०

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

६५०. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबर द्वीपों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए इस वर्ष कितनी राशि स्वीकार की गयी है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में वहां इस काम पर वास्तव में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) योजना के अन्तर्गत खर्च के लिए ४.२० लाख रुपये और योजना से बाहर के खर्च के लिए ०.९० लाख रुपये ।

(ख) योजना के अन्तर्गत खर्च के लिए २५.०२ लाख रुपये और योजना से बाहर खर्च के लिए ५ लाख रुपये ।

दूध की पैदावार पर पिघले हुये बर्फ के पानी का प्रभाव

†६५१. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदित है कि रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने सफल प्रयोगों से सिद्ध किया है कि यदि दुधारु पशुओं, सूअरों तथा मुर्गियों, आदि को पिघले हुए बर्फ का पानी दिया जाये तो वे निश्चय ही क्रमानुसार दूध, मांस और अंडे साधारण पानी पीने पर देने की अपेक्षा अधिक देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में ढोरों तथा मुर्गियों आदि पर बर्फ के पानी की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). विचार है कि रूस में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं परन्तु अभी तक कोई निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

बाराबंकी के पास रेल टक्कर

†६५२. श्री बी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ जनवरी, १९६३ को बाराबंकी में बारा गांव के पास बिना दरबान वाले रेलवे फाटक पर एक ट्रक से सुलतानपुर जाने वाली यात्री रेलगाड़ी के टकराने से चार व्यक्ति मर गये और चौदह व्यक्ति घायल हो गये; और

(ख) दुर्घटना का क्या ब्यौरा है और मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) चार व्यक्ति मरे और पन्द्रह घायल हुए जिनमें से एक व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गया ।

(ख) ११-१-१९६३ को लगभग ८.२८ बजे जब कि उत्तर रेलवे के लखनऊ–सुलतानपुर सेक्शन पर त्रिवेदीगंज तथा हैदरगढ़ स्टेशनों के बीच बिना दरबान के रेलवे फाटक से संख्या २ एस०एल०

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्री गाड़ी पार जाने वाली थी एक गैर-सरकारी ट्रक एक दम लाइन पर आ गया और उसके परिणामस्वरुप रेल के इंजन और ट्रक में टक्कर हो गई।

दुर्घटना की जांच रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने की थी जिन्हों ने मोटर ट्रक के ड्राइवर को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया ।

रेलवे में नागरिक रक्षा कार्य

†६५३. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों पर नागरिरक रक्षा एकक बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन रेलों पर समय समय पर नागरिक रक्षा कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है; और

(ग) क्या उन रेलों पर संयुक्त प्रदर्शन करने का विचार है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाजखां): (क) हां। फिर भी, उत्तर सीमा के साथ लगी पट्टी के क्षेत्रों को मुख्य महत्व दिया गया है ।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

मत्स्य पालन

†६५४. { श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटी परियोजनाओं के किस बांध जलाशय में मछली पालने का कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ख) उन विभिन्न जलाशयों से अब तक यदि कुछ मछली प्राप्त हुई हैं तो कितनी मात्रा में प्राप्त हुई हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी।

रासायनिक खाद की खरीद पर छूट

६५५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६३ में किसानों द्वारा उर्वरक खरीदने पर कोई छूट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति टन कितनी छूट दी गई है और इसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केन्द्रीय उर्वरक पूल ने अमोनिया के सल्फेट, कैलसियम अमोनियम नाईट्रेट और यूरिया के मूल्यों में छूट देने की जो योजना भेजी थी उसे अक्तूबर, १९६२ में लागू कर दिया गया था अभी ३१ अगस्त, १९६३ तक लागू रहेगी। यह छूट प्रत्येक राज्य। केन्द्र शासित प्रदेश से निजी तौर पर मान्यता प्राप्त उन वितरण एजसियों को मिलती है जो वास्तव में वर्ष के खाद न डालने वाले दो त्रिमासों में ही उर्वरक लेते हैं तथा उसका स्टाक करते हैं।

(ख) यह छूट अमोनिया के सल्फेट और कैलसियम अमोनियम नाईट्रेट पर प्रत्येक खाद न डालने वाले ऋतु के ३ महीनों के लिये २.५० रुपये प्रति टोन के हिसाब से तथा यूरिया पर ४ रुपये प्रति टोन प्रति मास के हिसाब से मिलती है।

टीन की चादरें

†६५६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बों में फल बन्द करने के उद्योग के प्रतिनिधियों ने अभ्यावेदन किया है कि टीन की चादरों की अनोपलब्धता के कारण उत्पादन कम हो रहा है ; और

(ख) १९६१–६२ में डिब्बों में फल बन्द करने के उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से फलों के छोटे उत्पादकों को क्या नई सुविधायें दी गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां फिर भी फलों तथा सब्जियों का उत्पादन कम नहीं हुआ है। वास्तव में सामान्य वर्षों की अपेक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ गया है।

(ख) फलों के छोटे उत्पादनों को निम्न सुविधायें दी गई हैं :—

(१) फल तथा सब्जी परिरक्षण यूनिट बनाने के लिए ऋण।
(२) फल तथा सब्जी परिरक्षण का प्रशिक्षण।
(३) परिरक्षण प्रदर्शन तथा प्रचार के लिये सचल यूनिट।

चीनी उद्योग के लिये लाइसेंस

†६५७. **श्री शिव मूर्ति स्वामी** :
श्री मोहासिन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिये लाइसेन्स देने के बारे में कोई नीति घोषित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी उपक्रमों के बारे में भी वही नीति है ;

(ग) मैसूर राज्य के कितने व्यक्तियों ने सहकारी चीनी उद्योगों के लिए प्रार्थना की है और कितने लाइसेन्स अभी दिये जाने शेष हैं ; और

(घ) क्या निर्धारित तारीख के बाद, अर्थात्, ३० सितम्बर, १९६० के बाद सहकारी उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नीति को ढीला बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) कोई नई नीति घोषित नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैसूर राज्य में छः सरहकारी चीनी कारखानों के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों में से मार्च, १९६० के बाद प्राप्त हुए पांच प्रार्थनापत्र अनिश्चित पड़े हैं।

(घ) जी नहीं।

रेलवे मालगोदाम, हावड़ा में आग

†६५८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ फरवरी, १९६३ को या उसके आसपास किसी दिन हावड़ा के रेलवे गोदाम में बड़ी आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना से कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई ; और

(ग) आग लगने का क्या कारण था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्व रेलवे पर हावड़ा के माल गोदाम में ऐसी कोई आग नहीं लगी। परन्तु शालीमार माल गोदाम में अवश्य आग लगी थी जो दक्षिण पूर्व रेलवे पर है।

(ख) लगभग १० लाख रु०।

(ग) मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

सूखी गोदी तथा जहाजों की मरम्मत

†६५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी को सूखा करने और दस हजार डी० डब्लू० टी० से अधिक के जहाजों की मरम्मत के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां।

(ख) कलकत्ता और बम्बई बन्दरगाहों और बम्बई में मजगांव डाक में गोदी का पानी निकालने तथा १०,००० या इससे अधिक डी० डब्लू० टी० से अधिक के जहाजों की मरम्मत के लिए आजकल उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की गई है या की जायेगी ताकि उपलब्ध सुविधायें बढ़ जायें :—

(१) सरकार ने २६९.०० लाख रु० की प्राक्कलित लागत पर विशाखापत्तनम में ६००'×९०'×२६' के आकार की एक सूखी गोदी बनाना स्वीकार किया है। फिर भी, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, यह काम अभी नहीं हुआ है।

(२) कोचीन में बनने वाले दूसरे जहाज निर्माण कारखाने की योजना में ८५०'×१२२'×२४' के आकार की एक सूखी गोदी बनाने का उपबन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) गार्डन रीच वर्कशाप के आधुनिकीकरण की योजना में भी एक सूखी गोदी का उपबन्ध है। टैक्निकल परामर्शदाताओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है।

इन सब सूखी गोदियों में १०,००० या अधिक डी० डब्लू० टी० के जहाज रुक सकेंगे

खंड विकास अधिकारी का कार्यालय

†६६०. **श्री हेडा:** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय को किसी और कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का परामर्श लिया गया था ; और

(ग) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता पर ऐसे निर्णय का क्या असर पड़ा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति :** (क) सामान्यत: खण्ड विकास अधिकारियों को बिहार राज्य से अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में विकास में काम के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं दिया गया है। बिहार में उनको राजस्व का काम भी करना पड़ता है। आसाम और पश्चिम बंगाल में वह अकाल सहायता काम भी करते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में खण्ड विकास अधिकारियों को कुछ प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते है क्योंकि वह पदेन सर्किल अफसर ही होते हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम और महाराष्ट्र में खण्ड विकास अधिकारियों को जनगणना कार्य भी करना पड़ता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) बिहार में खण्ड विकास अधिकारी राजस्व तथा विकास कार्य करते हैं इसलिये राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कई बार कहा है कि जिससे राजस्व कार्य बी० डी० ओ० से पूरी तरह ले लिया जाये।

मनीपुर में खेती

†६६१. **श्री रिशांग किशिंग : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व मनीपुर सरकार ने शमुशांग की भूमि में खेती कराने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और उसकी लागत क्या है ; और

(ग) योजना कब लागू हो जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

पूर्वोत्तर खण्ड में परिवहन सुविधायें

†६६२. **श्री रिशांग किशिंग : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आसाम, नेफा, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर खण्ड में आसानी से घुसपैठ के कारण क्या सरकार ने उसको क्षेत्र तथा शेष भारत और उस क्षेत्र के मछली, परिवहन तथा संचार सुविधाओं को सुधारने के लिए विशिष्ट कदम उठाये है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या प्रस्ताव किए हैं; क्या क्या कदम उठाये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां। आसाम होकर तथा शेष भारत से मिलाने वाले मार्गों के सुधार का कार्यक्रम तथा प्रतिरक्षा कार्यों के लिये अपेक्षित सड़कों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त आसाम, नेफा, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा की चालू पंचवर्षीय योजनाएं सामान्य सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल की गई हैं।

मनीपुर प्रशासन में राजस्व की अपीलें

†६६३. श्री रिशांग किशिंग : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के राजस्व विभाग में कितनी राजस्व अपीलें लम्बित हैं ;

(ख) ये अपील कितनी अवधि से लम्बित है ; और

(ग) इनको शीघ्र निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) तीस मामले।

(ख) १९६१ . . . दस मामले

१९६२ . . सत्रह मामले

१९६३ . . . तीन मामले

(ग) मनीपुर प्रशासन को मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए कहा गया है।

मसालों के सम्बन्ध मे अनुसंधान केन्द्र

†६६४. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसालों के सम्बन्ध में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के मुख्य ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) उस की अनुमानित लागत क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय मसाले तथा काजू अनुसंधान संस्था, स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव के ब्योरे तथा अनुमानित व्यय अभी नहीं बताये गये हैं ?

तार सम्पर्क

†६६५. श्री कर्णी सिंह जी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि हनुमानगढ़, जंकशन (गंगानगर जिला, राजस्थान) बीकानेर से सीधा तार से मिला हुआ है जबकि हनुमानगढ़ नगर जोकि हनुमानगढ़ जंकशन से केवल तीन मील है, दिल्ली तथा भटिंडा के द्वारा मिला हुआ है और इसी कारण हनुमानगढ़ नगर के यातायात में बहुत विलम्ब हो जाता है और जनता को बहुत असुविधा होती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार जनता की असुविधा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) हनुमानगढ़ जंकशन बीकानेर से सीधा मिला हुआ है तथा हनुमानगढ़ नगर की अब बीकानेर नगर से मिला दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेलोर में मुख्य डाकघर

†६६६. श्री धर्मलिंगम : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेलोर, उत्तर क्षेत्र जिले, में डाक तथा तार का हैड आफिस बनाने के लिए भूमि खरीद ली गई है ; और

(ख) यद्यपि वर्तमान भवन में बहुत भीड़भाड़ है परन्तु अब तक भवन को किन कारणों से नहीं बनाया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वीकृति, भवन का नक्शा आदि की विभिन्न औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर भवन का निर्माण होगा ।

फलों तथा सब्जियों का उत्पादन

†६६७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद फलों तथा सब्जियों को उगाने का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि पर खेती की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी हां । आसाम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में सब्जियों को उगाने का विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया था जिस से सशस्त्र सेनाओं की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सीमा राज्य आत्म निर्भर हो जा जाये । अन्य राज्य सरकारों से भी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है । फल उत्पादन एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है तथा देश के सभी राज्यों में फलों का बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) उपरोक्त तीनों राज्यों में ४८,३५९ एकड़ में खेती कराई गई थी ।

(ग) इन तीनों राज्यों में १४,५०० अतिरिक्त एकड़ के लक्ष्य सब्जी की खेती के लिए रखा गया है और यह बहुत अधिक बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्था

६६८. **श्री तनसिंह :** क्याखाद्य तथा कृषि मंत्री २५ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्था पर कुल कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय किया जायेगा ;

(ख) यह अनुसंधान संस्था क्या अपना कार्य करने लग गई है, यदि नहीं, तो कब तक कार्यारंभ होने की आशा है ; और

(ग) राजस्थान सरकार ने कौन-कौन से स्थानों का सुझाव दिया था और मालपुरा को ही चुनने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) केन्द्रीय ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्थान पर कुल व्यय इस प्रकार होगा :—

आवर्तक	. . .	२६.०० लाख रुपये
अनावर्तक	. . .	५५.०० लाख रुपये
		८१.०० लाख रुपये

(ख) अभी नहीं । परन्तु आवश्यक भूमि को अभिग्रहण कर लिया गया है । भवन निर्माण, बिजली तथा जल सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य चालू है ।

(ग) सूचना सम्बन्धी विवरण नत्थी है ।

विवरण

संस्थान के लिये राजस्थान सरकार ने निम्न लिखित स्थानों का सुझाव दिया था :—

१. मालपुरा (टोंक)
२. अलवर
३. अरियन जोर (अजमेर)
४. सरवा (पाली)
५. जेतरान (पाली), (कालू जोर)
६. कुड्डी (जोधपुर)
७. रानी (पाली)

संस्थान के लिये मालपुरा को ही चुनने के ये कारण हैं:—

(१) भेड़ प्रजनन क्षेत्र में स्थित ३५०० एकड़ का एक संहत क्षेत्र उपलब्ध कर दिया गया है ।

(२) चरागाह सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(३) सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं ।

(४) भूमि ऐसी है कि उस में दोबारा बुवाई कर के अच्छी घास उगाने के लिये उस का विकास हो सकता है ।

(५) चम्बल हाईडल बिजली की मुख्य लाइन फार्म-क्षेत्र के पास से गुज़रती है और इस से जल निकालने के लिये बिजली मिलने की सुविधा रहेगी ।

(६) क्षेत्र में आने जाने के साधन उपलब्ध हैं ।

रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय

६६९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय कहां-कहां हैं ;

(ख) इन पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है ; और

(ग) नौकरी के लिये इच्छुक आवेदकों के शुल्क से कितनी वार्षिक आय होती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ।

(ख) १९६१-६२ में इन पर ११,७३,७४५ रुपये खर्च हुए ।

(ग) आवेदकों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती । आवेदन-फार्मों की बिक्री से १९६१-६२ में ३,८३,६८७ रुपये की आमदनी हुई ।

पंजाब में सहकारी चीनी मिलें

†६७०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के लिये कोई नई सहकारी चीनी मिल स्वीकार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का नाम क्या है ; और

(ग) पंजाब राज्य में किन मिलों को बढ़ाया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामास)** : (क) जी हां । तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक ।

(ख) दोआबा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, नवांशहर, ज़िला जालन्धर ।

(ग) जगतजीत चीनी मिल कम्पनी, लिमिटेड, फगवाड़ा, ज़िला कपूरथला ।

विदेशों से खरीदे गये जहाज

†६७१. **श्री दलजीत सिंह**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)१९६२-६३ में विदेशों से कितने मूल्य के जहाज़ खरीदे गये थे ; और

(ख) इन जहाजों का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९३७-६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब से गेहूं का निर्यात

†६७२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९६२ से जनवरी, १९६३ के दौरान पंजाब से कुल कितनी मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) : सरकार की ओर से पंजाब से कुछ भी गेहूं बाहर नहीं भेजा गया । व्यापार के रुप में जो गेहूं बाहर भेजा गया उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कुल मिलाकर जो गेहूं और गेहूं के उत्पाद बाहर भेजे गए वे ७६ हजार ४७३ टन है । यह और भी कहा जा सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा भाग आटे की उन रौलर मिल्स के उत्पादों से सम्बन्धित है जो कि वहां स्थित हैं तथा जिन्हें सरकार द्वारा आयात किया गया गेहूं सम्भरण किया जाता है ।

मैसर्स आर० आकूजी जाडवेट एंड कम्पनी

†६७३. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ जून, १९६२ को दिये गए प्रश्न संख्या २७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसर्स आर० आकूजी जाडवेट एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ऋण की शर्तों के अनुसार किस्त दे रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मूलधन की कोई किस्त अभी देय नहीं हुई है । तदापि, उन्होंने निश्चित तिथियों पर ब्याज दिया है ।

उत्तर प्रदेश में दूध की कमी

†६७४. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घी निर्माणकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और यह शिकायत की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली दुग्ध योजना की दूध खरीदने की कार्यवाहियों से उस क्षेत्र में दूध की कमी हो गई है जिससे कि उनके उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के घी निर्माणकर्ताओं को कुछ सहायता देने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना की दुग्ध खरीदने की योजना में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) : मण्डल कांग्रेस कमेटी, खुर्जा के प्रधान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ४ फरवरी, १९६३ को कृषि मंत्री से मिला था । उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि खुर्जा की सहकारी घी व्यापारी सन्था को खुर्जा के घी कुटीर उद्योग में उस क्षेत्र से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध खरीदे जाने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उन्हें यह बताया गया कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में स्वय किसानों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इसलिये इसका यह अर्थ होता है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने, जिसे कि दूध के अन्य खरीदारों से कुछ अधिक विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को एक सुनिश्चित तथा अधिक लाभदायक दूध की मण्डी उपलब्ध करा दी है और इस प्रकार दूध के ग्रामीण उत्पादकों को हानि पहुंचाने के बदले

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में उनकी सहायता की है और इस समस्या का समाधान यह है कि दुधारु जानवरों को अच्छा चारा देने के ढंग अपनाकर तथा वहां उनकी संख्या में वृद्धि करके दूध का उत्पादन बढ़ाया जाय जिससे कि घी व्यापारियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके । प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों ने यह भी बताया कि वे उत्तर प्रदेश के (कृषि) मंत्री से भी अभ्यावेदन कर रहे हैं, जो कि दुधारु जानवरों की संख्या में वृद्धि करने के हेतु ऋणों तथा ग्रामीण डेयरी विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में शीघ्र ही उनसे मिलने वाले हैं । यह प्रस्ताव किया गया है कि जब तक स्थिति में सुधार न हो तब तक दिल्ली दुग्ध योजना इन क्षेत्रों से अपनी दूध की खरीद में अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक विकास न करे ।

कपास की खेती

†६७५. **श्री फिरोडिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की सघन खेती के लिये पैकेज जिलों की मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से ज़िले चुने गये हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ; और

(घ) क्या पैकेज ज़िलों में कपास की उपज के हेतु ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) चुने हुए जिले तथा भूभाग निम्नलिखित हैं :—

फिरोज़पुर, हिसार, गंगानगर, मेवाड़, बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, माताटीला, रुहिलखण्ड, राजकोट, जूनागढ़, निमार, मध्य प्रदेश में धार-कम्बोडिया भूभाग, मराठवाड़ा, विदर्भ, बेलगांव–बीजापुर, गदग, कृष्ण–गुन्टूर, कोयम्बटूर ज़िले में शीत कम्बोडिया तथा ग्रीष्म कम्बोडिया ।

(ग) (१) अतिरिक्त कर्मचारियों पर व्यय का ५० प्रतिशत ।

(२) बढ़िया बिनौलों पर अर्थ सहायता का ५० प्रतिशत भाग ।

(३) नाशिकीटमार* औषधियो, डस्टरस, स्प्रेयरस आदि पर २५ प्रतिशत अर्थ सहायता ।

(४) १९६२–६३ में केन्द्रीय हवाई यूनिट द्वारा किये गहैं हवाई छिड़काव पर समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार ने किया । जहां कहीं भी यह कार्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा करवाया गया था, वहां कार्य का ७५ प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार ने दिया था ।

(घ) जी, हां । सामान्य कपास विकास योजना के अधीन उर्वरकों तथा बिनौलों के क्रय तथा वितरण के लिये अल्प-कालीन ऋण राज्य सरकारों को दिये जा रहे हैं और पैकेज कार्यक्रम क्षेत्रों में भी ये ऋण उपलब्ध किये जा सकते हैं ।

खजुराहो में हवाई अड्डा

६७६. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में हवाई अड्डा बनाने का सरकार का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

*Pesticides

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे का निर्माण कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) ज्यूं ही स्टेट गवर्नमेंट जमीन हासिल करके सिविल एवियेशन को देगी काम शुरु कर दिया जायगा ।

(ग) जमीन की लागत के अलावा, जो स्टेट गवर्नमेंट बिला कीमत देगी, ४,७७,००० रुपये का अन्दाजा किया गया है ।

आदिम जाति विकास खंड

†६७७. श्री दे० जं० नायक : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन क्षेत्रों में आदिम जातियों की जनसंख्या बहुत घनी है उनमें आदिम जाति विकास खण्डों को प्रारम्भ करने के क्रमिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में आदिम जाति विकास खण्डों में कितनी प्रगति कर ली गई है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण जिसमें (प्रत्येक राज्य में) आदिम जाति विकास खण्डों में ३० सितम्बर, १९६२ तक की गई प्रगति दिखाई गई है सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९३८/६३]

आवागमन में खोई गई वस्तुयें

†६७८. श्री महेश्वर नायक : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तथा चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे में वस्तुओं के यातायात में कितने रुपये की वस्तुयें क्षति हुई, खोई गईं तथा चुराई गईं ; और

(ख) इन अवधियों में क्रमश: कितने रुपयों के प्रतिकर मांगे गये तथा वास्तव में दिये गये ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :(क) और (ख) विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९३९/६३]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राज पथ व्यवस्था

†६७९. श्री महेश्वर नायक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार अधीन राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में जो लुप्त कड़ियां[1] थीं, जिनमें कि नदियों के ऊपर पुलों का बताया जाना भी सम्मिलित था, उनको पूरी तरह पूरा कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या क्या कमियां अभी दूर की जानी हैं ; और

(ग) इसमें कितना समय लग जाने की सम्भावना है कि सारे राजपथ व्यवस्था में सब ऋतुओं में मोटर-गाड़ियों आदि का यातायात चल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Missing Links

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख). (१) राष्ट्रीय राज पथ संख्या ५ कुछ छोटे छोटे पुलों और साथ ही साथ पांच बड़े पुलों, अर्थात् महानदी, बिरुपा, वैतरणी, ब्राह्मिणी तथा खरसुआ का निर्माण, हो रहा है । इस राजपथ में कोई लुप्त कड़ियां[1] नहीं हैं ।

(२) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ : इस सड़क पर अनेक छोटे छोटे ढलान तथा कमजोर पुल हैं । इस राजपथ में कोई लुप्त कड़ियां[1] नहीं हैं ।

(ग) पांच बड़े पुलों तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ पर अन्य छोटे छोटे पुलों के तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त हो जाने की आशा है । यदि इसके लिये धन उपलब्ध होगा तो, राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर कमजोर छोटे छोटे पुलों का पुनःनिर्माण चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा ।

जोरहाट हवाई अड्डा

†६८०. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोरहाट हवाई अड्डे पर बुकिंग कार्यालय, भाड़ा गोदामों तथा यात्री प्रतीक्षालयों के भवन बहुत छोटे हैं तथा उनका समुचित संभरण नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या उस हवाई-अड्डे पर उपाहारगृह की कोई सुविधायें नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में सुधार करन के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग) तक. जोरहाट भारतीय वायु बल का एक हवाई-अड्डा है तथा उस हवाई-अड्डु पर यात्रियों की व्यवस्था करने की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं । इस समय हवाई अड्डे पर कोई उपहारगृह भी नहीं है । इस हवाई अड्डे पर यात्रियों की व्यवस्था के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने के लिये असैनिक उड्डयन विभाग की टर्मीनल भवन बनान की एक योजना है परन्तु राष्ट्रीय आपात तथा मितव्ययिता की आवश्यकता के कारण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका है ।

हज यात्री

†६८३. श्री विश्व नाथ राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रख कर, सरकार ने उनके लिये विशेष रेलगाड़ियां चलाने तथा अन्य यात्री सुविधायें देने के लिये कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख). हज यात्रियों को पठानकोट से बम्बई सन्ट्रल तक लाने ले जाने के लिये तीन विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं जो कि

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]missing links .

निम्नलिखित हैं :—

तिथि	किस स्टेशन से किस तक	विशेष रेलगाड़ियों की संख्या	जिन यात्रियों को स्थान दिया गया उनकी संख्या
१९ फरवरी, ६३	पठानकोट से बम्बई सैन्ट्रल	१	६००
२३ फरवरी, ६३	तदैव	१	६००
२८ फरवरी, ६३	तदैव	१	४५६

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे अनुसार, हज यात्रियों की यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाया जाना स्वीकार कर लिया गया है :—

(१) २४ फरवरी, १९६३ को बारमेर से अहमदाबाद होते हुए बम्बई सैन्ट्रल तक के लिये ५० यात्रियों के लिए एक तृतीय श्रेणी का डिब्बा ।

(२) १० अप्रैल, १९६३ के लिये ५८ अप पठानकोट–बम्बई एक्सप्रैस में पठानकोट से बम्बई के लिये ७० यात्रियों के लिये एक तृतीय श्रेणी का डिब्बा ।

यदि अधिक यातायात उपलब्ध हुआ और यह व्यवहार्य हुआ तो, आवश्यकता होने पर, अधिक डिब्बे लगाये जा सकेंगे । जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में उत्तर रेलवे प्रशासन के पास गये थे उन्हें यही स्थिति बताई गई थी ।

रेलवे क्वार्टर

†६८४. **श्री पोट्टेकाट्टु :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री नम्बियार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकार ने हाल ही में दक्षिण रेलवे के **रेलवे** क्वार्टर्स के किराये बढ़ा दिये हैं जिसका कि १ अक्टूबर, १९६२ से भूतलक्षी प्रभाव होगा;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के उन पुरानी किस्म के क्वार्टर्स के निवासियों को, जिनका किराया १९४५ में ५० नये पैसे तथा ३ रुपये आंका गया था, उन्हीं क्वार्टर्स के लिये अब क्रमशः ७ रुपये तथा १७ रुपये किराया देना पड़ता है;

(ग) क्या सब बड़े बड़े शहरों तथा छोटे छोटे स्टेशनों में किराया एकसार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या क्वार्टर्स के किराये को सम्बन्धित क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). तक विवरण संलग्न है । **[सभा पटल पर रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९४०/६३]**

†मूल अंग्रेजी में

बेपोर पत्तन

†६८५. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्टु :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बेपोर पत्तन के विकास के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उक्त पत्तन के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है; और

(ग) कार्य सम्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर):** (क) से (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजना के रूप में बेपोर में जहाज़ों के लिये एक घाट के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिये १० लाख रुपये का उपबंध किया गया है। राज्य सरकार ने घाट के लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं। इनकी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एक समुद्र जाने वाली कर्षनाव[1] का विशिष्ट विवरण तैयार कर रही है जिसकी अनुमानित लागत २ लाख रुपये है और जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के राज्य सरकार के क्षेत्र के अधीन खरीदी जानी है। राज्य सरकारों से और अधिक ब्यौरे प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है तथा जैसे ही वह प्राप्त होंगे उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

टेलीफोन शुल्क

†६८६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब राज्य में कितना टेलीफोन शुल्क वसूल करना अवशिष्ट है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) १ जनवरी, १९६३ को ३० जून, १९६२ तक भेजे गये बिलों के सम्बन्ध में ५ लाख ६४ हज़ार रुपया अवशिष्ट था। इस अवशिष्ट शुल्क में हिमाचल प्रदेश का अवशिष्ट शुल्क भी सम्मिलित है ।

(ख) अवशिष्ट शुल्क वार्षिक राजस्व का केवल ४.३ प्रतिशत है। अवशिष्ट शुल्क वसूल करने के लिये वैभागिक नियमों तथा प्रक्रियाओं में विहित कदम उठाये जाते हैं ।

नांगल बांध में टेलीफोन

†६८७. **श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नांगल बांध पर टेलीफोन लगाने के लिये जो प्रार्थनापत्र अभी तक लम्बित हैं उन की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या प्रार्थियों को टेलीफोन दिये जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** (क) उन्नीस ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tug.

(ख) नया नांगल में नया टेलीफोन एक्सचेन्ज खोले जाने और भूमि के नीचे तारों के लगाये जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शन्स दे दिये जायेंगे । यह आशा की जाती है कि कार्य वर्ष १९६३–६४ के मध्य तक समाप्त हो जायेगा ।

राज्य पालों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण

†६८८. **श्री रा० शि० पांडेय :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता–दिल्ली, तथा कलकत्ता–बम्बई–मद्रास राजपथों को विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के ऋण से सुधारने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) काम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९४१/६३]**

सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये आस्ट्रेलिया से सहायता

†६८९. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री नो० रं० लास्कर :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'विदेश में सामुदायिक सहायता' नामक एक गैर सरकारी आस्ट्रेलिया के आन्दोलन का निदेशक आस्ट्रेलिया के इस संगठन के द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ सामुदायिक विकास परियोजनाओं का चुनाव करने के लिए इस देश में आया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता कार्यक्रम के लिए किस प्रकार की परियोजनाओं को चुना गया है तथा इन परियोजनाओं पर इस संस्था द्वारा कितना धन खर्च किये जाने की आशा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया का जनसंगठन सामुदायिक विकास के लिए विदेशों को निज इच्छा से सहायता देता है । यह भारत में चुने हुए कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को बहुत दिनों से वित्तीय सहायता दे रहा है । सहायता व्यक्तियों को दी जाती है तथा इस का भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । विदेशों में सामुदायिक सहायता ने भारत के परियोजनाओं के लिए २१,००० पौंड दिये हैं । उनका विचार वित्तीय सहायता बढ़ाने का है और इसीलिए उनका विचार कुछ और परियोजनाओं का चुनाव करने का है । इस सम्बन्ध में विदेश में सामुदायिक सहायता के निदेशक इस समय इस देश का दौरा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तामिल में तार देने की व्यवस्था

†३९०. **श्री उमानाथ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिल में तार देने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) यह कितने समय से विचाराधीन है;

(घ) क्या मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां । अन्य राज्य सरकारों के साथ साथ ।

(ङ) प्रविधिक कारणों से प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है ।

ताम्बरम् तथा मद्रास पुलिस के बीच विद्युत ट्राम सेवा

†६९१. **श्री उमानाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि दक्षिण रेलवे के ताम्बरम तथा मद्रास पुलिस के बीच विद्युत् ट्राम सेवा में बहुत भीड़भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ट्राम को अधिक चलाने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए अन्य सुझावों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा यह कब लागू होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां । अधिक भीड़ के समय गोन्डी तथा मद्रास पुलिस के बीच ।

(ख) और (ग). जब १९६५ में नया ए सी हराकयू के डिब्बे मिल जायेंगे तब उपनगरीय विद्युत् पटरियों पर तथा मुख्य लाइन पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७

†६९२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बनारस-कुमारी अन्तरिम राजपथ संख्या ७ की विशेषत: करनूल तथा हैदराबाद के बीच में इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) सरकार को कब तक आशा है कि राजपथ का यह भाग काम में आने लगेगा ; और

(ग) इस राजपथ के किस किस भाग को अभी नहीं बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास राज्यों में से गुजरता है। निम्नलिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मोटर चलाने के योग्य है।

(एक) कोषी से आन्ध्र प्रदेश सीमा के बीच महाराष्ट्र के एक विभाग में तथा वरना, कोचीन तथा वाधा के आधार पर पुल बनाये जा रहे हैं ; और

(दो) हैदराबाद- करनूल विभाग पर ५० मील से १२६ मील पर जहां कई छोटे पुल तथा सड़कें बनाई जा रही हैं।

(ख) राजपथ का यह भाग समस्त वर्ष में चलने योग्य १९६४ तक बन जायेगा।

(ग) कहीं पर भी बचे हुए भाग नहीं बनाये गये हैं। केवल पुल तक जाने वाली सड़कें तथा अन्य सड़कें बनाई जाती है।

वनस्पति का निर्यात

†६९३. श्री रा० शि० पांडेय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में वनस्पति के निर्यात में बहुत कमी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको पुनः बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९६२ में ३,२५४ टन वनास्पति का निर्यात हुआ था तथा १९६१ में ४,१६७ टन निर्यात हुआ था।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(एक) वनास्पति के लिए निर्यात संवर्द्धन योजना को और अधिक आकर्षक इस प्रकार बनाया गया है कि कारखाने को प्राप्त मूल्य का ७५ प्रतिशत मिले। ताड़ के तेल के आयात पर खर्च करें तथा उनको विकल्प होगा कि इसमें से २० प्रतिशत कारखानों के लिए आवश्यक मशीनें तथा रसायनों के आयात पर खर्च करें।

(दो) १९६३–६४ के रेलवे आय-व्ययक में ५० प्रतिशत की यातायात दरों में वनास्पति तथा टीन के डिब्बों पर रेलवे भाड़े में छूट का विचार है।

(तीन) वनास्पति तथा सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात के लिए एक सलाहकार तालिका हाल में ही स्थापित की गई है।

डीजल इंजन

†६९४. { श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री बेरवा कोटा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लाइनों पर डीजल इंजन चलाने का कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कई सैक्शनों पर डीज़ल रेल इंजन चलाये जा रहे हैं और इस आयोजना में कुछ और सैक्शनों पर भी डीज़ल रेल इंजन चलाने का विचार है।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६४२/६३]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच हुआ पत्र-व्यवहार

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) चीन के प्रधान मन्त्री का दिनांक ३ मार्च, १९६३ का पत्र।

(२) भारत के प्रधान मन्त्री का दिनांक ५ मार्च, १९६३ का उत्तर। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६३१/६३]**

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा अनुरोध है कि इन पत्रों की प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध की जायें। इससे सामान्य चर्चा के द्वारा सहायता मिलेगी।

मेरी दूसरी मांग यह है कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय का प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध किया जाये।

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन १९४०

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर-गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३३/६२–सी आर (टी) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या ६३२/६३]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५, के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** मैं अत्यावश्यक-पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनाक २३ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६३।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरस्थापित

(२) दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ में प्रकाशित गेहूं की रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंस देना और नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३ ।

(३) दिनांक २५ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३६० में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(४) दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३६१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(५) दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९७ में प्रकाशित चावल (पूर्वी क्षेत्र) लाने ले जाने पर नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या ९३०/६३]

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति

प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री** (**श्री शाहनवाज खां**) : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में रेलवे के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री शाहनवाज खां**: मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य)

वर्ष १९६२–६३ के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय	३,५३,०००
८	प्रतिरक्षा मन्त्रालय	२,२५,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना	३७,१०,००,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौसेना	४०,००,०००
१६	आदिमजाति क्षेत्र .	१,२५,००,०००
२१	गोआ, दमन और दीव	५०,००,०००
२९	मुद्रा और सिक्के	८०,००,०००
३०-क	कोलार की सोने की खानें	१,९८,०६,०००
३१	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	३५,००,०००
३४	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	१८,२०,००,०००
३७	केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१,११,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	९५,५४,०००
४८	गृह-कार्य मन्त्रालय	२०,१५,०००
४९	मन्त्रिमण्डल	३,१५,०००
५०	क्षेत्रीय परिषदें . .	६,०००
५२	पुलिस	४,६६,४८,०००
५३	जनगणना . .	६४,६४,०००
५५	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां	२३,०००
५६	दिल्ली	५५,२७,०००
६३	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	७५,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय .	१,१९,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . . .	११,२७,०००
७२	श्रम और रोजगार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१६,००,०००
८६	इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय . .	४,९२,०००
८७	इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	१४,५१,१६,०००
९१	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	२५,८९,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
९२	वणिक नौवहन	७,६५,०००
९७	भारतीय डाक व तार विभाग	३,४४,००,०००
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	८५,०००
१०१	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	८२,५९,०००
१०२	लखन-सामग्री और मुद्रण	८५,००,०००
११०	राज्य सभा	२,६५,०००
११६	वैदेशिक-कार्य मंत्रोलय का पूंजी परिव्यय	१८,००,००
११८	मुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय	५,६४,००,०००
११९-क	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	३५,२१,००
१२१	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	२०,२७,४०,०००
१२३	ऋण तथा अग्रिम धन	१०,९२,७६०००
१२५	खाद्यान्नों की खरीद	२३,४८,००,०००
१३३	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१,०००
१३५	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	९,०८,४५,०००
१४४	अणु-शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	२,०००

†श्री दाजी (इंदौर) : यह तीसरी अनुदानों की अनुपूरक मांग है, संतोष का विषय है कि यह अंतिम है। वस्तुतः इन्हीं कारणों से लोक-लेखा समिति ने यह मांग की है कि बजट के सम्बन्ध में और सही तरीका अपनाया जाना चाहिए।

इस्पात के अवधारण मूल्यों में जो कमी की गयी है मैं उस से सहमत हूं। मेरे विचार से वर्तमान अवधारण मूल्य से भी इस्पात निर्माताओं को काफी मुनाफा होता है।

इस्पात के कार्यक्रम में हम पीछे रह गये हैं। इस का यह फल होगा कि हमें इस के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता २३८ करोड़ रुपये से बढ़ कर ७१५ करोड़ हो जायेगी। गैर-सरकारी क्षेत्र सदैव इस बात का प्रयत्न करता है कि उन्हें इस्पात तथा अन्य धातुओं का अधिक से अधिक कोटा मिले। यहां तक कि कई बार कोटे की राशि उन के पास व्यर्थ रूप से पड़ी रहती है। उस का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे लायसेंसों को रद्द करवा देना चाहिए।

हम विदेशों से काफी ऋण लेते हैं। ऋणों की सेवा का काफी भार हमारे ऊपर पड़ता है। उदाहरणतः राउरकेला में ३१० लाख डियुशमार्क की राशि २३५ प्रविधिज्ञों को प्ररक्षित करने के लिए जर्मन नागरिकों को देने पर खर्च की जा रही है।

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जो आयात होता है उससे हमें बहुत हानि होती है। इस समझौते के अधीन खाद्यान्न के आयात से संतोष की भावना पैदा हो गई है। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर

†मूल अंग्रेजी में

बनाने के लिए बहुत कम कार्यवाई की गई है। हमें अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। पी० एल० ४८० का हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पी० एल० ४८० के समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि बचे हुए धन को अमरीकी दूतावास अपनी इच्छानुसार भारत में व्यय कर सकता है और वह राशि भारत सरकार के हिसाब में न दिखाई जाय। इस से हमारी प्रभुसत्ता का अनादर होता है। ऐसा किसी अन्य देश में नहीं होता। न ही ऐसी आज्ञा किसी अन्य दूतावास को दी गई है। अमरीकी दूतावास इस धन को भारत की जनता पर अपने देश के प्रति सद्भावना बढ़ाने पर व्यय करता है।

आपातकाल में राजाओं को दी जा रही निजी थैलियां बन्द कर दी जायें। उन के नाम बांड जारी किए जायें जिन पर ४ प्रतिशत ब्याज दिया जाय। इस तरह से राजे भूखे नहीं मरेंगे, परन्तु कम वेतन वाले क्लर्कों और किसानों पर अनिवार्य बचत योजना का काफी प्रभाव होगा। अतः राजाओं की निजी थैलियां बन्द कर देनी चाहिएं।

मंत्रियों के बिजली और पानी के विधेयक पर एक क्लर्क के कुल वेतन की दुगुनी राशि से भी अधिक है। आपातकालीन अवस्था में इतना व्यय बिजली और पानी पर नहीं किया जाना चाहिये।

डालमिया जैन उपक्रमों के बारे में इतने बड़े प्रतिवेदन का सरकार ने अध्ययन कर लिया है, परन्तु "रूबी इन्श्योरेंस कम्पनी" और "एशियाटिक इन्श्योरेंस कम्पनी" के जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं और न ही सरकार के निर्णय व्यक्त किए गए हैं। माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट बताएं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। प्रतिवेदन के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री को १६ मार्च को जो भारतीय वाणिज्य परिषद् की वार्षिक बैठक का शीघ्र ही उद्घाटन करने वाले हैं, ऐसा करने से इन्कार कर देना चाहिए, क्योंकि 'फेडेरेशन' के अध्यक्ष के विरुद्ध काफी उद्योगपति हैं और उन का सम्बन्ध डालमिया जैन उपक्रमों से है जोकि बदनाम हो चुके हैं।

†श्री प्र० के देव (कालाहांडी) : अनुदानों की अनुपूरक मांगें तीसरी बार सभा के सामने लाई गई हैं। आपातकालीन स्थिति के लिये अधिक धन मांगना तो समझ में आता है। अन्य प्रकार के व्यय के लिए पहले ही बजट में ; व्यवस्था की जानी चाहिए।

संकटकाल होने के बावजूद व्यय को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। १९६२-६३ के दौरान इस व्यय में ५८-६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मितव्ययता के लिये क्या कदम उठाए गए हैं।

उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी में विमानों से सामान गिराने का काम काफी चर्चा का पात्र बन गया है। उस में काफी गड़बड़ हुई है। इस के बारे में जांच की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी चोरी की रोक-थाम के लिये कदम उठाये जाने चाहिएं।

चीनी के निर्यात में जो १४.७ करोड़ रुपये की हानि हो रही है उस रुपये को बचा कर किसी अन्य काम में प्रयोग में लाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ७० रुपये है। कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में सोने की उत्पादन की लागत इस के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत अधिक है। इस की पूरी जांच की जानी चाहिए।

हम जानना चाहते हैं कि ऋण और अग्रिम राशि के बारे में किन राज्यों ने देरी की है। इस सम्बन्ध में किसी राज्य को ढील नहीं देनी चाहिए।

निजी थैलियों में परिवर्तन करना उचित नहीं। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि देश की एकता के लिये राजाओं ने जो त्याग किये हैं उन के मुकाबले में निजी थैलियां बहुत कम हैं। संविधान में भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया है।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश की गई हैं इन में डिमांड नंबर ५२ में असम सरकार को पाकिस्तानियों को असम में आने से रोकने के लिए स्टाफ रखने के लिए ६.३७ लाख रुपया दिया गया है। हाल में एक किताब निकली है, उस से पता चलता है कि पाकिस्तानियों को असम से बाहर निकालने के लिए शासन ने बराबर कदम नहीं उठाया है। इस के अतिरिक्त जो फिगर सरकार ने दिए हैं और जो एक्चुअल फिगर हैं उन में अन्तर है। इस बात को असम के एम० एल० एज़० ने असम सरकार के सामने रखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो ६.३७ लाख रुपया खर्च किया गया है यह फिजूल खर्च किया गया है। अभी तो कोर्ट में केसेज़ हैं। इन लोगों को बाहर निकालने में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जो पैसा स्टेट्स को सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है उस को पाकिस्तानियों को बाहर निकालने में खर्च नहीं किया जाता लेकिन उस का उपयोग अनडिजायरेबिल परसन्स की लिस्ट रखने में और उन पर निगरानी रखने में किया जाता है और ये लोग नान-कांग्रेसमेन या विरोधी पार्टी के लोग होते हैं। उन को खास खास नम्बर दिया जाता है और उन के बारे में पुलिस इत्तला देती है फलां नम्बर का एम० पी० आ रहा है। शायद मेरा नम्बर २३ है। एम० पी० लोगों के रिश्तेदारों को बुला कर उन का फोटो मांगा जाता है। मैं ने मध्य प्रदेश के आई० जी० पी० से इस बारे में शिकायत की कि जो पैसा सीक्योरिटी के लिए पुलिस को दिया जाता है उस से एम० पी० लोगों और एम० एल० एज़० को अनडिजायरेबिल लोगों की लिस्ट रखने और उन की निगरानी पर खर्च किया जाता है पर जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उन को रोकने पर खर्च नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : फोटो खिचवाना तो लोगों को अच्छा मालूम देता है।

श्री बड़े : लेकिन वे तो दूसरे काम के लिए फोटो लेते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पुलिस फोटो तो हमारा भी रखती है।

श्री बड़े : आप का फोटो वह रोजाना दर्शन करने के वास्ते रखती होगी जिस से उस को फायदा हो।। हमारा फोटो दूसरे कारण से रखा जाता है।

श्री वाजी (इन्दौर) : माननीय मिनिस्टर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का टैलीफोन टेप किया जाता है।

श्री दी० चं० शर्मा : आप को श्री कृष्णमाचारी से कब से मुहब्बत हो गयी।

श्री बड़े : डिमांड नंबर ५६ में पेज ४८ पर दिया हुआ है :

> "कुछ ज़मीदारों ने जिन की भूमि अच्छे बीजों की संख्या बढ़ाने के लिये कृषि सम्बन्धी फार्म स्थापित करने के लिए ली गई थी और जो भूमि अर्जन प्राधिकार

द्वारा निर्धारित प्रतिकर से सन्तुष्ट नहीं थे न्यायालय में मुकद्दमा कर दिया। न्यायालय ने रुपये ४४,९४९.३३ नये पैसे प्रतिकर मंजूर किया।

इम्प्रूव्ड सीड फार्म की स्कीम सेंटर ने भेजी है और वह राज्यों में लागू की गयी है और उन के लिए फार्म बनाए गए हैं जिन को उन्नत बीज उत्पादन कृषि योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश में जो अच्छे अच्छे काश्तकार हैं उन के सौ सौ एकड़ के खेतों को लेकर फार्म बनाए गए गए हैं और उन को कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। इस का परिणाम यह है कि जो लोग कभी मजदूरी नहीं करते थे उन की औरतों को मजदूरी करनी पड़ती है। इस काम के लिए अच्छे अच्छे खेत ही लिए जाते हैं और कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता। खेती की फस्ल खड़ी होते हुए भी उस जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। हम ने प्रान्तीय सरकार को भी लिखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस विषय में काश्तकारों को बड़ा असंतोष है क्योंकि शासन उन के पूर्वजों की खेती को उन से ले रहा है। इस बारे में इन्दौर में कोर्ट में रिट दाखिल किए गए हैं। बाद में कोर्ट ने कम्पेन्सेशन दिलाया है। एक बंजारिन ने ट्रैक्टर के सामने माथा फोड़ा और कहा कि मेरी खेती ले ली है और मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। उस से कहा गया कि खेती तेरे खाविंद के नाम में है। तू पहले सकसेशन सरटिफिकेट ले आ तब तुझे पैसा मिल सकेगा। इस प्रकार जनता को कष्ट होता है और इस काम में ४४,९४९ रुपया खर्च हुआ। आज शासन की यह नीति है कि जो अच्छी खेती होती है उस को एक्सपैरीमेंट के लिए ले लेती है और उस पर उन्नत बीज कृषि उत्पादन के फार्म बनाती है। आप का तो खेल होता है और हमारी जान जाती है। एक बार कुछ लड़के एक तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। उस में मेंढक रहते थे। तो उन में से एक मेंढक ने बच्चों से कहा कि तुम्हारा तो खेल होता है और हमारी जान जाती है। यही अवस्था आज हमारे यहां काश्तकारों की हो रही है। आप तो खेल करते हैं, एक्सपैरीमेंट करते हैं लेकिन इस में काश्तकारों की जान जाती है। इस योजना में लास आ रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस योजना को जो फेल हो रही है खत्म करें। और अगर इस काम के लिए जमीन लेनी है तो जंगल की अच्छी जमीन लें। काश्तकारों की जमीन न लें जोकि पूर्वजों के समय से उन के पास चली आ रही है।

१० एल० ४८० के अन्तर्गत जो गेहूं आता है वह ऐसा खराब होता है कि उसको ढोर भी नहीं खाते। वह गेहूं हमारे यहां मध्य प्रदेश में जनता के लिए दिया जाता है। वह गेहूं बहुत निम्न श्रेणी का होता है। और मुझे शंका है कि उस का जो पैसा आता है वह आदिवासियों में काम करने वाले मिशनरियों को दिया जाता है जोकि उसे उन लोगों का धर्म परिवर्तन करने में खर्च करते हैं। हम देखते हैं कि जहां हम को चन्दा आदि करने पर भी पया ज्यादा नहीं मिलता, ये मिशनरी अच्छे ढंग से रहते हैं और अपने काम पर काफी रुपया खर्च करते हैं। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस के बाद साइंटिफिक रिसर्च के अन्तर्गत जो नेशनल फिजीकल लेबारेटरीज़ हैं उन के काम में बड़ी गड़बड़ी है। डेढ़ साल उन को बने हो गया पर अभी तक उन का डाइरेक्टर नियुक्त नहीं हुआ है। इसलिए वहां गड़बड़ी हो रही है। मैं चाहता हूं कि वहां डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया जाए जिस से वहां का काम ठीक ठाक हो जावे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर से यह कहता हूं कि उन्नत बीज उत्पादन योजना के बारे में जो मैं ने कहा है उस पर शासन विशेष रूप से ध्यान दे।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	१	श्री हेम बरुआ	नेफा में सामग्री गिराने का काम	१०० रुपये
४९	२	श्री हेम बरुआ	मंत्रिमंडल में मितव्ययता की आवश्यकता	१०० रुपये
९	३	श्री स० मो० बनर्जी	सामान बनाने वाली और अनुसन्धान से सम्बन्धित स्थापनाएं	१०० रुपये
२१	४	श्री स० मो० बनर्जी	गोआ में उद्योगों का विस्तार	१०० रुपये
३१	५	श्री स० मो० बनर्जी	पेन्शन के और अन्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों के नियमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	६	श्री स० मो० बनर्जी	निर्यात बढ़ाने के लिये चीनी के मूल्यों के ढांचे के पुनरीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
५५	७	श्री स० मो० बनर्जी	आपातकाल के कारण राजाओं का भत्ता बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : "उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी" क्षेत्र में विमानों द्वारा सामान गिराने का कार्य "इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन" को कई देर के लिए सौंपा गया था, अब "कालिंगा एयरलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड" को सौंपा गया है । १ मई, १९६० से यह कम्पनी नेफा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाद्यान्न गिराने का काम करती रही है । इस कम्पनी को "इन्दावर कम्पनी" के रूप में "ब्लैक लिस्ट" में लिखा जा चुका है ।

"कलिंग एयरलाइन्स" के साथ इस काम के लिये समझौता करने के लिये कोई "टेंडर" आमंत्रित नहीं किये गये ।

इस कम्पनी के विरुद्ध काफी आरोप हैं । संसदीय कांग्रेस दल के मंत्री ने भी इस कम्पनी की आलोचना की कि नेफा में जवानों के लिए जो कम्बल भेजे गये थे वे कलकत्ता के बाजारों में बेचे गये । सरकार के गुप्तचर विभाग को ऐसी सब बातों का पता करना चाहिए ।

इस कम्पनी के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये जो जांच समिति नियुक्त की है उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

कलिंग एयरलाइन्स के साथ जो सरकार ने समझौता किया है उस में कम्पनी के बारे में कई लाभप्रद शर्तें रखी गई हैं। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के साथ ऐसा नहीं किया गया था।

इस कम्पनी को इतनी लाभप्रद शर्तें इसलिए दी गई हैं क्योंकि इस कम्पनी के साथ एक राज्य के मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है। हम नहीं चाहते कि गरीबों से करों द्वारा एकत्रित किये गये धन का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाये। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पढ़ें, फिर उन्हें नई नई बातों का पता चलेगा।

इस कम्पनी के विरुद्ध एक यह भी आरोप है कि देहली की एक समाचार पत्रिका को यह कम्पनी काफी धन देती है।

सरकार को नेफा में तुसकेर परियोजना की कार्यवाहियों के बारे में पता था। तुसकेर परियोजना को नेफा में सड़कें बनवाने के लिये भेजा गया था, परन्तु उन्होंने वहां धन बनाना शुरू कर दिया। तुसकेर परियोजना की कार्यवाहियों की जांच की जा रही है। यथाशीघ्र जांच पूरी की जानी चाहिए और इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा जिन पूरक मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव रक्खे गये हैं, उन का आमतौर से विरोध करते हुए भी मुझे कुछ सुझाव देने हैं। सब से पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि हर वर्ष हम लोग यह देखते हैं कि करोड़ों रुपये की मांगें, पूरक मांगों के रूप में यहां सदन के सामने आती हैं। इस समय तो २७१.५५ करोड़ की नई मांगें रक्खी गई हैं। इन में से अधिकांश मांगें देश की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हैं। इसलिए इन के बारे में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से और न ही धनराशियों के सम्बन्ध में। लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि पिछले अनेक वर्षों से हम लोग यह देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च में पूरक मांगें रक्खी जाती हैं, लेकिन पहले का रुपया रक्खा हुआ होता है वह पूरी तरह खर्च नहीं होता है। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि किसी विभाग के अन्तर्गत ७०-८० लाख रुपये की पूरक मांगें रक्खी गईं लेकिन जब ३१ मार्च को उस का खाता बन्द किया जाता है तो अक्सर कभी कभी १ करोड़ रुपये की, या उस से भी अधिक की बचत दिखलाई जाती है, अर्थात् उस से भी अधिक जितनी कि पूरक मांग की जाती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें कि आया कोई ऐसी प्रणाली निकाली जा सकती है कि हर महीने, हर तीसरे महीने या हर छः महीने, प्रत्येक विभाग में कितना खर्च हो रहा है, इस का बारीकी से अध्ययन किया जाय। कितने रुपये की बचत हो सकती है और उस का किस प्रकार से उसी विभाग की और मदों में सदुपयोग किया जा सकता है, तो इस प्रकार की पूरक मांगें लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्रीमन्, दूसरी बात इस सम्बन्ध में जो सामान्य तौर से मुझे कहनी है वह यह है कि जब से कि संकट की घोषणा हुई है, इमरजैंसी प्रारम्भ हुई है तब से हमारी सरकार ने देश को यह नारा दिया है कि मितव्ययिता पर अमल किया जाय। यह बहुत सुन्दर नारा है। इस पर कुछ हद तक अमल भी हुआ है। लेकिन व्यावहारिक रूप से मैं यह देख रहा हूं कि चौथी श्रेणी

की या चपड़ासियों की कुछ पोस्ट्स तो कम कर दी गई हैं लेकिन इसी पूरक बजट में प्रायः प्रत्येक मांग के अन्तर्गत नई स्टाफ़ कारों के लिए, गजेटेड पोस्ट्स और नान गजेटेड पोस्ट्स के लिए ज़बरदस्त भरती की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये परस्पर विरोधी बातें क्यों की जा रही हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय प्रशासन में पवित्रता के लिए और अपनी कट्टरता के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं और इसलिए उन से तथा उनके सहयोगी उपमंत्री जी से मैं आशा रख सकता हूं और अनुरोध कर सकता हूं कि इस पर कड़ाई से नज़र रखें। यह आवश्यक भी प्रतीत होता है। मितव्ययता की अपील तो की गई है, लेकिन उसका पालन भी होता है या नहीं इसको भी तो देखा जाना चाहिये। अतः इन अनुदानों की मांगों को स्वीकार तो अवश्य कर लिया जाना चाहिये लेकिन वित्त मंत्रालय को इस तरह के आदेश विभिन्न मंत्रालयों को दे देने चाहियें कि जहां तक हो सके, वर्तमान स्टाफ से ही वे काम चलायें और जो नई भरती स्टाफ की या स्टाफ कारों की करनी है, वह थोड़ी देर के लिए अवश्य रोक दें।

दूसरी बात मुझे अनुदान संख्या ५२ के बारे में कहनी है। मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इंडो-तिब्बत पुलिस फोर्स के लिये एक नई रकम इस में रखी गई है। मैं उन सदस्यों में से हूं जोकि वर्षों से इस बात की मांग करते रहे हैं कि हम अपनी उत्तरी सीमा की ओर और सतर्कता से काम लें। हम लोगों की अपीलों पर शुरू शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, इस का मुझे खेद है। लेकिन अब कम से कम सरकार इस ओर सतर्क हुई है, इसलिए मुझे कुछ संतोष है। पर इन्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स जो रखी गई है, उसके सम्बन्ध में मैं एक व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस में नौसिखिये लोगों से काम नहीं हो सकता है। जिन कठिन परिस्थितियों में इन लोगों को वहां काम करना पड़ता है और जिन कठिनाइयों का उनको वहां सामना करना पड़ता है, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। जो लोग वहां रह चुके हैं, जो लोग वहां जीवन बिता चुके हैं, वे ही वहां पर अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। सेला (नेफा) में हमारी सेनाओं को जो पराजय का सामना करना पड़ा है, उसका कारण यह नहीं था कि उन में किसी प्रकार की वीरता की कमी थी, बल्कि उसका कारण यह था कि उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल नहीं किया जा सका था। मैदानों से एक दम आप चौदह हज़ार फीट की चोटी पर चले जायें, कितने ही बहादुर और स्वस्थ आदमी को भेजें, उसको कई हफ्तों तक तो होश भी नहीं आ सकता है, चारों ओर वह देख भी नहीं सकता है, कार्य करना तो अलग की बात रही। इसलिए मैं कहूंगा कि यह जो पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अन्तर्गत संगठित की जा रही है, इसके अन्दर अधिकांशतः उन लोगों को रखा जाये, जिन को वहां रहने का अभ्यास है और उनको ही इस मामले में प्राथमिकता दी जाये।

हमारे पहाड़ों के और इन सीमावर्ती क्षेत्रों के बहुत से लोग, बहुत से पुलिसमैन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में तथा दूसरे राज्यों में भी पहले से काम कर रहे हैं, वहां की सशस्त्र पुलिस में कार्य कर रहे हैं। अगर इस पुलिस फोर्स को एक-दम प्रारम्भ करना है और इस में देरी की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिये, तो अच्छा होगा कि उन लोगों की उन राज्य सरकारों से सेवायें हासिल कर ली जायें और तुरन्त इनको कार्य करने के लिए भेज दिया जाए। इससे काम एकदम शुरू हो सकता है। मान लीजिये कि पांच, दस या बीस हज़ार आदमी हम अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त करते हैं। अब नए आदमियों को ट्रेनिंग देने में बहुत समय लगेगा। ये लोग विभिन्न प्रान्तों में हैं, जैसे राजस्थान में मुझे मालूम है कि वहां कम से कम ढाई तीन हजार आदमी अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल

के काम कर रहे हैं, वे पहाड़ों के रहने वाले हैं, वे उस इलाके के जलवायु के अभ्यस्त हैं, उनको अगर वहां भेज दिया जाए तो वे अपनी जवांमर्दी का परिचय वहां भी दे सकते हैं और अपने पहले के अनुभव के आधार पर सुगमता से वहां कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गर्मी के मौसम में भी काम कर लिया है, राजस्थान के रेगिस्तान में भी काम कर लिया है, और यह अनुभव भी उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

अब मैं डाक तार विभाग के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। इस बार तीन करोड़ चवालीस लाख रुपये की अतिरिक्त मांगें रखी गई हैं। इन में से केवल दूसरी के बारे में ही मुझे कुछ निवेदन करना है। पी० एंड टी० फौर्म्स एंड स्टेशनरी के लिए कुछ रुपया खर्च किया जा रहा है। इस सदन में पहले भी कई बार जब जब इस अनुदान की मांग पर बहस हुई है, तब कहा गया है कि कोई भी समय ऐसा नहीं रहा जब इस बात की शिकायत न की गई हो कि डाकखानों में फार्म्स नहीं मिलते हैं। हमारे यहां का जो संसद्-भवन का डाकखाना है, अब भी अगर आप वहां जा कर देखें तो बहुत से फौर्म्स आप को नहीं मिलेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम इतनी तेजी से डाक तार की सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं और इतना रुपया फौर्म्स एंड स्टेशनरी पर खर्च कर रहे हैं, तो ये फार्म्स उपलब्ध क्यों नहीं होते हैं।

इन फौर्म्स के सम्बन्ध में एक दूसरी बड़ी शिकायत भी की जा रही है। वह यह है कि हम द्विभाषिता, बाइ-लिंगुअलिज्म के युग से गुजर रहे हैं और इस लिये हर एक फौर्म में कम से कम अंग्रेजी और हिन्दी का समान रूप से उपयोग होना चाहिये ताकि उनका अंग्रेजी तथा हिन्दी व दूसरी भाषायें जानने वाले भी उपयोग कर सकें। इस बात का सब पार्टियों व दलों ने समर्थन किया है। लेकिन उस पर अभी तक पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाए।

इसके अन्तर्गत यह भी बताया गया है नम्बर ३ में

"आपातकाल के कारण यातायात में बढ़ोतरी का मुकाबला करने के लिये और नए डाकखाने खोलने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी"

जो कि बहुत अच्छा है। इसके लिए दस लाख रुपये रखे जा रहे हैं। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो डाकखाने खोले गए हैं, वहां भी अभी तक न तो मनीआर्डर के रुपये पूरी तरह से पहुंच रहे हैं और न वहां स्टाफ पूरी तरह से पहुंच पाया है। इसका कारण भी जैसा मैंने पुलिस के सम्बन्ध में कहा है और मुझे उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा किया जाए, अगर मैं उसको दोहरा दूं और ऐसा करते हुए मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, कि जो नीचे गर्मियों के अभ्यस्त होते हैं, वे एकदम अगर ऊपर भेज दिये जाते हैं, तो या तो वे छुट्टी ले लेते हैं या ड्यूटी ही ज्वायन नहीं करते हैं। आप उनको सौ परसेंट अधिक बोर्डर एलाउंस देते हैं, लेकिन फिर भी वे जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैं डाक तार विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनके अन्दर जो डाकखाने खोले गए हैं और डाक तार की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, उनकी इन शिकायतों की ओर भी वह ध्यान दे। दूसरे मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को, जो वहां की परिस्थितियों के अनुकूल हैं, जो उन परिस्थितियों के अभ्यस्त हैं, उन्हें ही नियुक्त करने का प्रयत्न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : युद्ध सामग्री बनाने के कारखानों के कर्मचारियों ने जो आपातकाल में सराहनीय काम किया उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

ऐसा पता चला है कि कुछ शस्त्रास्त्रों के निर्माण का काम गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। यह तो पुरानी प्रथा के विरुद्ध है। इंगलैण्ड में भी ऐसा नहीं होता है। इस तरह से गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों को गुप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

इस सभा में प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात का संयंत्र स्थापित की जाने की सम्भावना है, परन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में बताया कि यह संयंत्र नहीं बनाया जाएगा। इस बारे में स्थिति बताई जाए।

यह हर्ष की बात है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्रों पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है।

स्वर्ण के नियन्त्रण के फलस्वरूप कुछ स्वर्णकारों का बेरोजगार होना वास्तव में दुःख की बात है। उन लोगों को आजिविका कमाने में कठिनाई हो रही है। इस कारण आत्म हत्याएं हो रही हैं। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि उस सम्बन्ध की क्या कार्रवाई की जा रही है।

यह बात आश्चर्यजनक है कि सरकार "इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन" को देने वाली क्षति का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है। कुछ राज्यों में चीनी का मूल्य बहुत बढ़ गया है। देश में चीनी की खपत के लिए चीनी का मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं।

राजाओं की निजी थैलियां बन्द कर देनी चाहियें। निर्धन लोग पिसे जा रहे हैं। अतः निजी थैलियों पर व्यय को बन्द करना चाहिए।

केन्द्र में और राज्यों में द्वितीय सदन समाप्त कर देना चाहिये।

प्रधान मंत्री को भारतीय वाणिज्य परिषद् की वार्षिक बैठक का उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस परिषद् के सभापति ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर विवियन बोस आयोग ने टिप्पणी की है।

†श्री जोआकिम आल्वा (कनारा) : श्रीमन्, अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं मांग संख्या १३ पर अपना मत अभिव्यक्त करना चाहता हूं।

मांग संख्या ९—प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—सेना के सम्बन्ध में मैं इस बात पर आग्रह करता हूं कि प्रतिरक्षा व्यवस्था में गवेषणा पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। औद्योगिक संस्थायें भी गवेषणा पर एक बहुत बड़ी राशि व्यय करती हैं। अब समय है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और प्रतिरक्षा गवेषणा विभाग औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन करें और गवेषणा पर अधिक रुपया व्यय करें।

हमारे तरुण वैज्ञानिक योरोप अथवा अमरीका में बस गये हैं और अपनी मातृभूमि को लौटना नहीं चाहते क्योंकि यहां उन का वेतन केवल ३०० रुपये से आरम्भ किया जाता है। यह वेतन पर्याप्त नहीं है। हमें गवेषणा में प्रगति करनी है जिस से आपातकाल में कार्य करने के लिये वैज्ञनिक उसी प्रकार तैयार रहें जिस प्रकार युद्ध काल में।

मांग संख्या १०—प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौसैना—के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि एक असैनिक अधिकारी को पदच्युत किया गया है, मामला अभी अनिर्णीत है और ७७,००० रुपये जमा

---

†अंग्रेजी में

करवाने हैं। अभियोग चला दिया गया है। किन्तु वह जानते थे कि एक अच्छे वकील को काफ़ी पैसा दे कर अभियोग चलाने के लिये रखना पड़ेगा। ऐसी मांग पर संसद का समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? यह राशि आसानी से खर्च की जा सकती थी।

मांग संख्या १६ आदिम जाति क्षेत्र के सम्बन्ध में है। श्री हेम बरुआ ने कुछ शिकायतें की थीं। मैं समझता हूं वह उड़ीसा के मुख्य मंत्री का उल्लेख कर रहे थे। वह इस बात के लिये उनकी सराहना करना भूल गये कि उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया के मुक्ति सेना के एक सेनानी को अपने हवाई जहाज में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। और चूंकि वह एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं, उनका इस प्रकार उल्लेख किया जाना उचितन नहीं था।

उन्होंने उड़ान के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, यद्यपि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी शिकायतें क्या थीं। नेफा क्षेत्र में विमान-चालन काफी संकटमय है। आई० ए० सी० के विमान चालकों को नेफा क्षेत्र में सेवा करने के लिये उनके वेतन से तिगुने या चौगुने वेतन के लिये कहा जाता है। यदि किसी को १ लाख रुपया भी देकर नेफा क्षेत्र में बिहार-उड़ुयन के लिये कहा जाये तो वह अस्वीकार कर देगा। उस क्षेत्र में उड़ान भरना इतना संकटमय है। मुझ से एक महाशय ने कहा था कि पांच वर्ष पहले उसके दो पुत्रों के जहाज नेफा क्षेत्र में टकरा गये: किन्तु उसे अभी तक कोई प्रतिकर नहीं मिला। मेरे माननीय मित्र ने प्रतिकर का उल्लेख भी नहीं किया। आपात काल में भारतीय वायु सेना ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। भारतीय स्थल सेना और जल सेना ने भी उनके कार्यों की सराहना की है।

अच्छा होता यदि नेफा में हमारी फौज को रसद पहुंचाने का सारा कार्य भारतीय वायुसेना के द्वारा ही किया जाता, अथवा वह आई० ए० सी० करने के लिये कहते। यदि आई० ए० सी० से ऐसा भी इस कार्य को न कर सके तो अन्य कई विमान समवायों से ऐसा करने के लिये कहा जा सकता है। इससे कार्य प्रतियोगिता की दृष्टि से किया जायेगा और यह कटुता भी नहीं रहेगी।

उन्होंने विमान चालकों पर भी आरोप लगाये। किन्तु विमान चालकों की जीवन-निर्वाह की परिस्थितियां भी अधिक अच्छी नहीं हैं। उनके रहने के कमरे बहुत छोटे हैं।

मांग संख्या २१ में गोआ के विकास के लिये, धन की मांग की है। यह धन गोआ में विद्युत शक्ति को कोयना से पहुंचाने के लिये है। किन्तु समीप ही जोग प्रपात और रूपसागर प्रपात हैं, जो छः कपड़ा मिलों को विद्युत दे सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

†**श्री जोशीम आल्वा**: मैं ऐसी बातों पर बोल रहा हूं जिस पर अन्य कोई भी सदस्य नहीं बोला।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: यह केवल पूरक मांग है।

†**श्री जोकीम आल्वा**: मैं जानता हूं। यदि आप कहेंगे तो मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: ३मंत्रियों को बोलना है और हमारे पास कुल ३५ मिनट हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकीम अल्वा : इसके बाद मैं कोलार स्वर्ण खान का उल्लेख करूंगा। वहां ३०,००० मजदूर हैं। कोलार में अन्य कोई उद्योग नहीं है। अब कोलार स्वर्ण खान को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्री किसी उद्योगपति से वहां कोई उद्योग स्थापित करने के लिये कह। इससे श्रमिकों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी। यदि वहां लघु उद्योग भी आरम्भ किये जायें तो बहुत अच्छा होगा। वहां जमीन सस्ती है और विद्युत् भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लघु उद्योगों में काफी मजदूरों को रोजगार मिल जायेगा।

इसके बाद गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत गुप्त वार्ता विभाग के संबंध में मांग हैं। ब्रिटिश राज्य में कुछ चुने हुये व्यक्ति ही देश का जासूसी का सारा कार्य करते थे। हमारे यहां कई व्यक्ति इस कार्य के लिये हैं, लेकिन न उनमें इतनी बुद्धिमत्ता है न चतुराई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री जोकीम अल्वा : आपके कहने से मैं बैठ जाऊंगा। किन्तु मेरे पास कई महत्वपूर्ण विषय बोलने के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। किन्तु प्रत्येक सदस्य को उसकी इच्छानुसार समय नहीं दिया जा सकता।

†श्री जोकीम अल्वा : हमें अपने गुप्त वार्ता विभाग को एक क्रियाकारी और उपयोगी विभाग बनाना है जिससे हम उस पर गर्व कर सकें।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरक मांगों के बारे में मुझे एक बात यह कहनी है कि बजट बनाने में जो आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं, जब से हमारी राष्ट्रीय सरकार आयी है उसके बाद से तो हम बराबर यह देखते हैं कि बजट के बनाने में एक जादूगरी सी की जाती है। और उसमें खास तौर से जो आमदनी होनी है वह तो कम दिखायी जाती है और खर्चा अधिक दिखाया जाता है और यह चीज राज्यों में और केन्द्र में दोनों जगह पायी जाती है। अगर इस जादूगरी को हटा कर करके सही मानों में जो हमारी आमदनी होनी है और जो खर्च होना है उन आंकड़ों का लिहाज रखा जाये तो फिर पूरक मांगों का प्रश्न ही न उठे।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुये बड़ा दुःख होता है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार जिसमें समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का संकल्प किया है, आजादी पाने के इतने सालों बाद भी उस दिशा में सही तौर पर कदम नहीं उठा रही है। जब चीन से युद्ध छिड़ गया तो हम समझते थे कि सरकार का कदम तेजी से उठेगा, लेकिन यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि आज भी करोड़ों की संख्या में करदाताओं की ओर करों का बकाया पड़ा है और वसूल नहीं किया जा रहा। उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मैं तो देखता हूं कि जिस प्रकार इस इमरजेंसी से पहले राज्यों का और केन्द्र का शासन चलता था उसी तरह आज भी चल रहा है, उसमें कोई तेजी नहीं आयी है।

आज टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस इमरजेंसी के जमाने में उन मुट्ठी भर सरमायेदारों की तरफ भी ध्यान रखा जाये जिनकी मदद से सरकार खेल रही है और जिनको नाजायज फायदा दे रही है।

जहां तक सप्लीमेंटरी डिमांड्स का प्रश्न है, मुझे प्रिवी पर्स के बारे में एक शब्द जरूर कहना है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कम्पलसरी सेविंग्स बिल इंट्रोड्यूस किया जिसके

---

†मूल अंग्रेजी में।

अन्तर्गत एक गरीब काश्तकार भी सालाना मालगुजारी का ५० प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करने के लिये बाध्य कर दिया गया है। श्रीमन्, अगर प्रिवी पर्स बन्द करने या उनमें कटौती करने के लिये कोई कानूनी दिक्कत पड़ रही है तो कम से कम यह चीज तो अवश्य होनी चाहिये कि जो प्रिवी पर्स दी जा रही हैं, उनको पांच वर्ष के लिये कम्पलसरी डिपाजिट के लिये उनको बाध्य कर दिया जाये और उस पर उनको भी सूद दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि एक गरीब काश्तकार को तो बाध्य किया जा रहा है कि वह अनिवार्य बचत करे, १२५ रुपया मासिक पाने वाले सरकारी नौकर को अनिवार्य बचत करने के लिये बाध्य किया जा रहा है परन्तु राजा लोग जिनको कि यह प्रिवी पर्स दी जा रही है उनको इस अनिवार्य बचत के करने के लिये क्यों बाध्य नहीं किया जा सकता? अगर ५ साल तक उनका प्रिवी पर्स का रुपया डिपाजिट होकर उनको इंटरैस्ट दिया जाय तो श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

जहां तक हाउसिंग की डिमांड्स का ताल्लुक है मुझे यह कहना है कि अभी पिछली बार, पिछले कई दिनों में इस बात का उल्लेख सभी अखबारों में आया और मिनिस्टर साहबान के अलग अलग जो पानी और बिजली का खर्चा है उसके बारे में जो आंकड़े आये, उनसे आंख खुल जाती है। वास्तव में यह चीज समझ में नहीं आती कि आजकल भी जबकि संकट काल चल रहा है और राष्ट्र से मितव्ययता की अपील की जाती है, तब इस ओर कोई ध्यान न दिया जाय। मैं तो इस माने में अपने गृह मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वह एक मंत्री हैं जिन्होंने रेल की दुर्घटना होने पर त्यागपत्र देकर एक आदर्श उपस्थित कर दिया है। उन्होंने एक वक्तव्य निकाल कर कह दिया कि अगर मैं अपने परिवार में बिजली और पानी के खर्चे को कम नहीं कर सका तो मैं अपनी जेब से उसका खर्चा दूंगा और वह बढ़ा हुआ खर्चा सरकार द्वारा नहीं दिया जायगा। अब अगर एक मंत्री इस प्रकार कर सकता है तो क्या अन्य माननीय मंत्रियों की माली हालात उनके मुकाबले में इतनी खराब है कि वे इस संकट काल के समय में इस बात को करने के लिये तैयार नहीं हो सकते।

श्रीमन्, मुझे एक बात और कहनी है। इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में विशेष तौर पर कृषि के लिये जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में अगर यह कहूं कि जो आंकड़े, जो फैक्ट्स एंड फीगर्स कृषि उत्पादन के संबंध में दिये जाते हैं, वह आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। तो यह गलत नहीं होगा। उन आंकड़ों का आधार लेखपाल का रजिस्टरों में वह इंदिराज रहता है जोकि वह पीछे अपने घर में बैठे कर लिया करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि कभी किसी साल तो यह आ जाता है कि जो हमारा लक्ष्य निर्धारित था उत्पादन का, वह पूरा हुआ परन्तु उसके आगामी साल में फिर उस लक्ष्य में कमी हो जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कृषि के संबंध में जो फैक्ट्स एंड फीगर्स इकट्ठे किये जा रहे हैं, उन पर ध्यान न देते हुये, विशेष तौर पर यह कोशिश सरकार की ओर से होनी चाहिये कि ग्रेजुएट्स जो पढ़ाये जाते हैं, उनका सीधा कृषक से संबंध रहे और यह कागज के आंकड़ों पर, फरजी आंकड़ों के ऊपर न जाकर सही आंकड़ों के आधार पर इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि हमारे देश में इतना गल्ला उत्पादन किया जाय कि उससे हमारे देशवासियों को बाहर से गल्ला मंगाने की आवश्यकता न हो।

अन्त में मैं आप के द्वारा फाइनैंस मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह यह जगलरी और जादूगरी जोकि बजट बनाने के आंकड़ों में होती है, उनको कम से कम इस इमरजेंसी पीरियड में समाप्त कर जो वास्तविक फीगर्स हैं उनके आधार पर बजट बनाया जाय ताकि इस प्रकार की सप्लीमैंटरी डिमांड्स की आवश्यकता न हो।

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह): बहुत से माननीय सदस्यों ने उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में विमानों द्वारा सामान गिराये जाने के बारे में जो आरोप लगाये हैं, वे सब

†मूल अंग्रेजी में

भ्रांति पर आधारित हैं। खेद है कि जिन्होंने ये सब बातें कहीं हैं, वे मेरा उत्तर सुनने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं।

स्थिति यह है कि हवाई अड्डे पर संभरण की चीज तैयार रखी जाती हैं और उन्हें विमानों में लाद दिया जाता है। नेफा प्रशासन का उत्तरदायित्व तो सामान के गिराये जाने का ही था। इस सामान के गुम होने के बारे में जो उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों ने किया है और कहा है कि वे चीजें कलकत्ते में बिकी हैं। उस सम्बन्ध में पहिले भी सदन में बहुत कुछ कहा गया है, फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थिति क्या है।

२१ अगस्त, १९६० को एयर लाइन्स कारपोरेशन ने यह कह दिया कि अब वह गिराने की और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इससे हमारे समक्ष एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। उन्होंने लगभग ६००० टन गिराना था परन्तु वे केवल ३२४९ टन गिरा पाये। तो हमें इसकी उसी समय वर्तमान और भविष्य की व्यवस्था करनी पड़ी। ६ बड़े बड़े समाचारपत्रों में टैंडरों की सूचना दी गयी। किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया। आमंत्रित टैंडरों में केवल "कलिंग एयरलाइन्स से ही निश्चित प्रकार के टैंडर प्राप्त हुये थे। जो कुछ भी उनसे तय किया उसकी बोर्ड द्वारा खूब चांज पड़ताल कर ली गयी। बड़ी व्यापक देखभाल के बाद इस बारे में अन्तिम निर्णय किया गया। इंडियन एयर लाइन्स वाले जिसका ७७५ रुपये ले रहे थे, उसका कलिंग वालों ने ७५० रुपये लिये।

जो कुछ भी इस बारे में संविदा हुई उसकी अवधि के बारे में कुछ बात कही गयी थीं। अवधि थोड़ी और लम्बी हो सकती है, इस बारे में किसी भी निगम के साथ कोई रियायत नहीं की गयी। हानि उठाने के बारे में मेरा निवेदन है कि एक ऐसा खंड है जिसके अन्तर्गत ४ प्रतिशत से अधिक हानि 'एयरलाइन्स' को उठानी ही होती है।

श्री हेम बरूआ ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। इस बारे में मेरे लिये कुछ कहना संभव नहीं। परन्तु यदि उनका इशारा आसाम के महा लेखापरीक्षक के एक टिप्पण की ओर है तो मेरा निवेदन है कि हमने उसका उत्तर दे दिया है। यह बात भी गलत है कि पहिली एयर लाइन्स और अब की एयरलाइन्स में कोई परस्पर संबंध है।

गोआ में लघु उद्योगों को चालू करने के बारे में मैंने सविस्तार वक्तव्य दिया है। इस बारे में हम १४० आवेदन पत्र स्वीकार कर चुके हैं। इस के अतिरिक्त हम कई एक उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं। हम एक सहकारी संस्था की भी सहायता कर रहे हैं जो कि १५०० एकड़ भूमि पर नमक बनाने का उपक्रम कर रही है।

अन्त में मैं मेरा कहना है कि श्रीहेम बरुआ ने जो भी आरोप लगाये हैं, उन के बारे में मेरा कहना है कि इन आरोपों के बारे में प्राथमिक जांच की गयी थी, परन्तु वे सब सारहीन थे।

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : इन अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात तथा चीनी का नियति भी आता है। श्री दाजी ने "श्री एल० ४८०" के बारे में गलत बातें कही है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि "पी० एल० ४८० ' के अन्तर्गत आयात के लाभों के बारे में कई बार इस सदन में बताया जा चुका है। यह आयात की रकम का केवल १५ प्रतिशत है। यह अमरीका सरकार द्वारा भारत में अपने दूतावास और अन्य कर पर अपनी मर्जी से खर्च करने के लिये पृथक रखा जाता है। बाकी जो बचता है उस में ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में जो ४० वर्षों में बहुत कम ब्याज की दर पर चुकाया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात किये गये गेहूं के बारे में भी चर्चा हुई है। श्री दाजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह गेहूं घटिया कोटि का नहीं था। और इसे सस्ती दुकानों पर लोगों में वितरण किया जाता है। १९६० के करार के अनुसार १६० लाख टन गेहूं दिया जाना था परन्तु हमने अभी तक ५५ लाख टन ही अभी आयात किया है और १ करोड़ पांच लाख टन अभी रहता है। इसी करार के अन्तर्गत चावल का निर्यात १० लाख टन का था जिस में से अभी ५.७ लाख टन आयात करना अभी बाकी रहता है। इस में कोई सन्देह नहीं कि मूल्य स्थिर करने में और उचित मूल्य बनाये रखने में "पी० एल० ४८०" के अन्तर्गत आयात से काफी बड़ी सहायता प्राप्त हो चुकी है। परन्तु यह कहना बिलकुल निराधार है कि इस से खाद्य के उत्पादन के बारे में हम आत्म निर्भर हो गये हैं।

चीनी के निर्यात की बात की गयी है। निर्यात से हानि का तुरन्त अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इस बात का अनुमान चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर करता है। यह मूल्य दिन प्रतिदिन और मास प्रति मास भिन्न होता है। इस मांग के लिये मूलरूप में हमने ५ १।२ करोड़ मांगें थे। इसके अतिरिक्त बाद में ८ करोड़ की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गयी।। अतः इस के लिये राशि अब १३.५ करोड़ हो गयी है। अब ९५.९४ लाख की राशि और मांगी गयी है। पहिले विचार था कि हम ३.५ लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात होगी, परन्तु अब यह अनुमान ३.९५ लाख मीट्रिक टन होगा। शायद हानि इस से कुछ अधिक हो जाय। यह बात भी गलत है कि मिलें इस स्थिति का लाभ उठा रही हैं, यह बात भी नितान्त गलत है। हम मिलों से चीनी, न हानि-न-लाभ के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं।

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री दाजी ने एक विशेष दृष्टिकोण से दो तीन बात कहीं हैं। उन्होंने कहा है कि रूरकेला के कर्मचारियों को जर्मन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व क्यों दिया जा रहा है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वहां के छोटे और बड़े कर्मचारियों को आधुनिक ज्ञान होना चाहिये क्योंकि इस से रूरकेला की कुशलता में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों को भारत में बुला कर उनके द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये जर्मनी भेजने से कहीं अच्छा है। इस से विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

उन्होंने यह कहा है कि पी० एल० ४८० के व्यय के सम्बन्ध में हम से परामर्श क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्हें वस्तुतः रुपया व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। हमने प्रश्नोत्तर तथा कई अन्य तरीके से यह बताया है कि ८० प्रतिशत रूपये के संसाधनों का भारत में उपभोग किया जायेगा। भारत सरकार ही इसका निर्णय करती है कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अवशेष २० में से, ५ प्रतिशत का उपयोग ऐसे संयुक्त भारत अमरीकी परियोजनाओं में किया जा सकता है जिस से संबंधित देश को लाभ होता है। इस विषय की परियोजनाओं में हमारी सहमति ली जाती है क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के लिये होते हैं। जहां अवशेष १५ प्रतिशत का संबंध है वे कुछ विशेष स्वीकृत प्रयोजनों के लिये होते हैं, यद्यपि इस संबंध में भी परस्पर परामर्श होता है तथापि यदि वे चाहें तो इन विशेष प्रयोजनों के लिये वे हम से परामर्श नहीं भी कर सकते हैं।

वस्तुतः इस राशि की तुलना अन्य किसी ऐसी राशि से की जा सकती है। पी०एल० ४८० में ऋण में मिले हुए गेहूं की बिक्री की राशि शामिल है। अतः यह व्यापार की शर्तों से अनुशासित होती है और यह एक पृथक वर्ग है।

माननीय सदस्य ने रूबी बीमा समवाय तथा न्यू एशियाटिक बीमा समवाय के संबंधमें उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है कि उनके कार्यों की जांच की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि हम कुछ

मामलों में पक्षपात करते हैं। इस संबंध में सभा में उस समय भी यह बात उठी थी जब कि एक गैर-सरकारी सदस्य के इस संकल्प पर चर्चा की गयी थी कि सामान्य बीमे का राष्ट्रीय करण किया जाये। हम बता चुके हैं कि इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है। लेखा परीक्षकों ने बीमा नियंत्रकों को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। बीमा नियंत्रक ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। तथा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अब यह मांग रखी गयी है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया। यह कोई सरकारी विभागों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं थी, ऐसे प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इस मामले का पहिले निपटारा कर लिया गया है।

यह कहा गया है कि चतुर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति तो कम कर रहे हैं जबकि अधीक्षक और गजेटेड कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आपातकाल के आरम्भ के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि कर्मचारियों की संख्या में १० प्रतिशत कटौती की जायेगी। संस्थापनों के व्यय में वृद्धि न करने के लिये कई तरीके सोचे गए। सचिवों तथा संयुक्त सचिवों के पदों की आवश्यकता के बारे में भी विचार किया गया था उन पदों को तभी रखा गया जब उन्हें अनिवार्य समझा गया।

श्री आल्वा ने कहा है कि हम न्यायालय की डिक्रियों के बारे में कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते हैं। जहां हम न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेते हैं वहां तो हम कुछ व्यवस्था करते हैं तथापि जहां हम यह अनुमान नहीं लगा सकते वहां कुछ उपबन्ध करना कठिन होता है।

श्री भक्त दर्शन ने यह कहा है कि हम अनुपूरक अनुदानों की मांग करते हैं तत्पश्चात् वह राशि वापस कर दी जाती है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है।

श्री आल्वा ने कोलार की सोने की खानों के बारे में पूछा है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खानों का संचालन अधिक मितव्ययता से नहीं किया जा सकता है। इस समय वहां उत्पादन किये जाने वाला सोना विश्व में उत्पादन किये गये सोने से दुगुना महंगा पड़ता है। हम या तो खान में सोने की नई परतों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं या यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां के कारीगरों को प्रतिरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों के उद्योगों में खपाया जा सके।

यह कहा गया है कि आपात काल में राजा लोगों की निजी थैलियां बन्द कर दी जाये या इन पर भी अनिवार्य बचत का सिद्धांत लागू किया जाये। यह दृष्टिकोण राजनैतिक सिद्धांत पर आधारित है। निजी थैलियां भारत सरकार और राजा लोगों के बीच हुए विशेष समझौते पर आधारित है। अतः हम उन्हें नहीं तोड़ना चाहते हैं। निसंदेह कुछ मामलों में भारत सरकार को निजी थैलियां समाप्त करनी पड़ीं या उनकी राशियां कम करनी पड़ीं। कई राजा लोग स्वेच्छा से १० प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं। तथापि यह कहना कि निजी थैलियां बंद कर दी जायें या उन में अनिवार्य कटौती की जायें समझौते में अन्तर्हित सिद्धान्तों का हनन करना है। ऐसा करने से देश का कोई हित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कट तो प्रस्ताव संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदयद्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १, २, ३, ४, ५ और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३,५३,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	२,२५,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना	३७,१०,००,०००
१०	प्रतिरक्षा-सेवायें क्रियाकारी-नौ सेना	४०,००,०००
१६	आदिमजाति क्षेत्र	१,२५,००,०००
२१	गोआ, दमन और दीव	५०,००,०००
२९	मुद्रा और सिक्के	८०,०००००
३०-क	कोलार की सोने की खानें	१,९८,०६,०००
३१	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	३५,००,०००
३४	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१८,२०,००,०००
३७	केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१,११,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	९५,५४,०००
४८	गृह-कार्य मंत्रालय	२०,१५,०००
४९	मंत्रिमंडल	३,१५,०००
५०	क्षेत्रीय परिषदें	६,०००
५२	पुलिस	४,६६,४८,०००
५३	जनगणना	६४,६४,०००
५५	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां	२३,०००
५६	दिल्ली	५५,२७,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	७५,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	१,१९,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	११,२७,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१६,००,०००
८६	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय	४,९२,०००
८७	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१४,५१,१६,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९१	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) . . .	२५,८९,०००
९२	वणिक नौवहन	७,६५,०००
९७	भारतीय डाक व तार विभाग	३,४४,००,०००
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय .	८५,०००
१०१	सार्वजनिक निर्माण-कार्य . .	८२,५९,०००
१०२	लेखन-सामग्री और मुद्रण . .	८५,००,०००
११०	राज्य-सभा	२,६५,०००
११६	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१८,००,०००
११८	मुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय .	३,६४,००,०००
११९-क	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय.	३५,२१,०००
१२१	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	२०,२७,४०,०००
१२३	ऋण तथा अग्रिम धन	१०,९२,७६,०००
१२५	खाद्यान्नों की खरीद . . .	२३,४८,००,०००
१३३	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	१,०००
१३५	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	९,०८,४५,०००
१४४	अणु-शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . . .	२,०००

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आय व्ययक पर चर्चा करेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : यह बजट हमारे इतिहास के संकट के समय का बजट है । ऐसे समय जब कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपना रहे थे हमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के संबंध में सचेत होना पड़ा । अतः यह आयव्ययक प्रतिरक्षा और विकास कार्यों का बजट है । हमें बजट को उन करोड़ों व्यक्तियों के दृष्टिकोण से देखना है जो लगभग भूखे मर रहे हैं और जिन का जीवन-स्तर हमें उठाना है ।

निसंदेह साम्यवादी दल भी यह चाहता है कि प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये अधिक राशि व्यय की जाये तथापि प्रश्न यह है कि यह राशि पूंजी पतियों, उद्योगपतियों और राजाओं से ली जाये या कि इन्हें पुराने ढ़र्रे के अनुसार उन लोगों से लिया जाये जो इस का भार भी वहन नहीं कर सकते हैं ।

†बूब अंग्रेजी में

वर्तमान बजट का सब से अधिक भार वेतन भोगी वर्गों पर पड़ेगा। हमारे पास छोटे व्यापारियों तथा कृषकों पर जिन से अनिवार्य बचत करने को कहा गया है, इस के अतिरिक्त तम्बाकू, मिट्टी के तेल इत्यादि पर जो कर लगे हैं, उन से सामान्य जनता पर ही आघात होगा। दुख का विषय यह है कि बजट के प्रस्तुत होते ही कई वस्तुयों के मूल्य तत्काल बढ़ गये। कई वस्तुओं जैसे चीनी और चावल के दाम भी बढ़ गये हैं। कलकत्ता तथा उस के निकटवर्ती स्थानों में तो मिट्टी के तेल की चोरबाजारी चल रही है ।

अब मैं किराये के प्रश्न को लेती हूं। दिल्ली में किराया बेतहाशा बढ़ रहा है। एक एक कमरे का किराया ८० से १०० रुपये तक है। यही हाल बम्बई और कलकत्ता में भी है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है ।

ठीक यही बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है । सरकार ऊपरी स्तर पर कुछ भी करती प्रतीत नहीं होती है जब कि निम्न स्तर वालों से अनिवार्य बचत करने को कहा जा रहा है।

मोरारजी भाई ने कहा कि मूल्य उचित रूपेण स्थिर हैं। मैं इस का अभिप्राय नहीं समझ सकी क्योंकि लन्दन एकोनोमिस्ट जैसे रूढ़िवादी पत्र का मत है कि थोक के मूल्यों में ७ प्रतिशत और खाद्य पदार्थों के थोक मूल्यों में ११ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

अनिवार्य बचत योजना को लीजिये। एक क्लर्क या मिस्त्री को कुल १२५ रुपये मासिक मिलते हैं। उनमें से ३ पये १२ आने अनिवार्य बचत के काट लिये जायेंगे जब कि पहले उस की अनिवार्य विधि की रकम भी कटती है और ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत किराया मकान में चला जाता है। कलकत्ता जैसे नगर में इस वर्ग के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वे बकाया पैसों से कैसे गुजारा कर सकते हैं । ३/१२ रुपये की रकम देखने में तो छोटी लगती है किन्तु इस आय के लोगों के लिये २ दिन का खर्च है।

१००० पये की आय वाले व्यक्ति के १०५ रुपये कट जाने पर भी उस के ८९५ की रकम बचती है जो कि काफी है। इसलिये निम्न आय वर्ग को इस कर से मुक्त रखना चाहिये ।

आय कर भी निम्न आय के वर्गों पर अधिक है। ५००० से ६००० रुपये की आय के वर्ग पर आय कर बढ़ा कर छै गुना किया गया है जब कि १०,००० या १२,००० की आय पर दुगना और उस से भी अधिक आय के लोगों पर १$^{1}/_{2}$ गुना।

४०,००० से अधिक आय पर १० प्रतिशत अतिकर को व्यापारी बहुत अधिक कहते हैं और उन का मत है कि इस कारण उद्योग ठप्प होता जा रहा है। किन्तु वास्तव में ये धनी लोग भारत में केवल १ प्रतिशत है जिन के पास धन केन्द्रित हो रहा है ।

केवल अतिलाभ कर से और सम्पत्ति कर के अन्तर्गत छूट की सीमा नीची कर के २५,००० कर देने से धन के बितरण के सम्बन्ध में कुछ किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस से अतिलाभ कर द्वारा २५ करोड़ और सम्पत्ति कर द्वारा १२.४ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आय के सम्पत्ति के एकाधिकारों के समाप्त करना चाहिये। आज कल ए ह ए ह निदेशक कई कई कम्पनियों को संभाले हुए है ।

हम तो समाजवाद की बात करते हैं। इंगलैंड में १९४३ में अतिरिक्त लाभ कर बढ़ा कर ९५ प्रतिशत कर दिया गया था। अमरीका में भी यह ३२.७ प्रतिशत था जब कि हमारा अतिलाभ कर केवल ९ प्रतिशत है और व्यापारियों के लाभ की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

ठेकेदार कर से बिल्कुल बचे हुए हैं। वे लोग श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं। वे लोग श्रमिकों को ५ महीने और २९ दिन काम पर लगाये रखते हैं और फिर नई भरती कर ली जाती है। ताकि वे अस्थायी रहें। सरकार को चाहिये कि इन कर्मचारियों को भी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाया जाये। इस संबंध में मैं यह भी बताना चाहती हूं कि श्रमिक संगठनों ने भविष्य निधि के अंशदान को ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ प्रतिशत करने की मांग की है।

इतने भारी करारोपण के उपरान्त भी हमें यह नहीं बताया जा रहा कि अपवंचन के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। जब तक कर के अपवंचन को नहीं रोका जाता, कर बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं।

त्यागी समिति ने भी कहा है कि हमें इस संबंध में अधिक कठोर उपाय अपनाने चाहियें। उन के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्या यह नियम केवल साम्यवादियों अथवा निरपराध साधारण व्यक्तियों को राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से जेल में डालने के लिये ही हैं?

हमें विदेशी व्यापार में भी प्रगति करनी चाहिये। यह केवल विदेशी व्यापार से धन प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं है अपितु कम रुपये का भी बीजक बनाना और दूसरे दूषित मार्ग अपनाये जाने का भी प्रश्न है, जिन्हें हमें रोकना है। जूट उद्योग में ही ८ व्यक्तियों ने, जो जूट के बड़े व्यापारी हैं, कम रुपयों के बीजक बनाये हैं। कुछ माह पूर्व एक जूट मिलों के मालिक को पकड़ लिया गया था। किन्तु २४ घंटे बाद ही किन्हीं कारणों से उस के जहाज को जाने दिया गया।

विदेशी विनिमय विनियम के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। कुछ बड़े व्यापारी कह रहे हैं कि उन की बहुत हानि हुई है। किन्तु डालमिया-जैन संस्था में क्या हुआ है? यह हमें विविन बोस प्रतिवेदन से पता चलता है। बिरला के सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कम्पनी और रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की जांच करने के लिये विशेष लेखा-परीक्षक नियुक्त किये गये थे। उन्होंने बहुत कड़ी बातें कहीं। यह कहा गया कि बीमा अधिनियम, १९३० और १९५६ के भारत समवाय अधिनियमों और विदेशी विनिमय विनियमों का उल्लंघन किया गया है और रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी का रुपया बिरला संस्था के उपयोग में लाया गया है। ऐसी ही बातें दूसरी संस्थाओं के संबंध में भी हैं।

बैंकों के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहती हूं। हम ने योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था को उन्नति का आधार माना है। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के राष्ट्रीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। जब बर्मा में ऐसा कर दिया गया है, जो कि एक छोटासा देश है, तो क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उन का कथन है कि क्योंकि बैंक प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का आयात-निर्यात का व्यापार करती हैं इन का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। इस के अतिरिक्त उन का कहना है कि जो लाभ की इतनी बड़ी राशि अर्जित करती है और जो जनता का इतना धन जिस के पास रहता है उस संस्था को व्यक्तिगत हाथों में नहीं रहने दिया जाना चाहिये। बिना बैंकों के राष्ट्रीकरण के हम न संकेन्द्रण को रोक सकते हैं न मूल्य-वृद्धि को। रक्षित बैंक का राष्ट्रीकरण किया जा चुका है और इस ने अच्छा कार्य किया है। यदि हमें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा-व्यवस्था और उन्नत अर्थ-व्यवस्था के अपने ध्येयों को प्राप्त करना है तो शेष बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय पर भी विचार करना होगा।

हमारी ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। किन्तु यह आय स्थिर रही है क्योंकि कृषि-उत्पादन में कुछ कमी हुई है। वस्तुत : गत ४ वर्षों में कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई।

उर्वरकों का मूल्य भी वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है।

सिंचाई क्षमता के उपयोग की भी समस्या है। लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता। भारत जैसे देश में जहां सिंचाई क्षमता कृष्ट क्षेत्र के पांचवें भाग के बराबर है इसका पूर्ण उपयोग नहीं करना ठीक नहीं।

मूल्यों में वृद्धि हो रही है। हमसे यह कहा जाता है कि हम उपयोग को कम करें। उपभोग उच्च स्तर पर कम किया जाना चाहिये। जो लोग अभाव के स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं वह ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं।

चार आधारभूत आवश्यकतायें हैं जिसको देखते हुये हमें एक प्रमाप निश्चित करना है और उससे नीचे हम जीवन-स्तर को नहीं गिरा सकते। वह आवश्यकतायें हैं; रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की शिक्षा।

अन्तिम बात सरकार के व्यय में कमी के विषय में है। अनियोजित व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब अन्य लोगों से इतना भार वहन करने के लिये कहा जा रहा है तो सरकार क्यों नहीं अपना व्यय कम करती? मंत्रियों पर जितना व्यय किया जाता है उसे पढ़ कर लोग आश्चर्य से चकित रह गये। मंत्रियों को ३२,००० रुपये का फर्नीचर दिया गया है। प्रति मंत्री का बिजली का खर्च ४५० रु० से ६०० रुपये तक और पानी का खर्च १५० रुपया है। एक स्टाफ कार हर समय उनके पास रहती है। यह छोटी छोटी बातें प्रतीत होती हैं किन्तु यदि इनको जोड़ा जाय तो अंक करोड़ों रुपयों तक पहुंच जाते हैं।

इस लिये पहले हमें उच्च स्तर पर इस बात को अनुभव करना चाहिये। समाजवाद का अर्थ संकेन्द्रण को समाप्त करना है। हमें एकाधिपत्य समाप्त करना है। मैं ने सार्वजनिक क्षेत्र और प्रिवी पर्स आदि के बारे में कुछ नहीं कहा। किन्तु यदि असमानतायें दूर करनी हैं तो चाहिये कि बजट में धनिक वर्ग के लिये कठोर उपबन्ध किया जाये सारे प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करके मूल्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाये, और चोर बाजारी को समाप्त किया जाये।

माननीय वित्त मंत्री मेरे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुये कि निम्न आय वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य बचत योजना को लागू नहीं किया जाये। यह उन लोगों के लिये कठिनाई उत्पन्न कर देगा जिन्होंने देश के विकास और उसकी प्रतिरक्षा के लिये सराहनीय कार्य किया है। हमें अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करना है। अगले वर्ष भी हमें काफी रुपयों की आवश्यकता होगी। यह रुपया धनिक-वर्ग के पास है। वित्त मंत्री को चाहिये कि यह रुपया उनसे लिया जाये।

†**श्री उ० ना० ढबर** (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं तीन भिन्न दृष्टि कोणों से इस प्रश्न को उठाऊंगा। पहली बात तो है वित्त मंत्री द्वारा उठाये गये पगों की अनिवार्यता, दूसरी उनकी युक्तिसंगतता और तीसरी बात है अन्य प्रासंगिक उपाय।

मैं सभा को नवम्बर में किये गये संकल्प का ध्यान दिलाता हूं। हमने देश की एकता की रक्षा करने के लिये अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार कार्य करने का संकल्प किया था। आय-व्ययक पर की गयी आलोचना से यह प्रतीत होता है कि उस बात को भुला दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० ना० ढेबर]

जनता पर तीन दायित्व हैं। पहला आर्थिक सुस्थिरता को बनाये रखना, दूसरा आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था और तीसरा देश की एकता और स्वतंत्रता। २५० वर्ष की दासता के काल में हमारी अर्थ-व्यवस्था डांवाडोल हो गयी थी।

वित्त मंत्री ने स्वतंत्रता के लिये विनिधान करने का सुझाव रखा है। इससे अधिक लाभकारी और कोई सुझाव नहीं चाहे वह, कृषि में हो अथवा उद्योग में।

यह विनिधान किस प्रकार का है? स्वतंत्र दल के नेता ने कहा है कि वित्त मंत्री ने लोगों के विरुद्ध आर्थिक-युद्ध का अभियान किया है। वित्त मंत्री ने आय-व्ययक में ४०० से ४३५ करोड़ की मांग की है। गणना करने पर यह राष्ट्र की १२ दिन की आय के बराबर होती है। अर्थात माह में एक दिन की आय। क्या यह आर्थिक युद्ध है? यह किस प्रकार का तर्क है कि एक ओर तो सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह युद्ध के लिये तैयार नहीं थी और दूसरी ओर जब वह युद्ध की तैयारी के लिये प्रतिमाह १ दिन की आय की मांग करती है तब इसे आर्थिक युद्ध कहा जाता है।

प्रमुख समस्या अधिलाभ कर की है। वित्त मंत्री पूंजी अथवा लाभ को लोगों से विलग करना नहीं चाहते। वह तो केवल यह चाहते हैं कि यदि लाभ ६ प्रतिशत से अधिक हो तो उसमें से आधा सरकार को दिया जाये। इसमें उन्होंने अतिरिक्त लाभ कर का ही सिद्धांत अपनाया है।

अतिरिक्त लाभ कर का अर्थ है कुछ औसत और उससे ऊपर। व्यापारिक संस्थाओं का कहना है कि गत छः वर्षों में उनके लाभ की औसत बहुत ऊंची है और उसको सुनिश्चित करने के पश्चात् इस से अधिक का त्याग करने के लिये वह तैयार हैं।

यह कहा जाता है कि इन उपायों द्वारा सरकार पूंजी निर्माण को रोक रही है। यदि कोई संयुक्त स्कंध समवाय के संतुलन पत्र को देखे तो उसके सामने पूंजी निर्माण का समस्त इतिहास स्पष्ट हो जायेगा। किन्तु सरकार मूल्य ह्रास निधि, कर-आरक्षण आदि की आज्ञा देकर अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कितना योग दे रही है। यदि हम गत कुछ वर्षों के पूंजी-निर्माण के आंकड़े देखें तो प्रतीत होगा कि व्यापारिक संस्थाओं द्वारा परिदत्त पूंजी के रूप में केवल १०.२ प्रतिशत किया है और शेष उधारों और मूल्य ह्रास निधि द्वारा प्राप्त किया गया है।

जहां तक मैं ने आंकड़ों का अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि पूंजी-निर्माण बन्द न हो। इसके लिये संसाधन उपलब्ध हैं। उधार लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रक्षित निधियों को नहीं छुआ जा रहा। मेरा तो विचार था कि व्यापारिक संस्थायें रक्षित निधियों में से कुछ त्याग करने के लिये प्रस्तुत होंगी। मैं नहीं मानता कि उन्होंने अपनी पाई-पाई उद्योग में लगादी है। मैं समझता था कि वह अपनी व्यक्तिगत रक्षित निधि में से भी कुछ देश के उद्योग का निर्माण करने के लिये दे देंगे।

भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशों में लगभग १०० करोड़ रुपये का विनिधान किया हुआ है। इसका अर्थ है कि वित्त मंत्री अधिलाभ कर के रूप में उनसे २५ करोड़ रुपये मांग रहे हैं। यदि पूंजी-निर्माण में कुछ कमी भी रह गयी तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इस आपात काल में विदेशों के विनिधान को देश में ही लगाया जाये। इससे दो प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे: विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध होगी और पूंजी निर्माण की कमी भी दूर हो जायेगी।

यह भी तर्क उपस्थित किया गया कि इससे मुद्रास्फीति होगी। दूसरी ओर अधिलाभ-कर लगाने के लिये यह कह कर वित्त-मंत्री की आलोचना की जा रही है कि इससे पूंजी-निर्माण के कार्य में रुकावट होगी। यह दोनों विरोधी बातें हैं। इस विरोध के उत्पन्न होने का कारण यह है कि जो लोग विनिधान, पूंजी-निर्माण और लाभ आदि के बारे में विचार करते हैं उनका विचार यह है कि जो कार्य मूलत: भारत की जनता को करना है उसे काई और कर रहा है। वह चाहते हैं कि भारत अपनी तटस्थता की नीति छोड़ दे। किन्तु वह इस बात को भूल गये कि काई भी किसी दूसरे की प्रतिरक्षा उस समय तक नहीं करता जब तक वह इसका मूल्य न दे।

मेरे विचार में सभा को वित्त मंत्री का समर्थन करना चाहिये। जितना मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है उसके बल पर मैं यह कह सकता हूं कि वित्त मंत्री ने विवेक से काम लिया है। एक ओर उन्होंने निर्धन वर्ग से भार वहन करने के लिये कहा है और दूसरी ओर अधिलाभ कर लगा कर उद्योगों के ऊपर कुछ भार डाला है।

इस सम्बन्ध में मेरे दो या तीन सुझाव हैं। पहला नये और छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में है। भारत में उद्योग का स्वरूप इस प्रकार का है कि पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग कुछ ही उद्योगों के पास है। इसलिये इन नये और छोटे उद्योगों पर बड़े उद्योगों के समान ही विचार करना है। और दूसरा प्रश्न अधिमान अंशों के सम्बन्ध में है जो ६ प्रतिशत के हैं। यह दर ६ प्रतिशत से अधिक है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इन दोनों बातों पर विचार करेंगे।

अब मैं दूसरे पहलुओं पर आता हूं। मैं तीन महत्वपूर्ण बातों पर जोर देना चाहता हूं। पहला तो यह कि कृषि उत्पाद की वृद्धि का ध्यान रखा जाये। दूसरा यह कि मूल्य स्थिर रखे जायें। तीसरा प्रश्न उन वेतनभोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जिन्हें २५० रुपयों से कम मिलते हैं और जिन से हम अनिवार्य बचत की रकम चाहते हैं। पहले मैं कृषि उत्पादन का प्रश्न लूंगा। खाद्य और कृषि मंत्री कई उपायों से कृषि का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु इस समय देश के लिये कृषि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैं आलोचना करना नहीं चाहता। राष्ट्रीय आय सर्वेक्षण के प्राक्कलनों से यह प्रतीत होता है कि पिछले १४ वर्षों में से ५ वर्षों में हम ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है किन्तु शेष वर्षों में हम ऐसा नहीं कर सके हैं। हमें इसका कारण खोजना है।

मूल्यस्तर के प्रश्न पर योजना मंत्रालय विचार कर रहा है। किन्तु अनिवार्य बचत और अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रश्न सरकार पर एक नैतिक उत्तरदायित्व डाल देता है। हम अभी तक मूल्य रेखा पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं। मैं उसके कारणों पर इस थोड़े समय में प्रकाश नहीं डाल सकता। किन्तु मेरा विचार है कि इस आपात काल में मूल्यों पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। व्यापारी समुदाय इस सम्बन्ध में सरकार को सहयोग दे रहे हैं। किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपातकाल में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो न केवल योजना पर अपितु प्रतिरक्षा पर भी प्रभाव डालता है, उन व्यक्तियों के साथ, जो काला बाजारी, संग्रह और मुनाफाखोरी करते हैं, किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिये।

तीसरा प्रश्न कम वेतन वालों की अनिवार्य बचत के सम्बन्ध में है। इन्हें भविष्य निधि और बीमा का रुपया देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति न हो जाये कि उन्हें अनिवार्य बचत करने के लिये इन दोनों सुरक्षाओं से वंचित रहना पड़े।

अन्त में मैं मिट्टी के तेल पर आता हूं। यह केवल घर में काम नहीं आता अपितु इसे, डीजल इत्यादि में मिला कर भी काम में लाया जाता है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

[श्री उ० ना० ढेबर]

मैं वित्त मंत्री को यह आश्वासन देता हूं कि सभा उनकी नीति का समर्थन करती है । उन्होंने एक साहसपूर्ण प्रयास किया है। यह आवश्यक है कि एक-एक पैसे पर नियंत्रण रखा जाये। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा उठाया गया पग आवश्यक ही नहीं अपितु न्याय-संगत भी है।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् यह बजट जनता का उत्पीड़न करने वाला है। यह बजट जिन्होंने बनाया है वह लोगों के जीवन स्तर से पूर्णतया अनभिज्ञ और उदासीन हैं। इसने देश की अर्थ व्यवस्था को तीन पंच वर्षीय योजना से पीछे कर दिया है। यह लोगों के जीवन-स्तर पर एक आघात है। यह नग्न उत्पीड़न है और इसके द्वारा लोगों को १९६२ के निर्वाचन में की गयी अपनी गलतियों का मूल्य चुकाना पड़ रहा है ।

अतिरिक्त करों के प्रस्ताव २७५ करोड़ के हैं। यह गत ४ वर्षों के कुल कर प्रस्तावों से अधिक है। इस दर से कर की राशि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक २,००० करोड़ रुपये होगी। इन सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इसके जनता पर दूरगामी प्रभाव होंगे ।

अप्रत्यक्ष कर ११६.२१ करोड़ रुपये के हैं। यह आवश्यकताओं की सब सामग्रियों पर लगा दिये गये हैं। इनमें तम्बाकू, वनस्पति उत्पाद, साबुन, कागज आदि सम्मिलित हैं। अच्छे मिट्टी के तेल पर वर्तमान करों में ३०० प्रतिशत और निकृष्ट मिट्टी के तेल पर २०० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इतना भारी कर देने के पश्चात् जनता की क्या हालत होगी यह भगवान ही जानता है। विशेष रूप से जब कि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय ३३० रुपये प्रतिवर्ष है। इससे निर्धन वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सीमाशुल्क पर १० प्रतिशत की दर से लगाये गये अधिभार से ९९.७७ करोड़ रुपये का राजस्व उपलब्ध होगा किन्तु इससे मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी । निर्वाह परिव्यय कम से कम १० प्रतिशत बढ़ जायेगा। परिवहन के विषय में भी कठिनाई होगी। यदि डीजल, पेट्रोल आदि पर कर लगा दिया तो परिवहन की प्रगति मन्द हो जायेगी। इसका हमारे विकास कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव होगा ।

डाक शुल्कों आदि में भी सभी वस्तुओं पर दर बढ़ा दी गई है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रत्यक्ष कर उत्पादन को निरुत्साहित करेंगे । वित्त मंत्री ने स्वयं कहा था कि देश की प्रतिरक्षा और विकास के लिये उत्पादन वृद्धि की बहुत आवश्यकता है और उत्पादन को बढ़ाने का उत्तरदायित्व गैर-सरकारी क्षेत्रों के ऊपर ही है ।

अधि-लाभ कर से भविष्य का विकास और पूंजी निर्माण में बाधा होगी। इस प्रकार करों के रूप में ६५ से ७५ प्रतिशत लाभ उनसे ले लिया जायेगा। ६ प्रतिशत की सीमा बैंक के दर से भी कम है जो ८ प्रतिशत पर उपलब्ध है। श्री ए० के० सेन ने कहा था कि आय-कर से प्राप्ति आह्रासि प्रत्याय-नियम को बताती है और कर पद्धति उद्योग पतियों को अधिक कमाने के लिये हतोत्साहित करती है। यह उन्होंने १९५७ में कहा था। तब से स्थिति और बिगड़ गई है। आय कर के रूप में कई कर लगाये गये हैं और लोग उत्पादन क्षेत्र के विस्तार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यह उचित नहीं है। इससे उद्योगों के विस्तार के लिये धन

†मूल अंग्रेजी में

उपलब्ध नहीं हो पायेगा। इसका पूंजी निर्माण पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। जिन उद्योगों का लाभ प्रशुल्क आयोग ने मंजूर किया हुआ है उन पर भी इस अधिलाभ कर से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा होता कि २५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि, जो प्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त की जा रही है, आय-कर की वर्तमान दरों को बढ़ा कर प्राप्त की जाती।

आय कर पर ४ से १० प्रतिशत का अधिभार कम आय वाले लोगों पर बुरा प्रभाव डालेगा और निगम क्षेत्र पर २० प्रतिशत का अधिभार सहभागिता को निरुत्साहित करेगा।

५००० रुपये मासिक से अधिक की आय पर नियन्त्रण लगाया गया है। किन्तु बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, जहां उद्योगों में, तकनीकी क्षेत्रों में, विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है इससे काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसमें ७२ उपक्रमों में ६८८ करोड़ रुपये लगाये हुये हैं, गत वर्ष कुल १.३३ करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो .२ प्रतिशत है। कुछ क्षेत्रों में इसका एकाधिपत्य होने के बावजूद भी लाभांश इतना कम है। तीसरी योजना में ४४९ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। किन्तु मैं समझता हूं .२ प्रतिशत की दर रही तो यह असम्भव है।

छागला आयोग ने जीवन बीमा आयोग की मन्त्रालय की शाखा के रूप में कार्य करने की निन्दा की। किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो लोग चुनाव में हार जाते हैं उन्हें वहां स्थान दे दिया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु श्री सतीश चन्द्रा....

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं।

†**श्री प्र० के० देव** : उसकी जांच की जानी चाहिये और पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये। उन्हें लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिया जाना चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जानी थी। किन्तु कहा जाता है कि इस विषय में राज्य सभा और लोक सभा के बीच मतभेद है। किन्तु मेरा विचार है कि इस प्रश्न को टाला जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनों पर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय में जांच करने के लिये एक उच्चशक्ति समिति नियुक्त की जाये। किन्तु यह दलीय स्तर पर न की जाये।

जहां तक उधार का सम्बन्ध है मैं अनिवार्य बचत का स्वागत करता हूं। किन्तु बचत क्या होती है? आय में से व्यय को घटा कर जो बचता है उसे बचत कहते हैं। किन्तु जब मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : आय में से व्यय कम करके जो बचता है वह लाभ है।

†**श्री प्र० के० देव** : गरीबों के लिये तो यह बचत ही है। लाभ का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान एक स्कूल अध्यापक की ओर आकर्षित करता हूं जो १५०० रुपये वार्षिक पाता है। भविष्य निधि आदि के लिये अंशदान देने के बाद उस के लिये अनिवार्य बचत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

के लिये रुपया देना अत्यन्त कठिन होगा। यदि उस ने इस के लिये रुपया दिया भी तो उसे भविष्य निधि आदि के अंशदान में से रुपया कम करना पड़ेगा। इस प्रकार राष्ट्र की कुल बचत उतनी ही रहेगी।

इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सीमा १५०० रुपये से बढ़ा कर ३००० रुपये कर दी जाये। इस के अतिरिक्त किसानों आदि से यह रुपया वसूल करने में जो प्रशासनिक व्यय होगा वह सम्भवतः इस बचत की रकम से अधिक होगा।

किसान भी, जब तक भूमि सुधार का भय उसे रहेगा, उत्पादन के लिये अधिक रुपया नहीं लगायेगा। अनिवार्य बचत योजना को देखते हुए और स्वर्ण नियंत्रण नियमों से उत्पन्न उलझन के फलस्वरूप ऋण न मिलने के कारण इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा।

४० लाख एकड़ सिंचाई क्षमता का क्षेत्र बिना जोते हुए ही पड़ा है। इन बातों पर भी विचार करना है।

आयव्ययक की मुख्य खास बात यह है कि इस में रक्षा कार्यों के लिये ८६७ करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है जिन में से ७०८ करोड़ रुपये राजस्व व्यय और १५९ करोड़ रुपये पूंजी व्यय के अन्तर्गत व्यय किये जायेंगे। राजकोषीय नीति में, राष्ट्रीय सुरक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने पर वित्त मंत्री द्वारा बल देना उचित है। परन्तु इस प्रयोजनार्थ उन का करों को अवश्यम्भावी बताना वास्तविकता से कहीं दूर है। खतरे का सामना करों को अधिक बड़ा कर नहीं किया जा सकता। यह कर लोगों की क्षमता से बढ़ चढ़ कर लगाये गये हैं। इन से लोगों की क्षमता घटेगी और औद्योगिक व कृषि संबंधी उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। यह सब बातें हमें केवल त्रुटिपूर्ण वैदेशिक नीति के कारण सहन करनी पड़ेंगी।

श्री ढेबर जी ने बताया कि किसी एक गुट से संबंध स्थापित कर के हम अपते देश की स्वतन्त्रता का सौदा करेंगे। परन्तु मैं उन के इस विचार से सर्वथा असहमत हूं। चीन के आक्रमण का सामना हम केवल सैनिक शक्ति से कर सकते हैं, परन्तु शस्त्रों आदि में चीन से आगे बढ़ना हमारे लिये असंभव है। चीन ने रूसी गुट में शामिल हो कर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया, अतः हमारे लिये भी एक ही उचित मार्ग है कि हम तटस्थता की नीति को त्याग कर पश्चिमी लोकतन्त्रों के साथ मिल कर अपनी शक्ति को बढ़ायें। भविष्य में चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये यही एक उचित मार्ग है। राजा जी भी इस बात पर बल दे रहे हैं। केवल साम्यवादी इस नीति के विरुद्ध हैं और उन का उद्देश्य युद्ध संबंधी भय उत्पन्न कर के हमारी सैन्य शक्ति को आघात पहुंचाना है, और इस तरह विदेशी आक्रमण का सामना करने में देश को अक्षम बनाना है।

किसी गुट में शामिल होने की नीति समर्थनयोग्य है। इस के लिये एक तर्क यह है कि किसी भी एक गुट में शामिल देश के विरुद्ध चीन आज तक आक्रमण का साहस नहीं कर सका।

हवाई हमले से रक्षा के बारे में जो साम्यवादियों द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है वह जान बूझ कर ही किया जा रहा है। चीन चाहता है कि हम अपने स्वदेशी साधनों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ायें। इस से हमारी अर्थ व्यवस्था क्षीण होगी। और वह हमारी लोकतन्त्रीय संस्थाओं पर प्रहार कर सकेंगे। हवाई हमले से रक्षा के प्रबन्ध का विरोध कर हमारे देश को हराने और नीचा दिखाने के स्वप्न लिये जा रहे हैं। चीनियों द्वारा प्रहार किये जाने पर भी साम्यवादियों का यह कहना, कि किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिये, मेरे लिये आश्चर्यजनक है।

अब मैं राजस्व के अवगणन और व्यय में अत्यधिक वृद्धि संबंधी कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। यह दो पहलू वर्तमान बजट के और गत बजटों के उल्लेखनीय तत्व रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा वर्तमान

बजट में विभिन्न मदों में वृद्धि की पूर्वधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ, "सीमा-शुल्क" शीर्षक के अन्तर्गत बजट में २०७.८२ करोड़ रुपये का उपबन्ध था, परन्तु पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार यह २३१.६५ करोड़ रुपये है। उत्पादन-शुल्क में भी यही बात देखने में आती है कि पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राशि बढ़ गई है। यही दशा बहुत सी अन्य मदों के सिलसिले में है। १९६१–६२ में १२५ करोड़ रुपये राजस्व अतिरेक था। चालू वर्ष में बजट आंकड़ों से १२० करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इस प्रकार बजट अनुमानों से ८ प्रतिशत राशि बढ़ गई है।

व्यय में अत्याधिक वृद्धि शायद हमारी खर्च करने की क्षमता में कमी के कारण होती है। बहुत सी राशियां जो बजट में दिखाई जाती हैं उन को खर्च नहीं किया जाता। योजना काल के लिये जो बजट में १,४६५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था उस का काफी भाग प्रयोग में नहीं लाया गया। विदेशी सहायता की भी यही दशा है। हमें यह जान कर आश्चर्य हुआ कि अभी ८७३.२ करोड़ की राशि अप्रयुक्त ही पड़ी है। ६९३.११ करोड़ रुपया द्वितीय योजना से अगली योजना में लाया गया है। यही कारण है कि द्वितीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न हम तृतीय योजना में कर रहे हैं। कोयला, इस्पात और विद्युत् क्षेत्रों में विशिष्टतया यही दशा पाई जाती है।

फिजूलखर्ची संबंधी स्थिति भी इसी तरह शोचनीय है। एक ओर फिजूलखर्ची की जा रही है तो दूसरी ओर हम से अधिक कर का बोझ उठाने की आशा की जाती है। सामुदायिक विकास पर हम ४.५ करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं, परन्तु यह सारा धन अपव्यय हो रहा है। यह सारा धन खर्च कर के परिणाम केवल यह है कि शासक वर्ग को प्रचार का माध्यम मिल गया है। चुनावों में सामुदायिक विकास वाले लोगों का प्रयोग किया गया। इस समस्त मंत्रालय को समाप्त कर के ४.५ करोड़ रुपये की बचत करनी चाहिये। प्राक्कलन समिति द्वारा बारम्बार कहे जाने पर, कि ऐसा व्यय जिस की योजना में व्यवस्था न हो उसे कम करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। हालांकि इस संबंध में सभा में वित्त मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन इस बात का साक्षी है कि इस ओर प्रगति नगण्य के बराबर है। १९६१-६२ और १९६२-६३ में ५८.९० करोड़ रुपये उन असैनिक अनुत्पादी मदों पर व्यय किया गया जिन की योजना में व्यवस्था नहीं थी। प्राक्कलन समिति ने अपने १२९वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि समितियों को बढ़ाने की बजाय उन को मिलाया जाना चाहिये। जैसे कृषि पदार्थविपणन परामर्शदाता ८१ समितियों से सम्बद्ध है और इस परामर्शदाता का सारा समय उन समितियों की बैठकों में शामिल होने में चला जाता है। परन्तु इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार सचिवालयों व कार्यालयों में भी काम की प्रणाली को, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में कमी कर के, अधिक सरल बनाना चाहिये।

मंत्रियों के बिजली और पानी के अत्याधिक बिल भी फिजूलखर्ची के सूचक हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त, श्री कृष्ण मेनन और राजकुमारी अमृत कौर जैसे लोगों को भी बिजली और पानी संबंधी सुविधायें देना सर्वथा अनुचित है।

देश की रक्षा की दृष्टि से हम सैद्धान्तिक प्रयोग नहीं कर सकते। नशाबन्दी को समाप्त कर के २०० करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है। इस के अतिरिक्त नशेबन्दी से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है।

नमक कर से भी हमें २० अथवा २५ करोड़ रुपये उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिये इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये।

११ से १५ प्रतिशत बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, वर्तमान दरों पर आय कर तथा निगम कर, आयात जोखिम बीमा, सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा अर्थ-

समन्वय मंत्रालय को समाप्त कर, नशाबन्दी को समाप्त कर, नमक कर से, और अप्रयुक्त विदेशी सहायता का प्रयोग कर के इन सब मदों को मिला कर जो राशियां उपलब्ध होंगी उन से आयव्यय का ४५४ करोड़ रुपये का घाटा पूरा किया जा सकता है।

वित्त मंत्री की राज्यकोषीय नीति से देश तबाह हो जायगा। उन के प्रस्ताव अन्तर्विरोधों और असंगतियों से भरे पड़े हैं। एक ओर यह परोक्ष करों और मुद्रा स्फीति की बात करते हैं तो दूसरी ओर वह मूल्यों में स्थिरता लाने की बात करते हैं। एक ओर वह संयम की बात करते हैं तो दूसरी ओर फिजूलखर्ची कर रहे हैं।

†श्री मोरारजी देसाई : क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि मैंने कौन सी फिजूलखर्ची की है ? (अन्तर्बाधायें)

†श्री प्र० के० देव : आप के मंत्रालय द्वारा फिजूल खर्ची की जा रही है। यह सब प्राक्कलन समिति में दिया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य ने कहा है कि "वह फिजूलखर्ची' करते हैं। ऐसा कहना अनुचित है।

†श्री प्र० के० देव : मैं ने व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बल्कि सरकार के बारे में कहा था।

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह खास तौर पर वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं।

†श्री प्र० के० देव : वित्त मंत्री सरकार के प्रतिनिधि हैं।

†श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : चीनी आक्रमण के कारण हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम इस प्रकार साधन जुटायें कि रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के साथ साथ विकास योजनाओं में भी प्रगति कर सकें। साम्यवादी चीन यह नहीं चाहता कि हम शस्त्रों को ग्रहण करने में उस का मुकाबला करें बल्कि यह कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली से सामाजिक ढंग का समाज स्थापित करने का हमारा प्रयोग असफल हो जाय। यदि हम अपनी रक्षा संबंधी स्थिति के कारण योजनाओं में कांट-छांट करेंगे तो ऐसा करना शत्रु के हित की बात होगी।

वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने अभूतपूर्व बोझा डाला है। मैं देश की ओर से उन्हें आश्वासन दिलाती हूं कि हम देश की रक्षा एवं विकास के लिये हर प्रकार के साधन जुटाना चाहते हैं। परन्तु मेरे कुछ सुझाव हैं।

मेरा पहला सुझाव प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में है। वर्तमान कर प्रस्तावों के अनुसार ३,००० रुपये की आय वाले वर्ग पर भी आय कर लग जायेगा। अनिवार्य बचत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु आय कर के लिये ४२०० रुपये तक की आय तक छूट मिलनी चाहिये।

आय पर अधिभार से भी कुछ आय वर्ग के लोगों पर अधिक बोझा पड़ेगा। उदाहरणार्थ, ५००० की सीमा वालों को लीजिये। इस आय वर्ग के लोगों को आय कर देना पड़ता है, अधिभार देना पड़ता है और अनिवार्य बचत भी करनी पड़ेगी। अतः इतने बड़े बोझ से इस वर्ग के लोग अपना जीवनस्तर नहीं बनाये रख सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिलाभ कर का कोई भी असमर्थन नहीं करेगा। बहुत ज्यादा लाभों को सरकार द्वारा ले लेना चाहिये। परन्तु अभिलाभ कर की व्यवस्था के संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें नये उद्योगों की अपेक्षा बड़े विनियोजन वाले समवायों तथा बड़े पूंजीपतियों से रियायत की गई है। बड़े पैमाने पर व्यापार की रक्षित पूंजी को छूट दी गई है अतः उन्हें विकास के लिये आसानी से धन मिल जायगा। परन्तु मध्यम स्तर के उद्योगों और नये उद्योगों को अपेक्षतया घाटा रहेगा, और उन्हें विकास के लिये धन उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं अनुरोध करती हूं कि वित्त मंत्री अधिलाभ कर की व्यवस्था में इस प्रकार सुधार लायें कि अत्यधिक लाभ को बशक ले लिया जाय परन्तु मध्यम स्तरीय उद्योगों अथवा नये उद्योगों को अपेक्षतया हानि न रहे। इससे नये उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मिट्टी के तेल और मोटर स्पिरिट पर कर लगा कर गरीबों पर अधिक बोझा डाला गया है। मोटर स्पिरिट पर अधिक कर लगाने से गरीब भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें भी साधारण परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः वित्त मंत्री को इनमें कमी करनी चाहिये।

मूल्यों में स्थिरता लाने की चर्चा स्वयं वित्त मंत्री द्वारा की गई। परन्तु हम दिल्ली में क्या देखते हैं कि केवल उन वस्तुओं के ही नहीं जिन पर कि कर लगाया गया है बल्कि बहुत सी अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ चुके हैं, जैसे मांस, दूध, अण्डे आदि। अगर दिल्ली में यह दशा है तो देश के अन्य भागों में क्या दशा होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह इस समस्या पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करें और मूल्यों को बढ़ने न दें, वरना मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

कुछ प्रकार के असैनिक व्यय के बारे में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।

मंत्रियों द्वारा अपने बिजली तथा पानी के खर्चे में कमी करके देश को प्रेरणा देनी चाहिये। जब देश से हम बलिदान देने की आशा करते हैं तो हमें अपने निजी व्यय में भी उसी भावना को प्रदर्शित करना पड़ेगा।

प्रशासन तंत्र में सुधार लाना भी आवश्यक है। हमारी योजनायें ठीक हैं, नीतियां भी उचित हैं, परन्तु इनकी कार्यान्विति में अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। विशेषतया इस आपात-काल में इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्य असैनिक व्यय में कमी लानी चाहिये परन्तु शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय में कमी नहीं की जानी चाहिये। आपात-काल के कारण राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के व्यय में संकोच करना अनुचित बात है। शिक्षा के विस्तार से ही कृषि संबंधी और उद्योगों संबंधी विकास किया जा सकता है। शिक्षा के अधिक विस्तार के फलस्वरूप ही चीनी आक्रमण के समय जनता में उत्साहजनक प्रतिक्रिया हुई। यदि हम उस उत्साह का पूरा लाभ नहीं उठा सके तो यह हमारी गलती है। इसलिये शिक्षा का विस्तार आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को आश्वासन देती हूं कि यह सभा और देश अपने संकल्प को नहीं भूला है, और हम भारत से शत्रु को खदेड़ने के लिये हर प्रकार के बलिदान देने और बोझा उठाने के लिये तत्पर हैं। मैंने जो सुझाव दिये हैं वह किसी प्रकार का प्रभाव डालने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसलिये दिये हैं कि हम हर प्रकार के साधन जुटा सकें और साथ ही कर प्रस्तावों का बोझा सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े।

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्र गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट के बारे में पहले से काफी आशंकायें प्रकट की जा रही थीं। चीनी आक्रमण के बाद इस बात की प्रायः सारे आदमी कल्पना कर रहे थे कि इस बार बजट कुछ ज्यादा बोझ के साथ आयेगा। हुआ भी ऐसा ही। जब बजट को डिकलेअर किया गया और जब वह समाचारपत्रों के द्वारा जनता के सामने गया तो साधारण आदमी से लेकर के ऊपर के आदमी तक पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार ज्यादा आमदनियों पर टैक्स लगाया गया है उसी प्रकार रोजमर्रा की उपभोग की चीजों पर कर लगाया गया है।

इस टैक्स के बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात का अन्दाजा लगायें कि क्या लोगों में इतने टैक्स को इस साल के भीतर देने की क्षमता है। क्या वे इतने टैक्स अगले साल अप्रैल तक दे सकेंगे। जहां तक लोगों की प्रवृत्ति का सवाल है वह हमारे सामने प्रकट है। कांग्रेस के सदस्यों ने और हमारे माननीय ढेबर साहब ने हमको कहा है कि हमने प्रतिज्ञा की थी चीनियों को देश से बाहर निकालने की। और इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो भी जरूरी है हम करने को उद्यत रहें।

इस बारे में तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमको देश से चीनियों को निकालना है और इसको पूरा करने के लिये जो भी कर्त्तव्य हमारे सामने है उसको हम निभायेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरे पहलुओं पर गौर किये बिना हम इस दिशा में कदम नहीं उठा सकते। हमको टैक्स लगाने के पहले जनता की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि कर लगाने के पहले हमको व्यावहारिक और मानवीय पहलू को भी अपने सामने रखना चाहिये। इन चीजों को ध्यान में रख कर अगर आप कर लगायेंगे तो हर आदमी कर देने को तैयार रहेगा। लोगों के अन्दर श्रद्धा है लोगों के अन्दर भावना है, वे तैयार हैं उस प्रतिज्ञा के वास्ते, लेकिन जो लोगों की क्षमता है वह इस बात से कहीं कम है। श्री ढेबर ने आपको प्रमाण दिया कि जो एकानमिक सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि अगर अधिक टैक्सों का बोझ जनता पर लाया गया तो जहां जनता देने से बिल्कुल मजबूर और लाचार हो जायगी वहां जो फ्री इन्वेस्टमेंट की बात है अर्थात् लोग बिना शक और डर के इन्वेस्ट कर सकें और हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें, उस पर भविष्य में चेक लग जायेगा, उस पर एक रुकावट पड़ जायेगी, और इस प्रकार जो हमारे उद्योग धंधे हैं, चाहे वह काटेज इंडस्ट्रीज हों चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हों, चाहे गांव के अन्दर किसी नये तरीके से, ट्रैक्टर आदि की खरीद से या समितियां बना कर और नये कार्यक्रम सामने रख कर या कम्यूनिटी डेवलपमेंट के अधीन सहयोग से या किसी भी अन्य प्रकार से, उपज बढ़ाने का काम हो, उसके ऊपर एक प्रकार का प्रतिबन्ध आकर लग जायगा। कारण यह है कि लोगों की अपनी देने की क्षमता हुआ करती है।

इस मामले में मैं आपके सामने अपने जाब का उदाहरण रखना चाहता हूं। जैसा आपको समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ होगा जब नैशनल डिफेंस फंड में पैसा देने की बात उठी, उसमें वह सब से आगे रहा। वहां के लोगों ने, विशेषकर देहात की जनता ने, कुल चन्दे का ९० या ९५ प्रतिशत दिया है। उन्होंने खुद जाकर इस मामले में सरकार की काफी सहायता की। खुद मेरे ही गांव के अन्दर जाइये। एक छोटा सा गांवहै, लेकिन वहा से ५० वा ६० हजार रु० नैशनल डिफेंस फंड में दिये गये। इस सारी की सारी बात को लेकर, आप ने जो आवश्यक बचत योजना बनाई है उसके साथ इसका ताल मेल बिठलाइये, खास कर गांव के मामले में। इसका प्रभाव शहरों में भी पड़ रहा है, लेकिन पंजाब के दृष्टिकोण से अगर आप गांवों को ध्यान में रक्खें तो आप देखेंगे कि कुछ साल

पहले वहां खुशहाली टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर नहरें आ गई हैं और नहरों के आने के बाद वहां पर उपज भी पिछले सालों से बढ़ गई है, लेकिन इन बातों के बावजूद भी किसान की जितनी पैदावार बढ़ी है, उत्पादन से उसका जितना लाभ हो रहा है पहले की अपेक्षा, वह सारे का सारा पहले से ही अनेक टैक्सों के रूप में प्रांतीय सरकार लेकर अपनी जेबों में डालती जा रही है, चाहे वह खुशहाली टैक्स हो, चाहे बेटरमेंट टैक्स हो या सुपर टैक्स हो। इसी प्रकार से रेवेन्यू के अन्दर अनेक टैक्स हैं जो कि सामान्य किसान को देने पड़ रहे हैं, पंजाब के सामान्य जमींदार को देने पड़ रहे हैं। उसके बाद उसके प्रोडक्शन में से, उसकी नई उपज में से कुछ ज्यादा बाकी नहीं रहता है। अभी तक वह चीज तो खत्म ही नहीं हुई लेकिन परले दिन तहसीलदार वगैरह गांव के अन्दर दौरा करने लगे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बतलाया कि वे गोल्ड बांड्स के वास्ते निकल रहे हैं। आप अन्दाजा लगाइये कि जिस गांव ने ५० या ६० हजार रुपया दिया हो उससे आप ८ या १० हजार रु० गोल्ड बांड्स के लिये मांगने जा रहे हैं। दुनियां भर के टैक्स वह पहले से ही दे रहे हैं रेवन्यू के अन्दर, उसके बाद अगर आप.....

†श्री मोरारजी देसाई : सोना बांडों का समय चला गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सिर्फ इस बात की दलील दे रहे थे कि बहुत सी जगहों पर लोगों ने दिया है, अब अगर यह नये टैक्स लगेंगे तो उन लोगों के पास देने को कुछ नहीं होगा। सिर्फ इस लिये ही वह कह रहे थे।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैंने यह कहा कि अब उन लोगों से कहा जा रहा है कि गोल्ड बांड्स खरीदो।

श्री मोरारजी देसाई : अब यह कहां हैं ?

श्री यु० सिं० चौधरी : अब मैं आ रहा हूं कम्पलसरी सेविंग्स पर। जहां उन्होंने चन्दा दिया वहां वह दुनिया भर के रेवेन्यू टैक्सेज दे रहे हैं। उसके बाद अगर गोल्ड बांड्स की बात उनके पास जायेगी और पैसा उनकी जेब से निकलेगा, तो भले ही वह दस साल बाद उनको वापस हो जायगा, लेकिन आज जो उनकी आदनी के साधन हैं उनसे वह पैसा जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई : मैं कहता हूं कि वह तो पिछले समय की बात हो गई। यह पैसा उनकी नई इनकम से लिया जायेगा।

श्री यु० सिं० चौधरी : वह इनकम कौन सी है ? जो तहसीलदार परसों गांव के अन्दर गया वह कौन सी इनकम से मांग रहा था ?

अध्यक्ष महोदय : फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो इनकम उन लोगों की आगे होगी उनमें से होगा। गोल्ड बांड्स के लिये जो दिया वह उससे दिया जो पहले से जमा था।

श्री यु० सिं० चौधरी : पंजाब के अन्दर किसी के पास कुछ जमा नहीं था। आप पंजाब के अन्दर जाकर देख सकते हैं कि वहां आम तौर से यह हो रहा है कि उनसे वादा लिया जा रहा है कि जब तुम्हारी सरसों बिकेगी, जब तुम्हारा गेहूं बिकेगा, उसमें से देना, इस वक्त खाली नाम लिख रहे हैं यह जमा का नाम उनको मार रहा है। जमा किसी के पास कुछ नहीं है। लोग अलग अलग शक्ल में सारे का सारा पैसा दे रहे हैं। उस के बाद किसी के पास क्या जमा रह जाता है ? इस के बाद कम्पलसरी सेविंग्ज की बात आती है। आप अन्दाजा लगाइये. इस में बहस की कोई

†मूल अंग्रेजी में

चीज नहीं है, आप उन से जो उन का रेवेन्यू होगा उस का ५० प्रतिशत पैसा कम्पल्सरी सेविंग्स में लेंगे। पंजाब में रेवेन्यू बहुत हाई है। सामान्य जमींदार जिस के पास १०० बीघे जमीन है वह विभिन्न प्रकार से १००० या १५०० रु० हर फसल के बाद देता है। उस के बाद अगर आप उससे ५०० या ६०० रु० ले कर अपना खजाना भरना चाहेंगे तो आप को इसका जवाब मिलेगा। आखिर वह कहां से देगा। आप उस को जेलों में डालें, आप किसी प्रकार का अत्याचार करें या जितनी तरह के शासन के तरीके हैं उनको अपनायें, लेकिन वह टैक्स आयेगा कहां से? इस लिये मैं यह कह रहा हूं कि यह बड़ा अव्यवहारिक पहलू है। इसमें जहां आपने मानवीयता नहीं दिखलाई वहां यह भी नहीं देखा कि उस में सामर्थ्य भी है या नहीं रेवेन्यू देने की। आप के पास रेवेन्यू कोर्टस् की पावर्स हैं कि आप उनकी जमीन की कुर्की करें, उसके बाद उनके दरवाजों पर सम्मन चपकाया जाय, उसके बाद मुनादी हो उस के बाद आप जो कुर्की की प्रोसीड्स हैं उस में से अपना रेवेन्यू ले सकते हैं। जब यह विकट रूप में समस्या सामने आयेगी तो यह हम को महसूस करना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि यह चीज लोगों की क्षमता से परे है कि वे इस को दे सकें। आखिर हर चीज की लिमिट होती है। वे अपनी प्रतिज्ञा जानते हैं और वे अपनी शक्ति भर उसको पूरी करना चाहते हैं। जब मेरे गांव वालों को इस बात का पता लगा कि फौज के लिये उनके यहां से ५०० आदमियों की आवश्यकता है, तो मेरी कांस्टिटुएन्सी में लोगों ने २७,००० से ले कर ३०,००० आदमी तक भरती कराये। जहां तक पैसे का सवाल है, जिस गांव को २०० रु० देने थे उसने २,००० रु० दिये। वहां डिप्टी कमिश्नर भी गये, तहसीलदार भी गये, रेजिडेंशल मैजिस्ट्रेट भी गये, हम ने उन से कहा कि वे क्यों ताकत या शक्ति लगाते हैं, देश लोगों का है, किसी एक आदमी का या सरकारी अफसर का नहीं है, लोग उन को स्वयं देंगे। लोगों ने दिया भी। लेकिन अब यह स्थिति आ गई है कि उनके पास पैसा रहा ही नहीं। इसके अलावा उन के व्यक्तिगत खर्चे भी हैं। उसके बाद भी जो चीज बाकी रहती है वह किस शक्ल में सामने आ जायेगी, यह भविष्य बतलायेगा।

डिफेन्स के मामले में यह दलील दी जा सकती है कि आज इस चीज की आलोचना की जा रही है लेकिन डिफेन्स के ऊपर जो खर्च बढ़ रहा है आखिर वह कैसे पूरा होगा। डिफेन्स के बारे में सामान्य चीज यह है कि जिस तरह से और बातों के सम्बन्ध में यह बात सामने आई है कि एक्स्पेन्डिचर बढ़ रहा है और हुकूमत में खर्च ज्यादा हो रहा है उसी तरह से डिफेन्स के बारे में भी आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कमी करे तो हर साल ६० से ले कर १०० करोड़ रु० तक की बचत हो उकती है। यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है और कई डिटेल की बातें उसमें सामने लाई गई हैं। अगर उस प्रकार से हुकूमत के खर्चे में कमी हो जाये तो क्या जितने धन की हमें जरूरत है वह नहीं मिल सकता। लेकिन इन सारी बातों को आलोचना के ढंग से लिया जाता है। जो बजट आया है प्रत्येक व्यक्ति उस की अनेक प्रकार से आलोचना कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कोई ऐलान नहीं हुआ कि हम ने फलां स्थान पर फलानी चीज में कमी की है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में मिनिस्ट्री में बहुत कमी की गई है और सामान्य जनता के सामने यह तस्वीर आई है कि वहां पर २१ आदमियों को हटाने के बाद खर्च में कमी हुई है। लेकिन वहां पर स्थिति बड़ी अजीब व गरीब है। जहां मिनिस्टरों को हटा दिया है वहां हर एक जिले में एक एक डिप्टी कमिश्नर और एक एक ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जब कि पहले एक एक जिले में एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था।

अध्यक्ष महोदय: आप बचत की मिसालें दे दें बाकी पंजाब की चीजों पर ज्यादा न कहें।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैं पंजाब की जनरल बात कह रहा हूं कि वहां पर जो खर्च बढ़ रहा है वह अच्छा नहीं है। पंजाब के अन्दर से मिनिस्टर तो हटा दिये गये लेकिन दो दो हजार रुपये पाने वाले डिप्टी कमिश्नर बिठला दिये गये, होमगार्ड में अफसर को लगा दिया ५,००० रु० दे कर जब कि मिनिस्टर को ८०० रु० दिये जाते थे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मैं यही कह रहा हूं कि जो स्टेट का खर्च हो या दूसरी बात हो उसकी तफसील में न जायें। यहां के मिनिस्टर काफी हैं आपके पास नुक्ता चीनी करने के लिये ।

श्री यु० सिं० चौधरी : मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, जनरल वे में रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पंजाब की मिनिस्ट्री कैसे जवाब देगी कि डिप्टी कमिश्नर की जरूरत है या नहीं ?

श्री यु० सिं० चौधरी : जवाब मैं नहीं मांग रहा हूं। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि अगर हम टक्स लगायेंगे तो हम इसका जवाब देंगे कि हम पर टैक्स लगाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी ही जिद पर चले जाते हैं और मुझ को सुनने का यत्न ही नहीं करते। पंजाब गवर्नमेंट के वखिलाफ उन्होंने कहा कि बिना वजह डिप्टी कमिश्नर लगा दिये गये। डिप्टी कमिश्नर की जरूरत है या नहीं अगर वे इस की चर्चा करेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट यहां पर जवाब नहीं दे सकती।

श्री यु० सिं० चौधरी : यह तो ठीक है, लेकिन यह पार्सिंग रिफरेंस है।

श्री कछवाय (देवास) : यहां मिनिस्टरों की एक लम्बी फौज है।

श्री यू० सिं० चौधरी : मिनिस्टरों की बिजली का खर्च कितना है यह यहां पर आया है। सवाल तो खर्च का है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर जितने मिनिस्टर साहब हैं उनकी आप चाहे जितनी नुक्ता चीनी कीजिये ।

श्री यु० सिं० चौधरी : यह ठीक है, पंजाब में खर्च बहुत होता है इसको ही समझाने के लिये मैं कह रहा था।

श्री कछवाय : पंजाब का तो केवल उदाहरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह उदाहरण नहीं दिया है।

श्री यू० सिं० चौधरी : मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है ऐडमिनिस्ट्रेशन आ खर्च कम किया जाय और अनुमान लगाया है कि १०० करोड़ की बचत हो सकती है, अगर हम उस तरीके को अख्त्यार करें तो मेरे अपने खयाल के मुताविक यह चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। मुझ से पहले एक सज्जन ने कहा था कि जो फिजूल के मुहकमे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए पर ऐजुकेशन पर कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। मैं भी इस राय से सहमत हूं। अनेकों मुहकमों में कुछ अफसर सरप्लस हैं, जैसे सी० पी० डब्ल्यू० डी० में सुपरिटेंडिंग इंजिनियर की पोस्ट है। यह बात मैं एक सर्वे के आधार पर कहता हूं। इस विभाग में सबसे नीचे ओवर सियर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजिनियर है और उसके भी बाद चीफ है। इस मुहकमे के आदमियों की भी राय है

कि यह सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर की पोस्ट सरप्लस है। खच मंजूर करने का काम, बिलों पर दस्तखत करने का काम, चैकों पर दस्तखत करने का काम और खजाने से रुपया निकलवाने का काम या किसी भी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी का काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। और जो कागजात एग्जीक्यूटिव इंजिनियर को ऊपर भेजने होते हैं उनको सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर चीफ को भेज देता है। उसका काम पोस्ट आफिस की तरह है कि वह डाक को रिसीव करके ऊपर भेज देता है। सारा टैकनिकल सर्वे का काम ओवर सियर करता है या सरवेयर करता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन लेता है और उसके बाद कागजात ऊपर भेजे जाते हैं।

हर एक सरकिल में एक सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर होता है। उसका खास काम आदमियों का उस सरकिल में ट्रांस्फर करना होता है। केवल इस काम के वास्ते तो दो तीन या चार हजार देकर एक अफसर को रखा जाता है। इस खर्चे को कम कर दिया जाए तो बहुत बचत हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे विभागों में भी कुछ पोस्टें सरप्लस हैं जिनको कम किया जा सकता है। और इन लोगों को दूसरे टैकनिकल कामों पर लगा कर एडजस्ट कर दिया जाए।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो टैक्स हैं उन पर व्यावहारिक पहलू से विचार किया जाये। टैक्स लगाने के पहले आपको यह देखना चाहिये कि लोगों में टैक्स देने की कितनी क्षमता है. केवल प्रतिज्ञा की याद दिलाने से और त्याग की भावना का जिक्र करने से काम नहीं मिल सकता। लोगों में त्याग की भावना तो है ही और इसका प्रमाण उस समय मिला था जब देश पर चीन का आक्रमण हुआ था। लेकिन देखना यह है कि लोगों में टैक्स देने की कितनी ताकत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि टैक्स प्रोपोजल्स पर दोबारा गौर किया जाए ताकि व्यावहरिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम निर्णय करें और काम ज्यादा अच्छी तरह चला सकें।

†श्री रामनाथन चेट्टियार (करूर) : वित्त मंत्री महोदय ने देश की प्रति रक्षा को ध्यान में रख कर इस आयव्ययक का निर्माण किया है। लगभग ५०० करोड़ रुपये के प्रतिरक्षा व्यय की वृद्धि की गयी है परन्तु बजट प्रस्तावों से किसी समुदाय विशेषपर अनुचित भार नहीं डाला गया है। कुछ लोगों का विचार है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त हो गयी, है, ऐसी बात नहीं है। एसा समझ कर हमें अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीमित पूंजी वाली ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और अधिलाभकर व्यवस्था में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये।

इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि बजट में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष करों से हुये मिले जुले प्रभाव के फलस्वरूप कीमतें बढ़ जायेंगी मूल्य स्तर पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना आवश्यक है। मूल्य स्तर को रोकना चाहिये। सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि मिट्टी के तेल पर उप कर लगाने से जन सामान्य पर जो बोझ आ पड़ा है उसमें कोई कमी की जा सके।

यह भी गम्भीर बात है कि कृषि उत्पादन में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। कृषि और उसके तरीकों में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। किसानों को उचित दामों की गारण्टी दी जाय। समाहार मूल्य में परिवर्तन किया जाय क्योंकि किसान के उत्पादन की लागत बढ़ चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को वाणिज्यिक आधार पर रखा जाये ताकि उसमें विनियोजन पूंजी की स्थिति में सुधार हो सके। सरकार सुनिश्चित करे कि वह करदाता पर और अधिक बोझ न डाले। व्यर्थ के व्यय को कम करके और मितव्ययता की जाये। सरकारी उपक्रमों के बारे में संसदीय समिति के बनने तक एक कार्यकारिणी ग्रुप बनाया जाय जो उन उपक्रमों से बहुत कम लाभ के प्राप्त होने के बारे में जांच करें।

मद्रास राज्य को उर्वरकों की बहुत आवश्यकता है। इस बारे में एक दो योजनाओं को तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करना चाहिए नोग्यल योजना पर लगभग ३.२ करोड़ रुपये का अनुमान है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इसे तीसरी योजना में सम्मिलित किया जाय। इस बात का कोई निर्णय पता नहीं लग सका कि आखिर क्यों उसे छोड़ दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने साहसपूर्ण बजट प्रस्तुत किया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (विसौली) : इस अवसर पर मैं वित्त मंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी प्रकार के बलिदान करने को तैयार हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उन के खून पसीने की कमाई को व्यर्थ में ही नष्ट न किया जाये। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि धन का प्रयोग बड़ी बुद्धिमता से किया जायेगा और व्यर्थ का कोई भी खर्च नहीं किया जायेगा। इस सदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि प्रशासन व्यवस्था के अनावश्यक विस्तार को रोक दिया जाये। इस योजना को भी छोड़ दिया जाय कि योजना आयोग के मूल्यांकन संगठन को सम्पूर्ण मंत्रालय का रूप दिया जाये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बचत की दृष्टि से कई मंत्रालयों को योजना आयोग के अधीन एक छोटे से सलाहकार एकक में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा करने से एक बड़ी अच्छी खासी राशि बचाई जा सकती है।

नय नये कर लगाने के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि नियमित क्षेत्र से आयकर की पूरी बकाया राशि को वसूल कर लिया जाये तो कई नये करों के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस बारे में एक बात निश्चित की जानी चाहिए कि बकाया राशि की अदायगी न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

मैं यह भी सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सरकार नमक कर को पुनः लगाने की भी सम्भावना पर विचार करे। वे निगमित उद्योग क्षेत्र तथा समवाद जो जनता को धोखा देकर करों की अदायगी से बचते हैं, उनकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिये। यदि उन के कार्य संचालन में कोई गम्भीर बातें हैं तो उनके कार्य संचालन को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं यह भी सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

आज हम एक भारी संकट में से निकल रहे हैं। यह संकट राष्ट्रीय भी है और अन्तर्राष्ट्रीय भी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देशद्रोहियों से बच कर रहना चाहिये। कहीं ऐसी स्थिति का निर्माण न हो जाये कि श्री जवाहरलाल का स्थान कोई हिटलर ले ले। मैं तो ऐसा सोचते ही कांप उठता हूं।

इन शब्दों से मैं आयव्ययक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : प्रतिरक्षा कार्यों पर जो व्यय की वृद्धि की गयी है, इसका मैं समर्थन करता हूं । यह वृद्धि २५७ करोड़ रुपये की है । चीन की तलवार हमारे गले पर लटक रही है और हमें पूर्ण तैयार हो कर देश की रक्षा करनी है मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा का जो प्रण लिया है, उस पर वे पूरे उतरेंगे । कोई भी बलिदान करना पड़ा तो उसे करेंगे ।

यह ठीक है कि खर्च पूरा किया जाना है, परन्तु वैसे देखा जाय तो बजट नौकरशाही, तानाशाही और निरंकुश है । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में समुचित सन्तुलन रखा है विभिन्न वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने से जिन वस्तुओं पर कर लगाये गये हैं वे ही नहीं प्रत्युत अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं । मिट्टी के तेल पर शुल्क अत्यधिक है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये । अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि नगण्य हुई है, विगत कई वर्षों से यह प्रवृत्ति परिलक्षित है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि राष्ट्रीय आय देशनाक १२७ रुपये से बढकर १५० रूपये हो गये हैं । प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ११० रुपये से केवल ११७ रुपये ही हुई है । राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग अपेक्षाकृत अधिक आय वाले व्यक्तियों की जेबों में चला गया है । विशुद्ध वैयक्तिक आय वाले करों की उगाही कम हो गई है । यदि आय सम्बन्धी सब कर भली प्रकार संगृहीत किये जायें तथा करापवचन की गुंजाइश न हो तो सरकार सरलता पूर्वक ४०० करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकती है । आयकर विभाग को चेतावनी दी जानी चाहिये कि सब कर भली प्रकार वसूल किये जायें तथा करों की अदायगी से बचने वालों के प्रति कठोरतापूर्वक कार्यवाही की जाये ।

अनिवार्य बचत योजना संविधान की शक्ति से परे है । इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । यदि आयकर की बकाया रकम वसूल की जा सके तो बजट में घाटा पूरा हो जायेगा । केवल करों को समुचित ढंग से उगाहा जाना चाहिये ।

†श्री पी० रा० रामकृष्णन (कोयम्बटूर) : १९६३-६४ के आयव्ययक की काफी चिन्ता से प्रतीक्षा की जा रही थी । यह आय व्ययक उत्तम है । हमारे देश पर जो चीनी आक्रमण हुआ है उससे प्रतिरक्षा व्यय बढ़ा है । उसे पूरा करने के लिये इसमें कर लगाने की पूरी व्यवस्था की गयी है । इसके साथ ही इस आयव्ययक में हमारी विकास आवश्यकताओं की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

८६७ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा के लिए रखे गये हैं और सब व्यवस्था करके ४५४ करोड़ रुपये का घाटा है । २७६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों की व्यवस्था की गयी है । १५१ करोड़ रुपये को घाटे की अर्थव्यवस्था में छोड़ दिया है । हमने संसार को दिखा दिया है कि हम अपने राष्ट्र की प्रतिरक्षा के बारे में कितने जागरूक हैं । प्रतिरक्षा के व्यय भार को सब छोटे बड़े लोगों ने वहन किया है ।

अधिलाभ कर दक्षिण में उद्योगों पर बहुत भार बनेगा । यहां पर समानता पूंजी बहुत कम है । करों के ढांचे में इस प्रकार संशोधन किये जायें कि यह कुछ पूंजी सिद्धान्तों के आधार पर लगाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य बचत योजना का स्वागत है क्योंकि इस से बचत करने में सहायता मिलेगी। इस योजना का समाज के सभी वर्गों पर समान प्रभाव पड़ेगा। सरकार यह बताये कि वह मूल्यों में अनुचित वृद्धि को कैसे रोकेगी। निर्यात किये गये सामान की कुल बिक्रय-राशि पर आय-कर और अधिलाभ-कर में २ प्रतिशत की छूट दी जाये। इस से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : इस वर्ष के आय-व्ययक में कराधान के जो प्रस्ताव हैं उनसे लोगों पर काफी बोझ पड़ेगा। परन्तु आपातकाल में इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नहीं। देश वासियों को प्रतिरक्षा का बोझ तो उठाना ही पड़ेगा।

आयकर और अनिवार्य बचत योजना का प्रभाव ५,००० रुपये से कम आय वाले लोगों पर अधिक पड़ेगा। अतः कर्मचारी जीवन बीमा निगम को जो 'परीमीयम' की राशि देती है उतनी राशि अनिवार्य बचत के रूप में दी गई रकम में से काट देनी चाहिये। इस से उनको कुछ आराम मिलेगा।

चूंकि बड़ी कम्पनियों का लाभ बढ़ता ही जा रहा है, अतः उन पर अधिलाभकर का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नई कम्पनियां बनी हैं या बनाई जाती हैं उन पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अतः नयी कम्पनियों को अधिलाभ-कर के बारे में छूट दी जाए। विशेषकर यह रियायत उन कम्पनियों को दी जानी चाहिए जिन में विदेशी सहयोग है, क्योंकि विदेशी सहयोग को इस कर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जिन कम्पनियों के पास कम रक्षित निधि है उन्हें भी कुछ रियायत देना वांछनीय है।

स्टाक एक्सचेंज ने बजट का स्वागत किया है। इस से यह सिद्ध हो गया है कि बड़े उद्योगों ने जो डर व्यक्त किया था वह गलत था। ऐसा कहा गया था कि 'स्टाक एक्सचेंज' पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वे अधिलाभ-कर और अतिरिक्त उपकर से .२५ करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वित्त मंत्री सभी सुझाव मान लें तो भी एक वर्ष में २५ करोड़ रुपये प्राप्त कर सकेंगे।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन विशेष परिस्थितियों में आज सरकार की ओर से कराधान की दुहाई दी जा रही है, वे हैं युद्ध की परिस्थितियां और इन युद्ध की परिस्थितियों में जिन दो तीन बातों का मुख्य ध्यान रखा जाता है, मेरे विचार से वे हैं, पहला युद्ध का उद्देश्य, दूसरा स्वयं युद्ध और तीसरा युद्ध के परिणाम। जहां तक युद्ध के उद्देश्यों का सवाल है, जनता का नजरिया यह है कि आक्रान्ता को खदेड़ कर अपनी सीमा में सुख और शांति स्थापित की जाए। अब यह सरकार पर है कि वह इस बात को कितना सीरियसली लेती है और इसके लिए क्या कदम उठाती है। इस बारे में हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमारी वही सीमा है जो कि हुआ करती थी, लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह केवल ८ सितम्बर तक की बात को लेकर ही चल रही है। जैसी भी स्थिति हो, देखा यह जाता है कि युद्ध के परिणाम जब युद्ध हो जाता है, उस समय भुगतने पड़ते हैं, लेकिन हम को उद्देश्यों की पूर्ति से पहले ही भुगतने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वर्तमान बजट भी उसी की प्रतिछाया है।

यदि इन सब परिस्थितियों को हम ध्यान में रखें तो हमें खेद से कहना पड़ता है कि सबसे बड़ी स्वतन्त्रता जो विचार व्यक्त करने की होती है वह हम ने इस देश की रक्षा के लिये दी है। इस के बाद विचारों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तन सिंह]

दृष्टिकोण से परस्पर विरोध होते हुए भी, सम्पूर्ण रूप से हमने सहयोग देने की कामना की और आज जब सब प्रकार के कर लगाने की बात है हमें इस का समर्थन करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। कारण इस का यह है कि हम सशक्त और सबल शत्रु से लोहा लेने के लिये जिस किसी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता हो, हमें करनी है। उसका कुछ भी कारण हो और उसके लिए कौन जिम्मेवार है इन बातों पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और जो दायित्व हम पर आ पड़े हैं, उन को किस प्रकार से वहन किया जाय। यदि चीन की तैयारियों को, उस की शक्ति को और उस की सबलता को देखें और उस की तुलना अपने दृष्टिकोण से करें तो यह कोई नहीं जानता है कि हम अपने रक्षा प्रयत्नों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो परिणाम हमें प्रारम्भ में भोगने पड़े हैं उन के लिये चाहे शब्दों का कितना ही जाल बिछाया जाय, वस्तुस्थिति यह है कि वह कुछ ऐसी अपमानजनक स्थिति थी, जो हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये थी।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, १३ मार्च, १९६३/फाल्गुन २२, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिक

[मंगलवार, १२ मार्च १९६३ / २१ फाल्गुन १८८४ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४६३—८८
तारांकित प्रश्न संख्या	
३४३ लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण . . .	१४६३—६५
३४४ डाक तार विभाग निर्देशिका (पोस्टल गाइड) . .	१४६५—६७
३४५ खाद्यान्नों के मूल्य	१४६७—७०
३४६ रेलगाड़ियों का बिजली से चलाया जाना . . .	१४७०—७१
३४७ विदेशी व्यापार के लिये जहाज	१४७२—७३
३४८ कृषि स्नातक	१४७३—७५
३४९ सहकारिता आन्दोलन	१४७५—७९
३५० सड़क बोर्ड	१४७९—८०
३५१ समुद्र पर संचार सेवा . . .	१४८०
३५२ चीनी के कारखानों को बोनस	१४८१—८२
३५३ एयर इंडिया के लिये बोइंग विमान . . .	१४८२—८४
३५४ डाक तथा तार मंत्रणा समितियां . .	१४८४—८५
३५५ दक्षिण क्षेत्र में पत्तन सुविधायें	१४८६
३५७ खेती के क्षेत्र	१४८७—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४८८—१५१७
तारांकित प्रश्न संख्या	
३४२ उष्ण कटिबंधीय ऋतु विज्ञान संस्था के लिये सहायता .	१४८८
३५६ दूध का उत्पादन . . .	१४८८—८९
३५८ अनेमी पोट तथा खुला सामान ढोने वाले जहाज .	१४८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी विषय

तारांकित
प्रश्न संख्या

		पृष्ठ
३५९	मुनीराबाद स्टेशन के निकट दुर्घटना	१४९०
३६०	इंडिया एयरलाइन्स कारपोरेशन	१४९०
३६१	खाद्यान्नों के भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	१४९०-९१
३६२	साहित्य सम्बन्धी व्यय	१४९१
३६३	फार्मों पर काम का बढ़ाया जाना	१४९१-९२
३६४	अलिटालिया विमान दुर्घटना	१४९२
३६५	कृषि मूल्य सम्बन्धी नीति	१४९२-९३
३६६	इटली और स्पेन से पर्यटक	१३९३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३७	मोटर कारें	१४९३-९४
६३८	प्लेट फार्म	१४९४
६३९	मेलीटीकुट रेलवे स्टेशन	१४९४
६४०	मोटर साइकिलें	१४९४-९५
६४१	मुर्गी पालन का विकास	१४९५
६४२	मनीपुरी चावल	१४९५
६४३	टेलीग्राफ की तारों की चोरी	१४९६
६४४	डी० बी० के० रेलवे का मुख्यालय	१४९६
६४५	पटनागढ़ का छोटा डाकखाना	१४९६-९७
६४६	कटक स्टेशन के रेलवे फाटक पर दुर्घटना	१४९७
६४७	उड़ीसा में सड़कें तथा पुलें	१४९७-९८
६४८	रेलवे कर्मचारियों के लिये पाक्षिक विश्राम	१४९८
६४९	दूसरा वेतन आयोग	१४९८
६५०	अन्दमान तथा निगोबार द्वीप समूह में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	१४९९
६५१	दूध की पैदावार पर पिघले हुए बर्फ के पानी का प्रभाव	१४९९
६५२	बाराबंकी के पास रेल टक्कर	१४९९—१५००
६५३	रेलवे में नागरिक रक्षा कार्य	१५००
६५४	मत्स्य पालन	१५००
६५५	रासायनिक खाद की खरीद पर छूट	१५००-०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६५६	टीन की चादरें	१५०१
६५७	चीनी उद्योग के लिये लाइसेंस	१५०१–०२
६५८	रेलवे माल गोदाम, हावड़ा में आग	१५०२
६५९	सूखी गोदी तथा जहाजों की मरम्मत	१५०२–०३
६६०	खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय	१५०३
६६१	मनीपुर में खेती	१५०३
६६२	पूर्वोत्तर खण्ड में परिवहन सुविधायें	१५०३–०४
६६३	मनीपुर शासन में राजस्व की अपीलें	१५०४
६६४	मसालों के सम्बन्ध में अनुसन्धान केन्द्र	१५०४
६६५	तार सम्पर्क	१५०४–०५
६६६	वेलोर में मुख्य डाक घर	१५०५
६६७	फलों तथा सब्जियों का उत्पादन	१५०५
६६८	केन्द्रीय ऊन व भेड़ अनुसन्धान संस्था	१५०६–०७
६६९	रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय	१५०७
६७०	पंजाब में सहकारी चीनी मिलें	१५०७
६७१	विदेशों से खरीदे गये जहाज	१५०७
६७२	पंजाब से गेहूं का निर्यात	१५०८
६७३	मेसर्स आर आकजो जाडवेट एण्ड कम्पनी	१५०८
६७४	उत्तर प्रदेश में दूध की कमी	१५०८–०९
६७५	कपास की खेती	१५०९
६७६	खजुराहो में हवाई अड्डा	१५०९–१०
६७७	आदिम जाति विकास खण्ड	१५१०
६७८	आवागमन में खोई गई वस्तुएं	१५१०
६७९	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था	१५१०–११
६८०	जोरहाट हवाई अड्डा	१५११
६८३	हज यात्री	१५११–१२
६८४	रेलवे क्वाटर	१५१२
६८५	बेपोर पत्तन	१५१३
६८६	टेलीफोन शुल्क	१५१३

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८७	नांगल बांध में टेलीफोन	१५१३–१४
६८८	राजपथों के लिए अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण	१५१४
६८९	सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आस्ट्रेलिया से सहायता	१५१४
६९०	तमिल में तार देने की व्यवस्था . .	१५१५
६९१	ताम्बरम तथा मद्रास पुलिन के बीच में विद्युत् ट्राम सेवा	१५१५
६९२	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ . .	१५१५–१६
६९३	वनस्पति का निर्यात	१५१६
६९४	डीज़ल इंजन	१५१६–१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—	१५१७–१८

(एक) चीन के प्रधान मंत्री का दिनांक ३ मार्च, १९६३ का पत्र।

(दो) भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक ५ मार्च, १९६३ का उत्तर।

(२) मोटर गाड़ी एक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर-गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/३३/६२-पी आर (टी) की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) दिनाक २३ फरवरी, १९६३ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियं ण (सांशोधन) आदेश, १९६३।

(दो) दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ में प्रकाशित गेहूं की रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेन्स देना और नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६३।

(तीन) दिनांक २५ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३६० में ाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(चार) दिनांक २५ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३६१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(पांच) दिनांक २ मार्च, १९६३ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९७ में प्रकाशित चावल (पूर्वी क्षेत्र) लाने ले जाने पर नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १५१८

श्री कृष्णमूर्ति राव ने समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विधेयक पुरस्थापित १५१८

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२-६३ . . . १५१९-३५

वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५३६-५६

सामान्य आय-व्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, १३ मार्च, १९६३/२२ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्यय, १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा; निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित किया जाना—

(१) विनियोग विधेयक, १९६३;

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३ ।

विषय सूची—जारी

श्री रामनाथन् चेट्टियार . . .	१५५२–५३
श्री अन्सार हरवानी . . .	१५५३
श्री याज्ञिक . .	१५५४
श्री पी० रा० रामकृष्णन् . . .	१५५४—५५
श्री हेडा . . .	१५५५
श्री तन सिंह	१५५५–५६
दैनिक संक्षेपिका	१५५७—६१

PLS. 41. XIV. 16. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित